शनिवार,
१७ अप्रैल, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

शनिवार, १७ अप्रैल, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

खद्दर की बिक्री

*१८३४. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** १ अक्तूबर, १९५१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने खद्दर की बिक्री विधेयक के नमूने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा दिसम्बर, १९५० में खद्दर (नाम का संरक्षण) अधिनियम के पारित होने के पश्चात परिचालित किया गया था ; तथा

(क) यदि ऐसा है, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). खद्दर की बिक्री विधेयक के नमूने का अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने संशोधन कर दिया

है और संशोधित विधेयक सभी राज्य सरकारों में परिचालित करवा दिया गया है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य का ध्यान श्री के० पी० सिन्हा के तारांकित प्रश्न संख्या १२९२ के उत्तर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो मैंने २५ मार्च, १९५४ को दिया था ।

श्री एस० एन० दास : क्या वर्तमान प्रारूप विधेयक के उपबन्धों में कोई महत्वपूर्ण अन्तर है ?

श्री करमरकर : क्या मेरे माननीय मित्र का तात्पर्य विद्यमान अधिनियम से है ?

श्री एस० एन० दास : क्या प्रारूप विधेयक में जो अभी परिचालित करवाया गया है, उसमें और पुराने विधेयक में कोई महत्वपूर्ण अन्तर है ?

श्री करमरकर : इन में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है।

श्री एस० एन० दास : क्या इस विधेयक पर सभी राज्य सरकारों ने अपने विचार भेज दिये ह, और यदि नहीं तो वे राज्य कौन कौन से हैं जिन्होंने अभी अपने विचार नहीं भेजे हैं ?

श्री करमरकर : अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारे पहले के नमूना विधेयक के अनुसार बिहार, त्रावण-

कोर–कोचीन, कुर्ग तथा मध्य भारत नामक चार राज्यों ने विधान पारित कर दिया है। सभी राज्यों म ये परिचालित करवा दिया गया है और हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री एस० एन० दास : क्या माननीय मित्र सदन को यह विश्वास दिला सकने की स्थिति में हैं कि पहले वाले विधेयक की भांति इसकी वही दशा नहीं होगी ?

श्री करमरकर : पिछला विधेयक कुछ ऐसा बुरा नहीं रहा। चार राज्यों ने हमारे प्रारूप के आधार पर विधान पारित कर दिया है। अन्य राज्यों ने भी सम्भवतः वही प्रारूप स्वीकार कर लिया होगा। हम आशा करते हैं कि यह प्रारूप पहले वाले प्रारूप से अच्छा होगा।

साफ्ट–कोक तथा ईंटें पकाने के कोयले का उपयोग

*१८३५. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कोयला–खान संघ कत्रासगढ़ ने योजना आयोग के पास एक ज्ञापन यह सुझाते हुए प्रस्तुत किया है कि साफ्ट–कोक तथा ईंटें पकाने के कोयले का अधिकाधिक उपयोग करने से बेकारी की समस्या हल करने में सहायता मिलेगी ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव की जांच की है ; तथा

(ग) यदि ऐसा है, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाहियां करने का विचार रखती है ?

उत्पादन मंत्री के सभा सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) छोटी छोटी कोयला खानें जो निम्न श्रेणी का कोयला निर्माण करती हैं, इन की कठिनाइयां प्रदर्शित करने वाला एक ज्ञापन योजना आयोग को प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि प्रश्न में निर्देश किया गया है, प्रत्यक्ष सुझाव कोई भी नहीं है किन्तु सामान्यतः निकर्ष यह निकाला जा सकता है कि सम्पूर्ण ज्ञापन को दृष्टि में रखते हुए इसका उल्लेख कर दिया गया है।

(ख) तथा (ग). ज्ञापन में उठाई गई बातें विचाराधीन हैं।

श्री के० पी० सिन्हा : इस समस्या को हल करने में सहायता पहुंचाने वाले योजना आयोग के सुझाव क्या हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : योजना आयोग ने इस मामले का निर्देश विभिन्न राज्य सरकारों को सितम्बर, १९५३ में ही कर दिया था। तत्पश्चात उनके उत्तर आ गये हैं। उन्हों ने राज्य सरकारों की कठिनाइयों की पूछ ताछ की है, विशेषकर ईंटें पकाने के कोयले तथा साफ्ट–कोक के विषय में। इसके आतिरिक्त अन्तर्विभागीय अध्ययन दल इस मामले पर विचार कर रहा है।

श्री पी० सी० बोस : क्या साफ्ट-कोक की बिक्री तथा उपभोग को लोकप्रिय बनाने के लिये कोई साफ्ट–कोक कर समिति बनी हुई है और वह कार्य कर रही है या नहीं ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं समझता हूं कि वह कभी तो अवश्य काय कर रही थी। मुझे यह निश्चयरूप से नहीं मालूम कि अब यह समिति है ता नहीं।

चरखा

*१८३६. **पंडित डी० एन० तवारी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री उस चरखे का प्रदशन करने के सम्बन्ध में

जो प्रति घंटा ३,००० गज़ सूत कातता है, तारांकित प्रश्न संख्या ३६८ जिसका उत्तर २७ नवम्बर १९५३ को दिया गया था, का निर्देश करते हुए यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इस चरखे के बनवाने के लिये कोई सहायता दी गई है ; तथा

(ख) क्या चरखे के एकस्व को क्रम करने तथा बड़े पैमाने पर उसको बनवाने का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). जिस चरखे के विषय में पूछा गया है उसकी अभी परीक्षा की जा रही है।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या वह चरखा उस चरखे से भिन्न है जो इस समय चलने वाली खादी प्रदर्शनी में दिखाया गया है ?

श्री करमरकर : सम्भवत: यह वही चरखा है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को विदित है कि यह चरखा प्रति घंटा केवल ५०० गज़ ही सूत निकालता है ?

श्री करमरकर : प्रदर्शनी में बहुत से चरखे दिखाये गये थे। इस चरखे का आकार प्रकार यह है: लम्बाई १८", चौड़ाई १६" उचांई २०". प्रति तकुआ ३,००० गज़ सूत कातता है---चार तकुओं में से प्रत्येक पर ७५० गज सूत काता जाता है। उसका मूल्य लगभग १०० रु० है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार इस प्रकार चरखे को कुछ आर्थिक सहायता देने का विचार रखती है कि जिस से गरीब लोग इसे खरीद सकें ?

श्री करमरकर : मेरे माननीय मित्र जानते हैं कि खादी तथा ग्रामद्योग बोड ने इस मामले को उठा लिया है । इस समय इस चरखे की परीक्षा अखिल भारतीय कताईकार संस्था कर रही है। तत्पश्चात यह विषय बोर्ड के सम्मुख जायगा और बोर्ड के सिफारिश कर देने के पश्चात ही हमारे पास आयेगा। हम निश्चय ही इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे ।

श्री एन० एल० जोशी : क्या सरकार ने सर्वोत्तम चरखा तय करने के लिये कोई कसौटी रखी है, और यदि ऐसा है तो वह क्या है ?

श्री करमरकर : यह बड़ी साधारण सी कसौटी है कि प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि न्यूनतम लागत से अधिकाधिक माल तैयार हो ।

कोनार परियोजना

*१८३७. **श्री बी० के० दास** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दामोदर घाटी में कोनार परियोजना का अन्तिम प्राक्कलन ;

(ख) अब तक किया गया योग व्यय तथा

(ग) सात मील लम्बी सुरंग बनवाने तथा विद्युत उत्पन्न करने के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) कोनार परियोजना का आधुनिकतम प्राक्कलन १३·७९ करोड़ रुपया है जिसमें से कोनार बांध तथा सम्बन्धित कार्यों का प्राक्कलन ९·९४ करोड़ रुपया है ।

(ख) जनवरी, १९५४ के अन्त तक किया गया योग व्यय ७,७७,८५,००० रुपया है ।

(ग) ज़मीन के नीचे बिजली घर बनवाने का कार्य स्थगित कर दिया गया है इस कारण सुरंग बनवाने का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

श्री बी० के० दास : क्या यह ४ करोड़ रुपये की राशि सुरंग तथा ज़मीन के नीचे बिजली घर बनवाने के लिये निर्धारित की गई है ।

श्री हाथी : सुरंग तथा बिजली घर का प्राक्कलन लगभग ४ करोड़ रुपये का है—सही सही ३·८५ करोड़ रुपये है ।

श्री बी० के० दास : क्या मूल प्राक्कलन श्री वूरदुइन ने किया था और उसके बाद का प्राक्कलन क्या था, इनमें से एक फ्रांसीसी फर्म का था और इस ब्रुनर ब्रदर्स का ?

श्री हाथी : १९४५ में मूल प्राक्कलन २·४५ करोड़ रुपया था । तत्पश्चात, संख्या १, २ तथा ३, ये तीन बिजली घर ज़मीन के अन्दर वाले बिजली घरों को मिलाकर एक बड़ा बिजली घर बनाने का विचार किया गया था । अप्रैल १९५३ में संशोधित प्राक्कलन १०·६२ करोड़ रुपया हो गया और अब यह राशी १३·७९ करोड़ रुपये हो गई है ।

श्री बी० के० दास : मैं फ्रांसीसी फर्म का प्राक्कलन जानना चाहता हूं, और ग्रुनर ब्रदर्स ने फिर इस में क्या संशोधन किया और इस संशोधन कटाने के कारण क्या थे ?

श्री हाथी : फ्रांसीसी फर्म का प्राक्कलन, जहां तक मुझे स्मरण है, लगभग ७·९ करोड़ रुपया था। जिन विभिन्न कारणों के परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हुई वे इसमें सम्मिलित हैं। मैं विभिन्न मदों को बता सकता हूं, किन्तु उसमें १० या १२ मद आते हैं, और चूंकि मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं, अतः मैं इनके विस्तृत विवरण की एक प्रतिलिपि माननीय सदस्य को दे दूंगा ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : राव समिति के निष्कर्षों के अनुसार कि फ्रांसीसी तथा स्वीडनी फर्मों द्वारा बिना किसी सूचना के डिज़ाइन में परिवर्तन कर देने से ठेकेदार के ११९ लाख रुपये के अपरिमित दावे स्वीकार कर लिये गये हैं, सरकार ने क्या कार्यवाही इस सम्बन्ध में की है ?

श्री हाथी : जैसा कि सदन को विदित है, राव समिति का अभ्यावेदन अभी तक सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवेदन प्राक्कलन समिति के पास भेजा गया है, यहां की सुव्यवस्थित पद्धतियां, जिनका पालन किया जाता है, तथा प्राक्कल समिति से सरकार को वापस प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों द्वारा राव जांच समिति के निष्कर्षों के किये गये प्रचार की ओर आकर्षित किया गया है ? मैं इस माह की १३ तारीख के स्टेट्समैन से उद्धरण दे रहा हूं, सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हाथी : समाचार-पत्रों में कुछ प्रतिवेदन प्रकाशित होते रहे हैं, किन्तु राव समिति का प्रतिवेदन अभी तक नहीं प्रकाशित हुआ है । सरकार इस विषय में कुछ भी नहीं कह सकती है । जैसा कि मैंने कहा कि इस समय प्रतिवेदन प्राक्कलन समिति के पास गया हुआ है ।

श्री मेघनाद साहा : यह कब भेजा गया था ....

अध्यक्ष महोदय : इस पर टीका टिप्पणी करना या इस सम्बन्ध में जानकारी

प्राप्त करना समय से पूर्व है क्योंकि प्रतिवेदन इस समय प्राक्कलन समिति के पास है।

श्री राधेलाल व्यास : क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, मैं अब अगला प्रश्न ले रहा हूं।

काशगर में भारतीय वाणिज्य दौत्व

*१८३८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या काशगर में भारतीय वाणिज्य-दौत्य को फिर से खोले जाने के बारे में भारत सरकार तथा चीन सरकार के मध्य कोई बातचीत चलती रही है; तथा

(ख) यदि चलती रही है तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल क० चन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री डी० सी० शर्मा : यह वाणिज्य-दौत्य जब विद्यमान था तो इस के कृत्य क्या थे ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह उस क्षेत्र में काम करने वाले हमारे व्यापारियों की सहायता करता था।

श्री डी० सी० शर्मा : अब यह कृत्य किस प्रकार निभाए जा रहे हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : अब उस क्षेत्र में बहुत कम भारतीय रह गए हैं और अब वहां कोई भारतीय व्यापारी नहीं हैं।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या कुछ व्यापारियों ने सरकार से अभ्यावेदन किया है कि उन्हें सिंकियांग से व्यापार करने के हेतु कुछ अधिक सुविधाएं दिलाई जाएं ?

श्री अनिल के० चन्दा : सिंकियांग एक बन्द क्षेत्र है और वहां किसी विदेशी मिशन की स्थापना की अनुमति नहीं है।

चावल की हथ कुटाई

*१८३९. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) 'हल्लर' प्रकार की चावल की मशीनों को धीरे धीरे समाप्त कर देने के अपने प्रयत्नों में सरकार ने कहां तक प्रगति की है ;

(ख) क्या हथ-कुटाई के किसी विकसित तरीके का अनुमोदन सरकार द्वारा अन्ततः किया गया है ; तथा

(ग) यदि किया गया है तो उसका ब्योरा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) (क) स (ग): एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २८**]

श्री एम० सी० सामन्त : विवरण से मुझे पता लगता है कि १९५३-५४ के लिये ३ लाख रुपये निर्धारित किये गये थे। इस वर्ष कितनी राशि खर्च की जायगी और १९५४-५५ के लिये कितनी राशि निर्धारित की जायगी और क्या यदि कोई ऐसी राशि हो जो १९५३-५४ में खर्च नहीं की गई थी तो क्या वह इस वर्ष खर्च की जायेगी ?

श्री करमरकर : ३ लाख रुपये में से, जिसे हमने मंजूर कर लिया है, बोर्ड ने वर्ष १९५३-५४ में, ५०,००० रुपये खर्च कर दये हैं और इस योजना के सम्बन्ध में वर्ष १९५३-५४ में होने वाले किसी खर्च को

पूरा करने के लिये बोर्ड को १·२५ लाख की अतिरिक्त राशि दे दी गई है। बोर्ड ने अपने प्रस्ताव भेज दिये हैं जिनमें वर्ष १९५४-५५ के लिये ३८,२६,९२० रुपये की राशि सन्निहित है और यह मामला विचाराधीन है।

श्री एस० सी० सामन्त : वर्तमान मिलों को परिवर्तित करने में सरकार ने क्या कठिनाइयां बताई हैं और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री करमरकर : चावल की हथ-कुटाई प्रणाली के सम्बन्ध में राज्यों ने कोई विरोध नहीं किया। किन्तु पहिले खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने उनसे 'हलर' प्रकार की चावल मिलों को समाप्त कर देने के लिये कहा था। उन्होंने 'हलर' प्रकार की चावल मिलों को समाप्त कर देने के सम्बन्ध में यह बताया कि चावल मिलों की संख्या में शीघ्र वृद्धि करना सम्भव नहीं है क्योंकि इनसे धान को चावल बनाने के काम में शीघ्रता की जा सकती है।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या यह सच नहीं है कि हथ-कुटाई प्रणाली के लिये एक प्रशिक्षण केन्द्र गत मास स्थापित किया था, और यदि ऐसा है तो कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है ?

श्री करमरकर : मैं इस के बारे में नहीं जानता किन्तु यदि माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं तो प्रश्न काल समाप्त होने के बाद यह सूचना दे दूंगा।

श्री केलप्पन : क्या यह सच है कि नई चावल मिलें चलाने के लिये कुछ राज्य सरकारें अब भी लाइसेंस जारी कर रही हैं ?

श्री करमरकर : मुझे यह सूचना चाहिये ; उनसे और अधिक लाइसेंस जारी न करने के लिये कहा गया है।

उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग

*१८४०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कोई योजना भेजी थी जिसके अनुसार हथकरघा उद्योग के विकास के लिये १७ लाख रुपये का ऋण मांगा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो वह योजना क्या थी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां।

(ख) यह योजना जुलाहों में सहकारी प्रयत्नों को उन्नत करने से सम्बन्धित थी।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या बनारस के हथकरघे भी इस में सम्मिलित हैं ?

श्री करमरकर : मैं तो अवश्य ऐसा ही समझता हूं ; बनारस को इस में से किसी योजना के बाहर नहीं रखा जा सकता।

श्री टी० एन० सिंह : इस योजना का क्या परिणाम हुआ ? क्या सरकार ने इस योजना को पूरा करने में सहायता देने की बात को मान लिया है ?

श्री करमरकर: इस योजना का परिणाम यह हुआ : उस राज्य ने धन मांगा था ; हम ने उसे धन देने की बात मान ली है। इस योजना को चलाना उस राज्य का काम है

मैसूर में राष्ट्रीय विस्तार सेवा

*१८४१. **श्री एन० राचय्या** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मैसूर राज्य में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को क्रियान्वित करने के लिये १९५३-५४ में कितनी राशि निर्धारित की गई थी ;

(ख) इस वर्ष कितना खर्च हुआ है ; तथा

(ग) किन क्षेत्रों में यह कार्य आरम्भ किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) ३.५ लाख रुपये, जो केन्द्र द्वारा दिये गये हैं ।

(ख) फरवरी १९५४ के अन्त तक ६,८०० रुपये (राज्य के हिस्से को मिला कर) ।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २९**]

श्री एन० राचय्या : इन खण्डों में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्री हाथी : अब तक जो प्रगति हुई है वह सिंचाई कार्यों के बारे में हुई है। राज्य के कई खण्डों में प्रशिक्षण देने, पीन के पानी वाले कुएं खोदने, स्कूलों की इमारतों को बनाने तथा उनका विस्तार करने और सामुदायिक मनोरंजन केन्द्र स्थापित करने आदि कुछ ऐसे कार्य हैं जो आरम्भ कर दिये गये हैं ।

श्री एन० राचय्या : पूरी राशि अब तक खर्च क्यों नहीं की गई है ?

श्री हाथी : पूरी राशि इस लिये खर्च नहीं की गई है क्योंकि वास्तव में खण्डों में कार्य वर्ष १९५३ के अन्तिम भाग में आरम्भ किया गया था और इसके लिये प्राक्कलन तथा सर्वेक्षण किया जाना तथा और इसका कार्य-क्रम बनाना पड़ा था।

श्री एन० राचय्या : क्या सर्वेक्षण कार्य करने के लिये अपेक्षित उपकरण आदि दे दिये गये हैं ?

श्री हाथी : ये बड़े कार्य नहीं हैं ; ये सब छोटे छोटे कार्य हैं।

श्री मुनिस्वामी : इस राज्य के लिये योजना की अवधि के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

श्री हाथी : किसी विशेष कार्य के लिये वास्तविक लक्ष्य केन्द्र द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है । राज्य सरकारों को स्थानीय दशाओं के अनुसार विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं।

फेरो मेंगनीज़ संयंत्र

*१८४२. **श्री संगण्णा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उड़ीसा में रायगढ़ में फेरो-मेंगनीज़ संयंत्र स्थापित करने के लिये सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो उसका परिणाम क्या हुआ ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). जी हां। रायगढ़ में फेरो-मेंगनीज़ संयंत्र स्थापित करने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत दिसम्बर १९५३ में लाइसेंस दिये जाने के लिये एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। लाइसेंस मार्च १९५४ में दिया गया था।

श्री संगण्णा : जिस फर्म या व्यक्ति को लाइसेंस दिया गया था उसका नाम क्या है ?

श्री करमरकर : मेसर्स जयपुर माइनिंग सिंडिकेट, लिमिटेड ।

श्री संगण्णा : क्या लाइसेंस दिये जाने से पहिले उड़ीसा सरकार से परामर्श लिया गया था !

श्री करमरकर : सामान्य रूप में हम राज्य सरकार की सम्मति अवश्य लेते हैं परन्तु जो नोट मेरे पास यहां हैं उन्हें देखकर मैं यह बात नहीं बता सकता। किन्तु ऐसी सामान्य प्रथा है ।

श्री संगण्णा : उस राज्य की क्या सम्मति है ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं—मैं केवल निष्कर्ष के आधार पर कह रहा हूं और मुझे खेद है कि मेरे कागज़ों में यह नहीं है—चूंकि यह एक व्यवहार्य योजना है, इसलिये उड़ीसा सरकार ने इसका समर्थन अवश्य किया होगा ।

आसाम में पटसन मिलें

*१८४४. **श्री एस० सी० देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आसाम सरकार ने उस राज्य में पटसन मिलें स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार ने उन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). आसाम सरकार का वह आवेदन प्राप्त हुआ है जिस में उस ने अपने राज्य में पटसन मिल स्थापित करने की अनुमति मांगी है और यह मामला विचाराधीन है ।

श्री बेली राम दास : इस परियोजना में कितना धन लगेगा और मिल स्थापित हो जाने के बाद इसका उत्पादन सामर्थ्य कितना होगा ?

श्री करमरकर : इसका उत्पादन सामर्थ्य ३०० तकुओं का होगा । मेरे पास इस समय यह सूचना नहीं है कि इसमें कितना धन लगेगा ।

श्री ऐस० सी० देव : इस मामले में केन्द्रीय सरकार किस प्रकार सहायता करेगी ?

श्री करमरकर : वास्तव में यह योजना एक गैर सरकारी पार्टी की है । किन्तु किसी कारण से आसाम सरकार ने यह कहा है कि आसाम में औद्योगीकरण नहीं हुआ है इसलिये हमें इस योजना का समर्थन करना चाहिये । हम इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या आसाम के अतिरिक्त कहीं और पटसन मिलें खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री करमरकर : इस प्रश्न के अन्तर्गत तो आसाम की ही बात है और हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या आसाम तथा बंगाल के बीच कोई समायोजन किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि इसमें कोई नया उद्योग चलाना ठीक नहीं है ।

डीजिल इंजन

*१८४५. **श्रीमती मायदेव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार के पास ऐसे कोई साधन हैं जिन से वह देश में बनाये गये

डीज़िल इंजनों की यह जांच कर सके कि वे अपेक्षित स्तर के हैं या नहीं; तथा

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार के इंजनों के विक्रय मूल्य पर कोई प्रतिबन्ध लगाये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). सरकार ऐसे मामलों में केवल तभी कार्यवाही करती है जब उसे विभिन्न उपभोक्ताओं से डीज़िल इंजन की घटिया किस्म के बारे में शिकायतें मिलती हैं। चूंकि ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली हैं इसलिये ऐसा समझा जा सकता है कि उपभोक्ता देश में बनाये जाने वाले डीज़िल इंजनों की किस्म को अच्छा समझते हैं। इस सम्बन्ध में, सरकार द्वारा इस प्रकार के घटिया किस्म के डीज़िल इंजनों के विक्रय कर पर प्रतिबन्ध लगाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती मायदेव : कितने हार्स पावर तक के डीज़ल इंजनों के आयात पर प्रतिबन्ध है ?

श्री करमरकर : २५ एच० पी० तक।

श्रीमती मायदेव : क्या हमारे देश में बनाये जाने वाले डीजल इंजन संतोषजनक पाये जाते हैं ?

श्री करमरकर : बिल्कुल संतोषजनक।

श्रीमती मायदेव : क्या यह सत्य है कि विदेशों से आयात किये गये डीज़िल इंजनों की अपेक्षा भारतीय डीज़िल इंजनों पर बहुत अधिक लागत आती है और प्रयोग में लाये जाने के थोड़ी देर बाद बिगड़ भी जाते हैं, जिस के कारण कृषकों को बहुत असुविधा होती है ?

श्री करमरकर : मुझे खेद है कि इस विषय में मैं माननीय सदस्या से सहमत नहीं हो सकता।

श्री सैय्यद अहमद : मेरा अनुमत यही है।

श्री करमरकर : विभिन्न लोगों का अनुमत भी भिन्न भिन्न होता है। कुछ लोग इन का उचित रूप से प्रयोग करते हैं, कुछ अनुचित रूप से। किन्तु साधारणतया ये इंजन संतोषजनक पाये जाते हैं। मूल्यों के बारे में मैं पूर्वसूचना चाहूंगा।

श्री हेडा : डीज़ल इंजनों के निर्माता कितने हैं और क्या सरकार का अन्य व्यक्तियों को भी निर्माण करने के लिये अनुमति देने का विचार है ?

श्री करमरकर : निर्माताओं की संख्या के बारे में मैं पूर्वसूचना चाहूंगा।

डलहोजी स्क्वेयर कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय

*१८४७. **श्री गिडवानी** : क्या **निर्माण आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान २६ मार्च १९५४ को प्रकाशित पी० टी० आई० के इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि २२ मार्च, १९५४ के भूकम्प के कारण डलहोजी स्क्वेयर, कलकत्ता की उस इमारत में जिस में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय हैं, कुछ दरारें आ गई हैं; और

(ख) क्या उस इमारत को असुरक्षित समझा गया है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

श्री एच० एन० मूकर्जी : कुछ दिन पूर्व एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि उस तिथि के भूकम्प के कारण किसी सरकारी इमारत को क्षति नहीं पहुंची थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह माननीय मंत्री के वक्तव्य से कैसे मेल खाता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य अपनी जानकारी ठीक कर सकते हैं। उस समय मेरे पास जानकारी नहीं होगी। ऐसे मामलों में अग्रेतर जानकारी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। पहले जो जानकारी दी गई थी, मैं उस की पड़ताल करना चाहूंगा, उस तिथि को वही जानकारी नवीनतम होगी किन्तु अब मेरा उत्तर यह है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सत्य है कि १, कौंसल हाऊस स्ट्रीट, कलकत्ता पर स्थित डाक और तार घर—जिस का उल्लेख किया गया है—उस इमारत से किसी और स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मेरे पास इस विषय में कोई जानकारी नहीं है।

कैलिशयम कारबाइड

*१८४८. **डा० रामा राव** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत की कैलिशयम कारबाइड की वार्षिक आवश्यकता क्या है ?

(ख) इस में से कितना भारत में तैयार किया जाता है ?

(ग) यह मुख्यत: किन देशों से आयात किया जाता है ?

(घ) क्या यह सत्य है कि सरकार के इस वस्तु को खले सामान्य लाइसेन्स से हटा लेने के बाद इस का मूल्य लगभग ६० प्रतिशत बढ़ गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर). (क) लगभग ८,००० टन प्रति वर्ष।

(ख) १९५२ में उत्पादन ७१ टन था। १९५३ में विद्युत की कठिनाइयों और चूने तथा केक की कमी के कारण उत्पादन स्थगित कर दिया गया था।

(ग) स्वीडन, नारवे, कनाडा, नीदर लैंड, फ्रांस और इटली से।

(घ) हमारी रिपोर्टों से पता चलता है कि मूल्य में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है।

डा० रामा राव : सरकार ने इस बात की व्यवस्था करने के लिए कि हमारी आवश्यकताएं भारत के निर्माताओं द्वारा पूरी की जाएं, क्या पग उठाये हैं ?

श्री करमरकर : कठिनाइयां आन्तरिक हैं और यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाएं तो हम सहायता देने के लिए अवश्य यथासम्भव कार्यवाही करेंगे।

डा० रामा राव : यद्यपि माननीय मंत्री ने कहा है कि मूल्य नहीं बढ़े हैं, तथापि प्रेस और बाजार से ये समाचार प्राप्त हुए हैं कि मूल्य अत्यधिक बढ़ गए हैं ; इस बात का प्रबन्ध करने के लिए कि मूल्यों में असाधारण वृद्धि न हो, सरकार का क्या पग उठाने का विचार है ?

श्री करमरकर : सरकार का केवल यह पग उठाने का विचार है कि इस प्रश्न का ठीक उत्तर मालूम किया जाए और जहां तक हमारी रिपोर्टों से पता चलता है कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई।

योजनाओं के लिए प्रामाणिक प्रक्रिया

*१८४९. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या समस्त योजनाओं के लिए प्रामाणिक प्रक्रिया निर्धारित करने और संचालन निर्वहन के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र करने के लिए अक्तूबर १९५३ में स्थापित की गई यन्त्र तथा उपकरण समिति ने सरकार के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशें बताने वाला विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३०**]

श्री भागवत झा आजाद : मैं जानना चाहता हूं कि उपकरण की मांग और उसे मुक्त करने के कार्य को समीकरण करने के लिए केन्द्रीय समिति की सिफारिश के अनुसार कोई संगठन पहले ही स्थापित कर दिया गया है ?

श्री हाथी : अभी स्थापित नहीं किया गया है लेकिन प्रश्न विचाराधीन है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या में जान सकता हूं कि प्रतिवेदन के सुझाव के अनुसार यांत्रिक बांध के लिये किस प्रकार के संगठन की आवश्यकता है ?

श्री हाथी : मैं यह व्यक्त कर दूं कि समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन की जांच की जा रही है और जब वह सरकार के समक्ष उपस्थित होगा उसपर आगे कार्रवाही की जायेगी

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या नांगल में विगत जनवरी में नदी घाटी योजनाओं के सम्बन्ध में आयोजित गोष्ठी में मशीनों के मितव्ययता पूर्ण प्रयोग को प्रमाणीकरण करने के प्रश्न पर चर्चा की गई थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

श्री हाथी : यथार्थ तो यह है कि समिति ने उक्त गोष्ठी के पूर्व ही अपना आरम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था और उस प्रारम्भिक प्रतिवेदन के प्रकाश में ही आगे चर्चा की गई थी । समिति का अन्तिम प्रतिवेदन गोष्ठी के बाद प्रस्तुत किया गया था और उसकी जांच की जा रही है ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि मशीनों और विभिन्न नदी घाटी योजनाओं के लिये देश में आवश्यक उपकरण के निर्माण के लिये क्या कोई विशेष प्रयत्न किया गया है, और यदि हां, तो इस प्रकार के प्रयत्नों का स्वरूप तथा निर्मित होने वाली मशीनों का क्या स्वरूप है ?

श्री हाथी : यह समिति के निर्देश पदों में से एक है और समिति से पूछा गया था कि अन्य किस तरह की दूसरी मशीनों का निर्माण अथवा उपयोग किया जा सकता है ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार निकट भविष्य में किसी ऐसी पद्धति का पूरःस्थापन करना चाहती है जिसके आधार पर विभिन्न योजनाओं के प्राधिकारियों की क्य सम्बंधी स्वायत सत्ता का नियंत्रण और विनियमन किया जाये?

श्री हाथी : यह इस प्रश्न के अधिक रांगन म नहीं आता लेकिन मैं कह दूं

कि इस पर अलग रूप से विचार किया जा रहा है ।

दामोदर घाटी योजना के लिये विश्व बैंक से दिया जाने वाला ऋण

*१८५०. **श्री के० सी० सौंधिया** : (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि दा० घा० यो० के लिये विश्व बैंक से आज तक कुल कितना ऋण प्राप्त किया गया है ?

(ख) इस ऋण के सूद और पुनः लौटाने के सम्बंध में क्या शर्तें हैं ?

(ग) ऋण की कितनी रकम खर्च की जा चुकी है ?

(घ) उक्त योजना पर आज तक कितनी रकम व्यय की जा चुकी है तथा भाग बटाने वाली प्रत्येक सरकार का उसमें कितना अंश है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी):(क)दामोदर घाटी योजना के लिये २ करोड़ ८० लाख की कुल रकम के दो ऋण प्राप्त हुए है ।

(ख) दिनांक १० अगस्त, १९५० को श्री बी० के० दास द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४७० के भाग (ख) और दिनांक २५ मार्च १९५३ के श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के तारांकित प्रश्न संख्या ९७५ के भाग (ख) के उत्तर में विश्व बैंक से प्रथम और द्वितीय ऋण से सम्बंधित समझौते की प्रतिलिपियां सदन पटल पर रखी जाती हैं ।

(ग) २५ मार्च, १९५४ तक प्रथम ऋण से कुल १४,६०३,१५७,९२ डालर है । द्वितीय ऋण से अभी तक कोई रकम नहीं निकाली गई है ।

(घ) ५९,१९,६५,१६५ रुपये । इसमें भाग लेने वाली प्रत्येक सरकार का अंश निम्न प्रकार है :

केन्द्र..... १६,५०,९५,१६५
पश्चिम बंगाल.....२९,९३,६४,०००
बिहार.....१२,७५,०३,०००

श्री के० सी सौंधिया : विवरण से यह जान पड़ता है कि स्वीकार की गई वार्षिक-ब्याज दर ४ ७/८ प्रतिशत है । इतनी अधिक ब्याज दर क्यों स्वीकार की गई है ?

श्री हाथी : यह ब्याज दर उस समय बाज़ार में चलने वाली दर पर आधारित है ।

श्री के० सी० सौंधिया : सरकार इस देश में किस दर पर ऋण लेती है ?

अध्यक्ष महोदय : सम्भवत : इस प्रश्न का उत्तर वित्त मंत्री को देना चाहिये ।

श्री के० सी० सौंधिया : विश्व बैंक का प्रतिनिधि दामोदर घाटी तक कितनी बार गये हैं ?

श्री हाथी : वह कितनी बार वहां गये हैं यह मैं निश्चित रूप में नहीं बता सकता । ऋण के विषय में वार्ता चलने से पूर्व तथा बाद को भी वह वहां गये हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : ब्याज की दर क्या है ?

श्री के० सी० सौंधिया : अर्द्ध प्रतिशत क्या है जो जोड़ी जाने वाली है.....

अध्यक्ष महोदय : शन्ति, शान्ति । श्री एच० एन० मुकर्जी ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने प्रथम ऋण देने से पूर्व यह शर्त रख दी थी कि बोकारो ताप-विद्युत कारखाना प्राथमिकता के मूल

आदेश से जो समय निश्चित किया गया था उससे पहले ही बन जाना चाहिये ?

श्री हाथी : वास्तव में प्रथम ऋण के सम्बन्ध में उस समय वार्ता ही चल रही थी जबकि व्यावहारिक रूप से यह सम्भव जान पड़ा कि बोकारो ताप-विद्युत कारखाने का बनना पहले ही प्रारम्भ हो जाना चाहिये, और इसी लिये ऐसा किया गया था ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या किसी अन्य नदी घाटी परियोजना के लिये विश्व बैंक से कुछ नये ऋण प्राप्त करने की आशा की जाती है ?

श्री हाथी : जहां तक मैं समझता हूं कोयणा परियोजना के सम्बन्ध में वार्ता चल रही है ।

हथकरघे का कपड़ा बेचने वाले एम्पोरियम

*१८५१. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन स्थानों के नाम जहां केन्द्रीय हथकरघे का कपड़ा बेचने वाले एम्पोरियम खोले गये हैं अथवा खोलने का विचार किया जा रहा है ;

(ख) इनके स्थित स्थान का निर्धारण किस आधार पर किया गया है ; तथा

(ग) क्या इस प्रकार का कोई और एम्पोरियम इस वर्ष खोलने का विचार है?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) एम्पोरियम सिंगापुर, कोलम्बो, बेंकाक, रंगून, चित्तगांव, कराची तथा अदन में खोले जायेंगे ।

(ख) ये हमारे हथकरघे के कपड़े के क्षेत्र के ,लिये उचित केन्द्र समझे जाते हैं ।

(ग) इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : इन एम्पोरियमों का कुल विनियोग क्या है ?

श्री करमरकर : योजना को प्राक्कलित योग लागत ३·५ लाख रुपया है जिसमें से सरकार २·८७ लाख रुपया देगी और शेष राशि मद्रास हथकरघा बुनकर सहकारिता संस्था देगी, जो हमारे साथ सहयोग कर रही है ।

श्री एस० एन० दास : इन एम्पोरियमो की व्यवस्था किस प्रकार की जायेगी ?

श्री करमरकर : हमने सिंगापुर, रंगून, कोलम्बो, तथा बगदाद में क्रमशः चार हथकरघे के कपड़े के विपणि अधिकारी नियुक्त करने का विचार किया है, जो भारतीय तथा विदेशी हथकरघे के कपड़े के आयातकों के बीच सम्बन्ध स्थापित करने का कार्य भी कर सकें । तथा उन स्थानों में जिनका मैं उल्लेख कर चुका हूं, विक्रय एम्पोरियम खोलने का कार्य भी कर सकें ।

श्री भागवत झा आजाद : इन एम्पोरियमों के द्वारा हथकरघे के कपड़े की बिक्री में जो वृद्धि की गई है, उसके सम्बन्ध में सरकार का क्या अनुमान है?

श्री करमरकर : एम्पोरियमों का कार्य ही हथकरघे के कपड़े की बिक्री को बढ़ाना है

श्री एम० डी० रामस्वामी : क्या प्रचार कार्य के लिये चलते-फिरते एम्पोरियमों का उपयोग करने का विचार किया जा रहा है ?

श्री करमरकर : ये स्थायी एम्पोरियम हैं ।

नहाने का साबुन

*१८५२. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नहाने का साबुन आयात

करने पर कोई प्रतिबन्ध लगा दिया गया है;

(ख) १९५२-५३ तथा १९५३-५४ के नहाने के साबुन के आयात सम्बन्धी आंकडे;

(ग) देश में तैयार की गई मात्रा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३१**]

(ग) लगभग १४,००० टन।

पंडित डी० एन० तिवारी : देश में इसका उपभोग कितना है और क्या देश के उत्पादन से ही सारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है ?

श्री करमरकर : उपभोग की मात्रा में परिवर्तन होता रहता है, किन्तु हमारी साधारण आवश्यकता लगभग १४,००० टन से लेकर १५,००० टन के बीच रहती है। १९५१ में हमारा उत्पादन १५,००० टन, १९५२ में १३,८०० टन और १९५३ में (जनवरी से नवम्बर तक) ११,९०० टन था। स्थिति इस प्रकार है।

पंडित डी० एन० तिवारी : भारत में नहाने का साबुन बनाने वाले कितने विदेशी निर्माता हैं और वे कितनी मात्रा में साबुन तैयार करते हैं ?

श्री करमरकर : मैं पूर्व सूचना चाहूंगा कम से कम एक तो उनमें से है ही।

श्री मेघनाद साहा : देश में नहाने का साबुन बनाने की अधिष्ठापित उत्पादन सामर्थ्य क्या है ?

श्री करमरकर: मेरे पास आंकड़े नहीं हैं किन्तु प्रतिष्ठापित उत्पादन सामर्थ्य देश के उत्पादन से अधिक है?

श्री साधन गुप्त : लगाये गये आयात प्रतिबन्ध किस प्रकार के हैं ?

श्री करमरकर : हमने कुछ प्रकार के कामों में आने वाले साबुनों को छोड़कर जैसे 'डैन्टल सोप' (जो टुथपेस्ट बनाने के काम में आता है) तथा कापर मरकरी सोप (जो जहाज़ो के पेंदे को खराब होने से बचाने के लिये पेन्ट तैयार करने के काम में आता है), अन्य सभी नहाने के साबुनों के आयात को बिल्कुल बन्द कर दिया है।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या इन प्रतिबन्धों से देश के सौन्दर्य प्रसाधन में तो बाधा नहीं पहुंचती है और क्या उस वर्ग के लोगों ने इसका कोई विरोध किया है जो इससे प्रभावित होंगे ?

श्री करमरकर : सम्भवत: मेरे युवक मित्र इसे भली भांति समझ सकते हैं।

भारतीय चाय प्रतिनिधि मण्डल

***१८५३. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय प्रतिनिधि मण्डल भारतीय चाय उद्योग की ओर से अमरीका तथा कनाडा के बाज़ारों को देखने के लिये गया है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो उनके दौरे का क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). यूयार्क में अक्तूबर १९५३ में अमरीका की चाय परिषद की सभा में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रतिनिधि मण्डल अमरीका के चाय संगठन के आठवे वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिये भेजा गया था जिसका उद्देश्य चाय के अमरीकी आयातकों

व पैकरों से तथा कनाडा में चाय के हितैषियों से सम्पर्क स्थापित करना था। प्रतिनिधि मण्डल को जो कार्य सौंपा गया था उसे उसने पूरा किया।

श्री डी० सी० शर्मा : इस प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य कौन-कौन से लोग थे और क्या कोई चाय का व्यापारी भी उपस्थित था ?

श्री करमरकर : मैं नाम बता रहा हूं। प्रतिनिधि मण्डल में निम्न लोग थे :

१. श्री ए० एस० लाल न्यूयार्क में भारत के महावाणिज्य दूत--नेता ;

२. श्री सी० एम० कोठारी, सदस्य केन्द्रीय चाय बोर्ड--सदस्य ;

३. श्री एस० एच० डवीज़, सभापति, भारतीय चाय संगठन, तथा सदस्य केन्दीय चाय बोर्ड--सदस्य;

४. श्री एस० कृष्णमूर्ति--वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास के कर्मचारी (दौरे के उत्तरार्द्ध के लिये) --सदस्य।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या वहां चाय की बिक्री में स्थायी अथवा अर्द्ध स्थायी आधार पर वृद्धि करने के लिये कोई संगठन बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि मैं सदन को एक बार यह बता चुका हूं कि अमरीका से इस प्रकार का संगठन बनाने के सम्बन्ध में समझौता हो चुका है और हम उस संगठन पर होने वाले व्यय में भी कुछ अंश दे रहे हैं। सम्भवत: कनाडा से अभी इस सम्बन्ध में वार्ता चल रही है।

श्री डी० सी० शर्मा : अमरीकियों को जितनी चाय वे पीते हैं उस से और अधिक पीने की आदत डालने के सम्बन्ध में क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री सैय्यद अहमद : हम पी रहे हैं।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या कनाडा के लिये एक अलग चाय बाजार विस्तार बोर्ड की स्थापना करने का विचार है अथवा वह बोर्ड जो अमरीका में विपणन-कार्य करता है वही यह कार्य भी करेगा ?

श्री करमरकर : अभी तो अलग संगठन बनाने का ही विचार है।

आसाम में बाढ़ की रोक

*१८५४. **श्री एस० सी० देव** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इयंगर समिति ने आसाम की नदियों के जलशास्त्र सम्बन्धी, बाह्य रूप-रेखा तथा अन्य आंकड़े एकत्रित करने की सिफारिश की है जिन में बाढ़ आ जाती है और जो १९५० के महान भूकम्प के पश्चात् से बहुत सी भूमि काट देती हैं ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) भारत सरकार ने एक नदी अनुसंधान विभाग खोला है, जो १ मार्च, १९५३ से कार्य कर रहा है और जो आसाम की १७ नदियों के २६ विभिन्न भागों में स्थित जल-शास्त्र सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित कर रहा है, जिसमें उत्तरी-पूर्वी सीमा एजेन्सी भी सम्मिलित है।

श्री एस० सी० देव : जिन नदियों की जांच अभी की जाने को है उनके

नाम क्या हैं और क्या यह कार्य प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में पूरा हो जायेगा ?

श्री हाथी: सभी १७ नदियों –ब्रह्मपुत्र, शुबांसिरी, भोरली, पुत्तिभाटी, नोना, बोटालिया, पगलादिया, बुटादिया, तिहू, कलाइदिया, पहुभुटा, बुरि दिहिंग, कोपिली, वपटानी, किलिंग, बारक तथा कटाखल की जांच अभी होने को है। इनके आंकड़े एकत्र करने में तीन वर्ष लगेंगे।

श्री बिमला प्रसाद चालिहा: क्या सरकार द्वितीय नदी जांच विभाग खोलने पर विचार करेगी ?

श्री हाथी : वास्तव में, आसाम सरकार ने अन्य नदियों की अग्रेतर जांच करने के लिये द्वितीय विभाग खोलने के लिये निवेदन किया है। यह विचाराधीन है।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह : क्या बाढ़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के हेतु यू० पी० की नदियों के बारे में भी तथ्यों का संग्रह किया जा रहा है ?

श्री हाथी : अभी तो केवल आसाम के लिऐ ही ऐसा किया जा रहा है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सत्य है कि भोराली नदी को अभी तक जलवैज्ञानिक अनुसंधान एकक के कार्य क्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है ?

श्री हाथी : मैं ने आसाम की की उन १७ नदियों के नाम पढ़ कर सुनाए हैं जिन के बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। यदि कोई विशेष नदी उन में सम्मिलित नहीं है तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता।

श्री आल्तेकर : जहां तक आसाम क्षेत्र की नदियों में आने वाली बाढ़ का सम्बन्ध है १९५० के भूकम्प का इस विषय में क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्री हाथी : इस समय मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

कपड़े धोने का सोडा तथा कास्टिक सोडा फैक्टरी

*१८५५. **श्री संगण्णा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि घटड़ापुर, उड़ीसा में काफी बड़े स्तर पर कपड़े धोने के सोडे तथा कास्टिक सोडे की फैक्टरी स्थापित करने के लिये पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो क्या उड़ीसा सरकार से इन संसाधनों की मात्रा तथा गुणावगुण के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान्। सरकार को यह ज्ञात है कि उड़ीसा के कुछ एक तटवर्त्ती स्थानों पर साधारण नमक का उत्पादन होता है जो कि कास्टिक सोडा तथा कपड़े धोने के सोडे राख के निर्माणार्थ महत्वपूर्ण कच्चा माल है।

(ख) उड़ीसा सहित सभी राज्य सरकारों को एक प्रश्नावली भेजी गई है जिस में उन से देश के ऐसे उपयुक्त स्थानों के विषय में जानकारी भेजने के लिए कहा गया है जहां कपड़े धोने के सोडे तथा कास्टिक सोडे की फैक्टरियां स्थापित की जा सकें।

श्री मुनिस्वामी : क्या यह सत्य है कि कागज़ की मिलों में देशीय कास्टिक सोडे का निर्माण किया जा रहा है, और यदि किया जा रहा है तो क्या वह जनसाधारण के उपयोग के लिए उपलब्ध है ?

श्री करमरकर : मेरे पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है । उन में से कुछ एक कास्टिक सोडा बना रही हैं, किन्तु मेरे विचार में वह सामान्य उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं है । मैं ठीक से नहीं कह सकता ।

श्री संगण्णा : इन खनिजों के उपयोगार्थ सरकार ने क्या पग उठाए हैं ?

श्री करमरकर : धगांध्र कैमिकल्ज़ तथा टाटा कैमिकल्ज़ अपनी उत्पाद सामर्थ्य को बढ़ा कर ६०,००० टन तक ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं । कुछ अन्य सार्थों को भी कास्टिक सोडा की १०,००० टन तक की अधिक मात्रा के निर्माण के हेतु लाइसेंस दिए गए हैं। और अधिक सम्भाव्यताओं का पता लगाने के लिए हम ने सभी राज्य सरकारों को जानकारी के लिए लिखा है।

श्री संगण्णा : क्या उन स्थानों पर जहां यह रसायन तथा खनिज पदार्थ उपलब्ध होंगे वहां फैक्टरियां स्थापित की जाएंगी ?

श्री करमरकर : यह केवल खनिजों का ही प्रश्न नहीं है, अन्य कारकों का भी है । सभी कारकों को ध्यान में रखा जाएगा ।

डा० लंका सुन्दरम : क्या सरकार को यह विदित है कि आंध्र सरकार विशाखापटनम क्षेत्र में, कास्टिक सोडा फैक्टरी बनाने जा रही है, और यदि ऐसा है, तो सरकार उनकी किस प्रकार से सहायता करेगी ?

श्री करमरकर : मैं आंध्र सरकार की सिफारिशों का अवगत नहीं हूं, किन्तु मैं इस विषय में पूछताछ करूंगा ।

श्री एन० एल० जोशी : क्या मैं बाहर से आयात किए जाने वाले कास्टिक सोडा का मूल्य जान सकता हूं ।

श्री करमरकर : अप्रैल से दिसम्बर, १९५३ तक १,९७,०९,००० रुपये का सोडा कास्टिक आयात किया गया था और उसी कालावधि में ७९,५६,००० रुपये का कपड़े धोने का सोडा मंगाया गया था ।

कोयला

*१८५७. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **उत्पादन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में देश में उत्पादित कोयले की कुल मात्रा ; तथा

(ख) १९५१ तथा १९५२ के आंकड़ों की तुलना में यह आंकड़ा कैसे उतरता है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) तथा (ख) .

१९५१	३४,३०७,५६३ टन
१९५२	३६,२२२,५३१ टन
११५३	३५,८४६,८९८ टन

श्री के० पी० सिन्हा : क्या यह सच है कि यातायात की सुविधाओं की कमी के परिणामस्वरूप कोयले का उत्पादन कम हो रहा है, और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या पग उठाने का विचार है ?

श्री आर० जी० दुबे : यह सच है । एक कठिनाई पर्याप्त परिवहन की अनुप-

लब्धता है और जैसा मैं एक पूर्व अवसर पर बता चुका हूं, योजना आयोग इस समस्या पर विचार कर रहा है।

श्री के० पी० सिन्हा: क्या हमारे विदेशी बाजारों में कमी हो रही है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : उत्पादन में कमी होने के कारण तथा माल डिब्बों की कमी होने के कारण हमारे विदेशी बाजारों में कमी नहीं हो रही है। विदेशी निर्यात बिलकुल भिन्न कारणों से पूर्ववत हैं।

श्री के० पी० सिन्हा: क्या मैं कारण जान सकता हूं ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस प्रश्न का उत्तर एक पहले अवसर पर दिया जा चुका है। अनुकूल परिस्थितियों के कारण सन् १९५१ और १९५२ में हमारे बाजार बहुत अच्छे रहे—कोरियाई युद्ध तथा अन्य कारणों से। ये कारण अब समाप्त हो चुके हैं और अब हमारे सामान्य बाजारों पर ही निर्भर है। यही कारण है कि सन् १९५३ में कोयले के निर्यात में कमी हुई है।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत गवेषणा केन्द्र, पूना

*१८५८. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय जल तथा विद्युत गवेषणा केन्द्र पूना द्वारा नमूनों तथा ढांचों के रूप में कितने प्रयोग किए गए हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित २५० समस्याओं पर ४,००० से अधिक प्रयोग केन्द्रीय जल तथा विद्युत गवेषण केन्द्र पूना द्वारा किए जा चुके हैं।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं जान सकता हूं कि नमूनों तथा ढांचों के सम्बन्ध में किए गए कितने प्रयोगों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है ?

श्री हाथी : अधिकतर मामलों में प्रयोग सफल सिद्ध हुए हैं और उनका अनुसरण किया गया है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं जान सकता हूं कि नमूनों तथा ढांचों के प्रयोगों पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

श्री हाथी : इस के लिए मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं जान सकता हूं कि किन्हीं अन्य केन्द्रों पर भी इस प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं, और यदि हां तो उनके परिणाम ?

श्री हाथी : भारत सरकार के अन्तर्गत तो नहीं किए जा रहे हैं।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस केन्द्र में विस्तार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो उसको क्रियान्वित करने में कितनी राशि व्यय होगी ?

श्री हाथी : इस केन्द्र में विस्तार करने की योजना है—भौतिक रसायनशाला में —किन्तु मैं यह बता सकने की स्थिति में नहीं हूं कि इसमें कितनी राशि व्यय होगी।

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस केन्द्र में कितने प्रयोगों की जांच की जा रही है ?

श्री हाथी : यह मैं नहीं कह सकता कि वस्तुतः कितनों की जांच की जा रही है। लेकिन मैं बता सकता हूं कि गत वर्ष ५८ प्रयोग किए गए थे।

निर्यात समितियां

*१८५९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) निर्यात की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के लिए क्या सरकार का निर्यात समितियां स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां तो कौन कौन सी वस्तुएं फिलहाल चुनी गई हैं ; और

(ग) ये समितियां किस प्रकार लाभप्रद हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां। महत्वपूर्ण वस्तूओं के लिए सरकार का विशेष निर्यात उन्नयन समितियों अथवा सगंठनों के विकास तथा स्थापना को प्रोत्साहित करने का विचार है।

(ख) सूती वस्त्र, कृत्रिम रेशम का सामान, इंजीनियरिंग का सामान, तम्बाकू, दस्तकारी की चीजें और नारियल की जटा की चीजें ।

(ग) निर्यात उन्नयन संगठनों से विज्ञापन करने, बाजार संबन्धी गवेषणा करने, प्रमापीकरण को प्रोत्साहित करने तथा किस्म में सुधार करने इत्यादि की आशा की जाती है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि इन वस्तुओं को किस आधार पर चुन लिया गया है ?

श्री करमरकर : अपेक्षाकृत महत्ता के आधार पर ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का इसी प्रकार की कुछ और वस्तुएं चुनने का विचार है ।

श्री करमरकर : जी हां, जैसे जैसे काम में हमारी प्रगति होगी । वास्तव में इस समय सूती वस्त्र निर्यात उन्नयन समिति बनाई जा चुकी है और कुछ अन्य बनाई जा रही हैं । जैसे जैसे कार्य प्रगति करेगा, निश्चय ही हम अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में इनका निर्माण करेंगे ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि जहां तक इन वस्तुओं के विक्रय का प्रश्न है, सरकार का इस सम्बन्ध में किस प्रकार गवेषणा करने का विचार है ?

श्री करमरकर : हमारे सामान्य दौतिक तथा वाणिज्यिक–स्त्रोत तो हैं ही । किन्तु इन निर्यात समितियों से अन्य बातों के साथ साथ इस पहलू पर भी ध्यान देने की आशा की जाती है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक कितनी निर्यात समितियां स्थापित की जा चुकी हैं और क्या इन समितियों में उपभोक्ता हितों को भी सम्मिलित किया गया है ?

श्री करमरकर : मेरे माननीय मित्र जानते ही हैं कि हमें निर्यात में वृद्धि करनी है और सरकार यह अवश्य ही ध्यान में रक्खेगी कि उससे अधिक निर्यात न किया जाए जितना कि उपभोक्तओं के हितों में उचित है ।

लंका में भारतीय जन

*१८६०. **श्री एस० एन० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि लंका में कुछ लोगों द्वारा भारतीय दूकानों तथा व्यापार का बायकाट करने का आन्दोलन किया जा रहा है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : लंका में इस प्रकार की बातें कुछ लोगों द्वारा की गयी हैं, किन्तु भारतीय दूकानों अथवा व्यापार का कोई संगठित बायकाट नहीं है।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस बायकाट का समर्थन करने वाले व्यक्ति किसी दल या संगठन विशेष के हैं ?

श्री अनिल क० चन्दा: उग्र राष्ट्रवादी दल जो श्री लंका स्वतंत्रता दल कहलाता है।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस भदभावयुक्त व्यवहार को दूर करने के लिए लंका के अधिकारियों द्वारा कोई कदम उठाए गये हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की मांग करके वे किसी प्रकार से विधि का उल्लंघन करते हैं। मुझे यह नहीं मालूम कि इस प्रकार के भाषणों के विरुद्ध लंका सरकार ने कोई कार्यवाही की है अथवा नहीं।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि लंका में भारतीय दूकानों की कुल कितनी संख्या है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे यह नहीं मालूम।

श्री रघुरामय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सरकार ने लंका सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया है कि इस प्रकार का प्रोपेगेंडा भारत–लंका सम्बन्ध के लिए बहुत हानिकर है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं समझता हूं कि यदि सरकार राजनीतिक नेताओं के इन सब भाषणों पर ध्यान देने लगे तब तो उसके लिए यह एक अति मानवीय भार बन जाएगा।

उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेंसी

*१७३५. **श्री कथम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर–पूर्वी सीमान्त एजेंसी के लिए अब तक कितने सामुदायिक परियोजना विकास खंड तथा राष्ट्रीय विस्तार खंड आवंटित किए गये हैं ; और

(ख) प्रत्येक में अब तक की गयी प्रगति ?

प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री जे० एन० हजारिका): (क) एक सामुदायिक विकास खंड और एक राष्ट्रीय विस्तार खंड।

(ख) सदन पटल पर एक विवरण रक्खा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३२]**

श्री कथम : क्या मैं जान सकता हूं कि इसकी कुल प्राक्कलित लागत क्या है और अब तक कितना व्यय किया जा चुका है ?

श्री जे० एन० हजारिका: विकास खंड के लिए ३१·६७ लाख रुपए और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड के लिए ७·५० लाख रु०। इन राशियों में से ३,५२,१७३ रु० अब तक व्यय किये जा चुके हैं।

श्री कथम : क्या मैं जान सकता हूं कि आदिम जाति के लोगों से कहां तक सहकार मिल रहा है ?

श्री जे० एन० हजारिका : विभिन्न बातों के विरुद्ध परम्परागत अन्ध-विश्वासों तथा रूढ़िवादिता के बावजूद भी वे पूरा सहकार दे रहे हैं। अब तक जो प्राक्कलन हम कर सके हैं उस के अनुसार सड़कें बनाने, नहरें खोदने तथा बेकार भूमि को खेती योग्य बनाने के कार्य में श्रम के रूप में उन्होंने १,८२,००० रु० का योग दिया है।

नोखू गांव के नागाओं को मुआवजा

*१७३७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** २२ अप्रैल, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५३५ का निदेश करके यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्या नोखू गांव पर किऐ गये हमले के परिणामस्वरूप मारे गये लोगों के रिश्तेदारों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में बर्मा सरकार ने अंतिम रूप से ब्यौरा तैयार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या विस्तृत सूचना सदन पटल पर रखी जाएगी ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) और (ख). यह तय किया गया था कि बर्मा का पोन्यो गांव हरजाने के रूप में १५,००० रु० जिन्स में देगा। उस में से ८९९७ रु० वसूल हो चुके हैं और शेष की वसली के लिए कार्यवाही की जा रही है।

श्री रिशांग किशिंग : क्या मैं जान सकता हूं कि यह राशि बर्मा सरकार द्वारा मुआवजे के रूप में दी गयी थी ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमें यह बर्मा सरकार के ज़रिए मिली थी, किन्तु मैं समझता हूं कि यह वास्तव में पोन्यो गांव वालों से वसूल की गयी थी।

श्री रिशांग किशिंग : क्या मैं जान सकता हूं उस घटना को कितना समय हो चुका है और मुआवजा देने में विलम्ब होने का क्या कारण है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जहां तक मुझे याद पड़ता है, यह घटना सं० १९५१ में घटी थी। सरकारी स्तर पर वार्तालाप चलने में कुछ समय गुजर गया। गत वर्ष से भुगतान किए जा रहे हैं, और जैसा कि माननीय सदस्य ने देखा होगा, १५,००० रु० में से ८००० रु० का भुगतान दिया जा चुका है, और शेष को हम आगामी कुछ मासों में दे देने की आशा करते हैं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि इस हमले में कितने व्यक्तियों की जानें गयीं और प्रति व्यक्ति पीछे कितना मुआवजा दिया जा रहा है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मेरे पास सारी सूचना मौजूद नहीं है, किन्तु मैं समझता हूं कि कुल मिलाकर ९३ व्यक्ती मारे गये थे। प्रश्न मानव जीवन का नहीं है, यह गांव को हुए नुकसान का प्रश्न है।

श्री वल्लाथरास : इस बात की दृष्टि में कि अनेक हत्याए हुई हैं, क्या सरकार ने दण्ड विधान के अंतर्गत कोई कार्यवाही की है ? क्या बर्मा सरकार से उन्हें बर्मा से निकाल देने के लिए कहा गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जी हां, हमने बर्मा सरकार से इस आक्रमणकारी दल के छः मुख्य अगुआओं को प्रत्यर्पण कर देने के लिए कहा है।

श्री वल्लाथरास : क्या सरकार को इन में से कोई लोग अब तक प्रत्यर्पण किए जा चुके हैं, और क्या कोई कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ हुई है ?

श्री अनिल के० चन्दा : इन व्यक्तियों ने अभी तक आत्म-समर्पण नहीं किया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

केन्द्रीय चाय बोर्ड का कार्यालय

*१८४३. **श्री रामानन्द दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय चाय बोर्ड मध्य कलकत्ते में अपने कार्यालय की इमारत बनाने का विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, प्रस्तावित भूमि का क्षेत्र और प्रति कट्टा उसका मूल्य ;

(ग) क्या बंगाल सरकार ने बोर्ड से अपना कार्यालय कल्याणी ले जाने की प्रार्थना की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) जी हां।

(ख) ११ कट्टा, १ छटाक, ३८ वर्ग फुट भूमि ५०,००० रु० प्रति कट्टा की दर पर चुन ली गयी है जिसका मूल्य-निर्धारण भूमि अर्जन कलक्टर, पश्चिमी बंगाल, द्वारा दिया गया था।

(ग) और (घ). पश्चिमी बंगाल सरकार ने सुझाव दिया था कि यह कार्यालय कल्याणी में स्थापित किया जा सकता है। और कर्मचारियों के क्वार्टर वहां बनाये जा सकते हैं। यह समझा जाता है कि बोर्ड का कार्यालय कल्याणी में स्थापित करना व्यवहार्य होगा।

सीमेंट

*१८४६. **श्री एच० जी० वैष्णव**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३ में हैदराबाद राज्य से कितना सीमेंट बाहर भेजा गया था ;

(ख) इसी वर्ष इस राज्य में बाहर से कितना सीमेंट आया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) १३८,६१३ टन।

(ख) १६,७२६ टन।

हैदराबाद में विस्थापित व्यक्ति

*१८५६. **श्री एच० जी० वैष्णव**: क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३ के अन्त तक हैदराबाद राज्य में कुल कितने विस्थापित व्यक्ति पुनर्वासित किए गये ; और

(ख) इस कार्य पर सरकार द्वारा कितना रुपया व्यय किया गया ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) हैदराबाद राज्य ने सरकारी सहायता से कोई भी विस्थापित व्यक्ति पुनर्वासित नहीं किए गये हैं। किन्तु कुछ सौ परिवारों को जो कि राज्य में आ गये थे और जो अधिकतर व्यापारी लोग थे स्वयं अपने साधनों से अपने आप बस जाने की सूचना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"सम्राट" फिल्म

३९३. **डा० एन० बी० खरे** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि "सम्राट" फिल्म में श्री कृष्ण जी की मूर्ति को तोड़ते हुए एक दृश्य दिखाया गया है जिसमें कि मुख्य अभिनेता श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति को तोड़ता है ;

(ख) क्या सरकार को इस दृश्य के विरोध में कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार फिल्म के इस भाग को हटा देने का है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग). सरकार को विरोध का एक पत्र मिला है और इस फिल्म के सम्बन्ध में हुई विरोध-सभा का समाचार भी सरकार ने देखा है। फिल्म के प्रमाणित करने सम्बन्धी कार्यवाही का अभिलेख मंगाया गया और सरकार ने भी फिल्म के उस भाग को देखा। यह पाया गया कि यद्यपि फ़िल्म में एक अभिनेता ने मूर्ति तोड़ने की मंशा जाहिर की थी, मूर्ति वास्तव में अभिनेताओं में से एक के गिरने से संयोगवश टूट जाती है। फिल्म के बाद के घटनाचक्र में मूर्ति के प्रति कोई अनादर प्रदर्शित नहीं किया गया है वरन् इसकी उलटी बात है। इस लिए कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

काजू उद्योग

३९४. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को काजू उद्योग के प्रतिनिधियों से कोई स्मृति-पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) मुख्यतः निम्नलिखित के सम्बन्ध में सहायता की अपेक्षा की गयी है :

(१) काजू की खेती क्षेत्र में वृद्धि ;

(२) वित्तीय सहायता ;

(३) विक्रय-कर से मुक्ति ;

(४) नए बाजारों की खोज ;

(५) काजू का खुली सामान्य अनुज्ञप्ति से हटा लिया जाना ; और

(६) न्यूनतम मजूरी अधिनियम से विमुक्ति। अधिकतर बातों का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है। भारत सरकार ने नए बाज़ारों की खोज के लिए कदम उठाए हैं। जर्मनी, पौलैन्ड और जेकोस्लोवाकिया से किए गये व्यापारिक समझौतों की अनुसूचियों में काजू को भी सम्मिलित किया गया है। काजू को खुली सामान्य अनुज्ञप्ति से हटाने के मामले पर त्रावनकोर-कोचीन की राज्य सरकार की मंत्रणा से विचार किया जा रहा है।

तदर्थ आयात लाइसेंस

३९५. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री उन फर्मों की संख्या दर्शाते हुए सदन पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिनको कि तदर्थ आधार पर (१) सोडियम सल्फाइड, (२) सोडा एश और (३) ब्लेन फिक्स को पश्चिमी जर्मनी से आयात करने के लाइसेंस दिए गये है और अक्तूबर से दिसम्बर, १९५३ के काल में कितनी मात्रा तथा मूल्य के आयात लाइसेंस दिए गये ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : एक विवरण सम्बद्ध किया जाता है **[देखिए परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३३]**

दस्तकारी विकास समिति

३९६. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या प्रस्तावित दस्तकारी विकास समिति स्थापित की गई है, और

क्या सरकार ने उसे अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड द्वारा महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को सीधे कार्यान्वित कराने में समक्ष बनाने के लिए पैसे सौंप दिये हैं ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस समिति की रचना तथा इसका निश्चित कृत्य और अब तक इस समिति को सौंपी गयी धनराशि ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). विकास योजनाओं का कार्य सीधे अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड के कार्य पालिका समिति को सौंपा गया है । अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड के नाम से वैयक्तिक खाता खोल दिया गया है जिससे वे दस्तकारी के विकास के लिए सरकार द्वारा अनुमित योजनाओं पर खर्च कर सकते हैं । शुरू में इस वैयक्तिक खाते में २०,००० रुपये जमा किये गये हैं और पिछले महीने में व्यय हुई राशि की पूर्ति हर महीने के प्रारंभ में कर दी जाएगी ।

दस्तकारी की वस्तुओं को प्रोत्साहन

३९७. **श्री तेलकीकर**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३, अगस्त १९५३ को पूछ गये तारांकित प्रश्न संख्या ५० के उत्तर का निर्देश करते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि किन राज्यों ने अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड की सिफारिश के अनुसार राज्यपाल-गृहों तथा अन्य सरकारी भवनों को दस्तकारी की वस्तुओं से वास्तव में सजाया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : विदित हुआ है कि सब राज्यों के राज्यपाल-गृहों तथा अन्य सरकारी भवनों के लिए दस्तकारी तथा कुटीर उद्योगों की वस्तुएं खरीदी जा रही हैं ।

आकाशवाणी

३९८. **श्री इलयापेरुमल**: क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देहली, मद्रास तथा त्रिचनापली के आकाशवाणी केन्द्रों में इस समय कितने अनुसूचित जाति के लोग काम कर रहे हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):

आकाशवाणी केन्द्र,	देहली	१४
,,	, मद्रास	२३
,,	,, तिरुची	६

कम लागत के मकानों की प्रदर्शनी

३९९. **श्री बी० के० पटेल** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कम लागत के मकानों की प्रदर्शनी पर केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय ;

(ख) प्रवेश टिकटों, विभिन्न स्टालों के शुल्कों तथा अन्य स्त्रोतों से हुई कुल आय ; तथा

(ग) प्रदर्शनी देखने आये हुए प्रेक्षकों की कुल संख्या ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) प्रदर्शनी ३१ मार्च १९५४ को समाप्त हुई और उसका हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है । अनुमान है कि व्यय लगभग ८.७ लाख रुपए का होगा ।

(ख) ३·५ लाख रुपए ।

(ग) लगभग ४ लाख ।

सत्यमेव जयते

शनिवार,
१७ अप्रैल, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

अंक ४--१७ अप्रैल से ४ मई, १९५४

	पृष्ठ भाग
शनिवार, १७ अप्रैल, १९५४	
सदन पटल पर रखे गये पत्र—	
तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग, कोरिया के प्रतिवेदन और चुने हुए दस्तावेज	३४३९
आवश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना—	
दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशान्त महा सागर के लिये सामूहिक रक्षा की व्यवस्था	३४३९–३४४३
सदन का कार्यक्रम	३४४३–३४४५
अनुदानों की मांगें—	
मांग संख्या २६–वित्त मंत्रालय	३४४६–३४८७
मांग संख्या २७–सीमा शुल्क	३४४६–३४८७
मांग संख्या २८–संघ उत्पादन शुल्क	३४४६–३४८७
मांग संख्या २९–निगम कर तथा संपत्ति शुल्क समेत आय पर कर	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३०–अफीम	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३१–स्टाम्प्स	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३२–अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा कोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि का भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३३–लेखा-परीक्षा	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३४–मुद्रा	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३५–टकसाल	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३६–प्रादेशिक तथा राजनैतिक पेंशनें	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३७–वृद्धावकाश भत्ता तथा निवृत्ति वेतन	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३८–वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३९–राज्यों को सहायक अनुदान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४०–संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४१–असाधारण भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४२–विभाजन पूर्व के भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ११५–भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजीव्यय	३४४६–३४८७

	पृष्ठ भाग
मांग संख्या ११६—मुद्रा पर पूंजी व्यय	३४४६—३
मांग संख्या ११७—टकसाल पर पूंजी व्यय	३४४६—३४
मांग संख्या ११८—निवृत्ति वेतनों का परिगत मूल्य	३४४६—३४८७
मांग संख्या ११९—छंटनी किये गये व्यक्तियों को भुगतान	३४४६—३४८८
मांग संख्या १२०—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४४६—३४८७
मांग संख्या १२१—केन्द्रीय सरकार द्वारा देय ऋण तथा अग्रिम धन	३४४६—३४८
मांग संख्या ७०—विधि मंत्रालय	३४८७—३४८
मांग संख्या ७१—चाय-व्यवस्था	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७२—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७३—भारतीय भूपरिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७४—वानस्पतिक सर्वेक्षण	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७५—प्राणकीय परिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७६—भूतत्वीय परिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७७—खानें	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७८—वैज्ञानिक गवेषणा	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७९—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४८७—३४८८
मांग संख्या ८०—संसद् कार्य विभाग	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०७—संसद्	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०८—संसद् सचिवालय के अधीन विविध व्यय	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०९—उपराष्ट्रपति का सचिवालय	३४८७—३४८८
मांग संख्या १३१—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४८७—३४८८
विनियोग (संख्या २) विधेयक—पारित	३४८८—३४८९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की छठी रिपोर्ट स्वीकृत	३४८९—३४९
केन्द्र में प्रशासन-तन्त्र तथा कार्यप्रणाली के विषय म संकल्प—असमाप्त	३४९०—३५३८
सोमवार, १९ अप्रैल, १९५४	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—शकूर बस्ती आर्डिनेन्स डिपो में गड़बड़	३५३९—३५४२
सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित	३५४२—३५४३
वित्त विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३५४३—३६१६

पृष्ठ भाग

मंगलवार, २० अप्रैल, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण ३६१७–३६१८

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में संयुक्त समिति—द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन ३६१७

वित्त विधेयक—असमाप्त ३६१८–३६८८

बुधवार, २१ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश—

शिलांग (राइफल रेंज तथा उमलांग) छावनियां विधि आत्मसात्करण विधेयक—परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ३६८९

हिमाचल प्रदेश तथा बिलासपुर (नया राज्य) विधेयक—परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ३६८९

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

भारत भण्डार विभाग द्वारा अस्वीकृत टेण्डरों सम्बन्धी वक्तव्य ३६९०

"भारत में फ्रेंच बस्तियां" नामक दस्तावेज ३६९०

वित्त विधेयक—विचार प्रस्ताव—स्वीकृत ३६९०–३७६२

बृहस्पतिवार, २२ अप्रैल, १९५४

याचिका समिति—पहली रिपोर्ट का उपस्थापन ३७६३

सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिशें ३७६३–३७६४

वित्त विधेयक—संशोधित रूप में पारित ३७६४–३८६८

क्रवार, २३ अप्रैल, १९५४

सदन का कार्य ३८६९–३८७०

सरकारी विधेयकों का क्रम ३८७०–३८७२

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित ३८७२–३८८४

स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक—पारित ३८८४–३९०४

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ३९०४

अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक—वादविवाद स्थगित ३९०५–३९२०

खाद्य पदार्थ अपमिश्रण दंड विधेयक—वादविवाद स्थगित ३९२०–३९३०

महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—अमसाप्त ३९३०–३९४६

शनिवार, २४ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद से संदेश ३९४७–३९४८, ४०४२

हिन्दचीन के विषय में वक्तव्य ३९४८–३९५६

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक––संशोधित रूप में पारित ३९५६–३९७३

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक––संशोधित रूप में पारित ३९७३–४०३९

लुशाई पहाडी जिला (नाम परिवर्तन) विधेयक––पारित ४०४०–४०४२

विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक– विचार करने का प्रस्ताव––असमाप्त ४०४२–४०४४

सोमवार, २६ अप्रैल, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र–– ४०४५–४०४६

परिवहन मंत्रालय अधिसूचना संख्या ९–पी० आई० (२५०) ५३, दिनांक १५–२–५४

कलकत्ता बन्दरगाह आयोग के लिये निर्वाचित आयुक्तों के स्थानों का पुनर्वितरण दिखाने वाला विवरण

परिवहन मंत्रालय अधिसूचना संख्या १३–पी० आई० (१२४) ५३, दिनांक १५–२–५४

मद्रास बन्दरगाह न्यास के लिये निर्वाचित न्यासधारियों के स्थानों का पुनर्वर्गीकरण दिखाने वाला विवरण ४०४६–४०५२

विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक––पारित ४०५४–४०६९

जनता के लिये तात्कालिक महत्वपूर्ण-विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना ––

माओ-माओ आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के सन्देह में सामूहिक रूप से नैरोबी स्थित भारतीय आयुक्त के कार्यालय की तलाशी ४०५२–४०५४

औषधि तथा जादुई चिकित्सा (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक– पारित ४०६९–४१०५

संघीय प्रयोजनों के लिये भूमि का राज्य द्वारा अर्जन (मान्यीकरण) विधेयक–– पारित ४१०५–४१०८

भारतीय रेलवे (द्वितीय संशोधन) विधेयक––पारित ४१०९–४११८

मंगलवार, २७ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ४११९

याचिका-समिति––द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन ४११९

खाद्य स्थिति-याचिका प्राप्त ४११९

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

उत्तर बिहार को कोयला तथा सीमेंट ले जाने के लिये अपर्याप्त परिवहन सुविधायें ४१२०–४१२२

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक–पुरःस्थापित ४१२२

कारखाना (संशोधन) विधेयक––पारित करने के लिये प्रस्ताव–– असमाप्त ४१२२–४१८२

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक–– परिषद् द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया ४१८२

बुधवार, २८ अप्रैल, १९५४

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

माही के निकट फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा भारतीय संघ के नागरिकों पर गोली वर्षा ४१८३–४१८४

स्थगन प्रस्ताव—

माही के निकट फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा भारतीय संघ के नागरिकों पर गोली-वर्षा ४१८४–४१८९

कारखाना (संशोधन) विधेयक—पारित ४१८६–४१८९

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक—पारित ४१८९–४२१४

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने तथा परिचालित करनें का प्रस्ताव—असमाप्त ४२१४–४२६०

बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों सम्बन्धी समिति—

सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ४२६१

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ४२६१–४३३६

शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ४३३७

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

भारत सरकार तथा नेपाल सरकार के बीच कोसी परियोजना के सम्बन्ध में हुआ समझौता ४३३७

भारत के औद्योगिक वित्त निगम के सामान्य विनियमों में संशोधन ४३३८

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् का १९५१–५२ वर्ष के लिये प्रतिवेदन ४३३९

तारांकित प्रश्न संख्या १२० के उत्तर में शुद्धि ४३३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना—

माही में फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा गोली वर्षा ४३३९–४३४१

स्थगन प्रस्ताव—

फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा माही के निकट गोली वर्षा ४३४१

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ४३४१–४३६०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सातवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४३६०–४३६५

केन्द्र में प्रशासन तंत्र तथा कार्य प्रणाली सम्बन्धी संकल्प--अस्वीकृत ४३६६–४३९१

हाथ करघा उद्योग के लिये साड़ियों तथा धोतियों के उत्पादन के संरक्षण संबंधी संकल्प--असमाप्त ४३९१–४४०२

शनिवार, १ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

केन्द्रीय रेशम बोर्ड का बुलेटिन संख्या १९ ४४०३

भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक सम्बन्धी वक्तव्य ४४०३–४४०९

समवाय विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४४१०–४४९६

सोमवार, ३ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

विनियोग लेखे (डाक तथा तार), १९५१–५२ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५३ ४४९७

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--स्वीकृत ४४९७-४५५१

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४५५१–४५७६

मंगलवार, ४ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या १० ४५७७

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४५७७ ४६४८

GIPD—HS—477 L. S.—3-1-55—285

लोक सभा

शनिवार, १७ अप्रैल १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

२. ४८ म. प.

सदन पटल पर रखे गये पत्र

तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग, कोरिया के प्रतिवेदित और चुने हुए दस्तावेज

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा) : १६ मार्च, १९५४ को सदन पटल पर रखे गये प्रधान मंत्री के कोरिया सम्बन्धी वक्तव्य के पैरा १७ में दिये गये आश्वासन के अनुसार मैं तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग के प्रतिवेदनों और चुने हुए दस्तावेजों की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखे गये देखिये संख्या ए-११६/५४]

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना

दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत सागर के लिये सामूहिक रक्षा की व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय : श्री साधन गुप्त ने नियम २१५ के अधीन प्रधान मंत्री का ध्यान निम्न अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करते हुये अनुरोध किया है कि वह उस पर एक वक्तव्य दें :

> "लंदन और वाशिंगटन से एक साथ प्रकाशित विज्ञप्तियां चिन में कहा गया है कि ब्रिटेन और स० रा० अमरीका अन्य देशों के साथ दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत सागर के लिये सामूहिक रक्षा व्यवस्था की जांच करने को तैयार हैं और श्री ईडन का व्याख्यात्मक वक्तव्य कि वह और श्री डलेस दक्षिण पूर्व एशिया में अतलांतिक संधि जैसी संधि का विचार कर रहे हैं ।"

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री दौरे पर बाहर गये हुये हैं । उन्होंने मुझसे कहा है कि इंगलैंड सरकार तथा सं० रा० अमरीका के राज्य सचिव श्री डलेस के बीच हुई बातचीत के निष्कर्ष पर लंदन तथा वाशिंगटन से प्रकाशित विज्ञप्ति के विषय में उन के इस वक्तव्य को मैं सदन में पढ़ दूं ।

[श्री अनिल के० चन्दा]

"सरकार को लंदन तथा वाशिंगटन में प्रकाशित होने के कुछ ही पहले विज्ञप्ति की प्रतिलिपि मिली थी। उसके पास यह इंगलैंड के उच्चायुक्त द्वारा पारस्परिक हित तथा महत्व के विषयों पर राष्ट्रमंडलीय देशों के बीच सूचना के आदान-प्रदान की सामान्य प्रक्रिया के रूप में अपनी सरकार की ओर से सूचनार्थ भेजी गई थी। भारत सरकार और इस विषय में सम्बन्धित किसी अन्य सरकार के बीच इस बारे में और कुछ परामर्श या बातचीत नहीं हुई है"।

१४ अप्रैल की शाम को इंगलैंड के उच्चायुक्त ने हमें बताया कि इंगलैंड के वैदेशिक कार्य राज्य सचिव ने उन से कहा है कि वह हमसे पूछे कि श्री डलेस के साथ हुई इस सरकार की बातचीत के विषय में, जैसा कि संयुक्त विज्ञप्ति में बताया गया है, हमारे विचार क्या हैं।

यह संयुक्त विज्ञप्ति इंडोचीन के व्यापक तथा गम्भीर प्रश्न का एक अंग मात्र है, जो सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और देश में लोगों को चिन्ता में डाल रहा है।

इन मामलों में भारत सरकार की साधारण नीति सर्वविदित है और उसकी पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं है। सरकार अपनी उस नीति के सुनिर्धारित तथा दृढ़ सिद्धान्तों से विचलित नहीं होना चाहती। इस नीति का लक्ष्य शांति स्थापित करना और शांतिपूर्ण उपायों, बातचीतों और समझौतों से झगड़ों का समाधान करना है, आगे संघर्ष बढ़ाने की धमकियां देना नहीं या ऐसी स्थिति उत्पन्न करना नहीं, जो एक दूसरे पक्ष को धमकी या बातचीत कराने के लिये बल प्रदर्शन हो। इस नीति को ध्यान में रखते हुये और इंडोचीन में युद्ध चलते रहने के गम्भीर कुपरिणामों पर विचार करते हुये भारत सरकार ने सभी सम्बन्धित पक्षों से—सरकारों और जनता से सार्वजनिक अनुरोध किया था कि यह युद्ध बंद किया जाय। यह किसी राजनैतिक, सैनिक प्रादेशिक या अन्य अन्तर्ग्रस्त समस्या को बढ़ा दिये बिना ही किया गया था। जैसा उस समय बताया गया था सरकार का विचार इस विषय में हस्तक्षेप करना न था, बल्कि उसे पूरी आशा थी कि इस सुझाव का, जो किसी समस्या पर प्रभाव नहीं डालता, स्वागत किया जायेगा। सरकार को यह देख कर प्रसन्नता है कि पड़ोसी एशियायी देश बर्मा, और इंडोनेशिया ने तथा कनाडा के प्रधान मंत्री ने, जो सौभाग्य से इस समय हमारे सम्मानित अतिथि हैं, स्वागत किया। सरकार ने इस पर भी ध्यान दिया कि स्वयं फ्रांस में भी इस सुझाव पर बहुत चाव दिखाया गया और उसका बहुत स्वागत किया गया जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि फ्रांस में भी, देश में तथा संसद में, हमारे सुझाव का स्वागत किया गया है। युद्ध विराम का प्रश्न हमारे विचार से अब भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और उससे आगे बातचीत का मार्ग प्रशस्थ हो सकता है।

सरकार ने जेनेवा सम्मेलन का स्वागत किया है और उसे आशा है कि उस सम्मेलन में युद्ध विराम तथा बातचीत द्वारा समझौते पर पहुंचने के लिये प्रत्येक संभव उपाय अपनाया जायेगा। सदा से हमारा यह विचार रहा है कि बातचीत से पहले धमकियां देने या सैनिक कार्यवाहियां बढ़ा देने से, जिनका अभिप्राय बातचीत पर प्रभाव डालना होता है, बातचीत में कोई सहायता नहीं मिलती।

स्वयं विज्ञप्ति के विषय में जहां तक पश्चिमी देशों द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के लिये सामूहिक रक्षा समझौते का सम्बन्ध है, सरकार की नीति और विचार सर्वविदित है, और वे अब भी अपरिवर्तित हैं।

मेरा विचार है कि इस समूची समस्या या हाल की हलचलों के विषय में, जिन्होंने में तथा सारी दक्षिण पूर्व एशिया को गम्भीर या भारी चिन्ता में डाल दिया है, सरकार ो स्थिति के बारे में एक पूरा-पूरा वक्तव्य दिया जाये। आशा है सदन इस बात में मुझ ो सहमत होगा कि समूची समस्या को लेने वाला तथा जेनेवा सम्मेलन के समय दिया गया एक विस्तृत वक्तव्य अधिक उपयुक्त होगा और इस समय की अपेक्षा कुछ देर बाद उस समय अधिक उपयोगी सिद्ध होगा।

सदन का कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय : कार्यक्रम परामर्श-दात्री समिति ने १४ अप्रैल, १९५४ की बैठक में सरकारी विधान-कार्यवाही के लिये निम्न प्रकार से समय का आवंटन किया है :—

विधेयक का नाम	नियत किया गया समय
१. न्यूनतम मजूरी (संशोधन विधेयक)	२ घंटे
२. संघीय प्रयोजनों के लिये भूमि का राज्य द्वारा अर्जन (मान्यीकरण) विधेयक ३. विलीन क्षेत्र (विधियां) विधेयक ४. लुशाई पहाड़ी ज़िला (नाम परिवर्तन) ५. औषधि तथा जादुई चिकित्सा (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक ६. भारतीय रेलवे (द्वितीय संशोधन) विधेयक	५ घंटे
७. कारखाना (संशोधन) विधेयक	५ घंटे
८. स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण विमुक्ति) संशोधन विधेयक	१ घंटा
९. पुस्तकों का प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक	१ घंटा
१०. उच्च न्यायलयों के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक	४ घंटे
११. दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	१२ घंटे
१२. सदस्यों के यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते विधेयक	२ घंटे
१३. वित्त विधेयक	१६ घंटे
१४. विशेष विवाह विधेयक	८ घंटे
१५. हिंदू विवाह तथा विवाह विच्छेद विधेयक	१० घंटे
१६. समवाय विधेयक	१६ घंटे

उक्त समय की पूर्ति के लिये समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सदन २४ अप्रैल, और १, ८ और १५ मई को शनिवारों को भी समवेत हो।

उक्त समिति सदन के सभी विचारों और वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है और यद्यपि प्रत्येक सदस्य को संतुष्ट कर सकना तो संभव नहीं है, तथापि प्रत्येक दृष्टिकोण पर विचार करते हुये समिति बहुमत से नहीं, बल्कि सदैव एकमत से निर्णय करती है।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित अनु० जातियां) : तो क्या हम यह समझें कि प्रस्तुत सत्र १५ को अवश्य समाप्त हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : हां, इन बातों के बारे में कुछ तो निश्चित होना चाहिये। यह प्रतिवेदन बुलेटिन में प्रकाशित कर दिया जायेगा और समय के नियतन के बारे में सदन का आदेश समझा जायेगा। सरकार से अनुरोध है कि सोमवार, १९ तारीख तक विधेयकों की प्राथमिकता का निश्चय कर दे कि वह उनको किस क्रम में लेना चाहती है।

[अध्यक्ष महोदय]

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) मुझे भय है कि सरकार के लिये सोमवार तक इसका निश्चय करना कठिन होगा, पर मैं इतना आश्वासन अवश्य दे सकता हूं कि अगले सप्ताह की समाप्ति से पूर्व प्राथमिकतायें सूचित कर दी जायेंगी ।

अध्यक्ष महोदय : आयव्ययक-चर्चा २० को पूरी हो जायेगी ।

श्री सत्यनारायण सिन्हा : वित्त विधेयक चार दिन अर्थात् अगला सारा सप्ताह ले लेगा ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय संसद् कार्य मंत्री का अभिप्राय वस्तुतः यह नहीं है कि उन्होंने प्राथमिकता निश्चित करने की बात ही स्थगित कर दी है । वित्त विधेयक तत्काल लिया जा रहा है और इससे प्रथम प्राथमिकता निश्चित हो गई । शेष विधेयकों के बारे में वह वित्त विधेयक की चर्चा के सिलसिले में प्राथमिकता बता सकते हैं (**अन्तर्बाधायें**) माननीय सदस्यगण मेरे बोलने में बाधा न दें । इससे विभिन्न विधेयकों में रुचि लेने वाले सदस्य अपना कार्यक्रम निश्चित कर सकेंगे । और यथा समय संशोधन भेज सकेंगे । प्राथमिकता निश्चित कर देने का यही लाभ है ।

डा० लंकासुन्दरम् : तो इसका अर्थ यह समझा जाय कि सरकार सत्र के अन्त तक अन्य नये विधेयक प्रस्तुत न करेगी, या समय न होने का बहाना करके अध्यादेश न निकालेगी।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति अध्यादेश पृथक बात है, जिस पर अभी बात करने के लिये मैं सक्षम नहीं हूं, यह सदन के स्थगित होने के बाद की परिस्थितियों पर निर्भर होगा । परन्तु जैसा बतलाया जा रहा है, अभी इतना ही कार्यक्रम है और सत्र आगे बढ़ाया भी न जायेगा ।

अनुदानों की मांगें

अध्यक्ष महोदय : अब सदन वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर, जो १५ अप्रैल १९५४ को प्रस्तुत की गई थीं, तथा १५ अप्रैल १९५४ को प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्तावों पर आगे विचार विमर्श करेगा तथा मतदान करेगा ।

उत्तर देने में वित्त मंत्री कितना समय लेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) एक घण्टा, श्रीमान् ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम विचार विमर्श करेंगे ।

श्री के० के० बसु ।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरांग): श्रीमान्, पिछले दिन मैं बोल रहा था । मैं केवल पांच मिनट ही बोल पाया था कि ७ बज गये और सदन की बैठक स्थगित हो गई । मैं ने अपना वक्तव्य समाप्त नहीं किया था अपितु सदन की बैठक स्थगित हो गई थी ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार यह था कि माननीय सदस्य ने अपना वक्तव्य समाप्त कर दिया था । परन्तु यदि वह कहते हैं कि उन्होंने अपना वक्तव्य समाप्त नहीं किया था तो निश्चय ही मैं पहले उन्हें बुलाऊंगा ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : दूसरी बात जिस पर मैं विचार व्यक्त करना चाहता था वह पौंड पावना के विषय में थी । "सेन्सस आफ इण्डिया फारीन लायबिलिटीज़ एण्ड ऐसेट्स" के पृष्ठ १२ पर उल्लेख है कि पौंड पावना में हमारा एक सक्रिय खाता है जिसमें हमें केवल एक प्रति शत लाभ होता है । इसकी अपेक्षा इस देश में अंग्रेज़ों की आस्तियां हैं और

नें से उन्हें १० से लेकर २० करोड़ रुपये क प्रति वर्ष लाभांश प्राप्त होता है। जब वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय हमारे लिये ह अच्छा होता कि हम इन पौंड आस्तियों क कुछ प्रति शत को उन दायित्वों से जो औद्योगिक तथा अन्य संस्थापनों के रूप में इस देश में हैं, बदल लेते। इसका परिणाम यह होता कि पौंड पावना का भुगतान भारत में ही अर्जित लाभ से न होता। यदि इन संस्थापनों को आरम्भ में समाप्त कर दिया जाता तो ऐसा न होता और एक लाभ यह भी होता कि हमारे व्यक्तियों को रोज़गार प्राप्त हो जाता।

विदेशियों को इस देश में आ कर रुपया लगाने के सम्बन्ध में मेरा विचार है कि रुपया लगाने के लिये आमंत्रित करने की अपेक्षा ऋण लेना उत्तम है। क्योंकि ऋण पर व्याज की अपेक्षा लगे धन पर लाभांश की मात्रा सदैव ही अधिक होती है। अतः मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस बात पर भी विचार करें कि विदेशों से निजी धन विनियोग की अपेक्षा ऋण कितना प्राप्त किया जा सकता है।

[श्रीमती खोंगमेंन पीठासीन हुईं]

तीसरी बात जिसके बारे में मैं विचार व्यक्त करना चाहता था वह वैत्तिक नियंत्रण की है। जब तक कि सरकार का आकार प्रकार इस सरकार का एकमात्र कार्य था, उस समय वैत्तिक नियम अति उत्तम रहे होंगे। परन्तु जब से हमने सरकारी काम पर एक विकास कार्यक्रम आरम्भ किया है, तब से यह आवश्यकता उत्पन्न हो गई है कि वैत्तिक नियमों को व्यय की आवश्यकता तथा महत्व के अनुकूल बनाया जाये। दामोदर घाटी निगम तथा अन्य निगमों में धन का किस प्रकार अनुचित प्रयोग किया गया है, यह बात प्रकट होने से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यय के नियंत्रण सम्बन्धी वर्तमान वैत्तिक नियम विकास के ढांचे में बचत वाले नहीं हैं। अतः यह आवश्यक है कि सरकार इन नियमों पर पुनः बिचार करे तथा यह पता लगाये कि इन्हें किस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जा सकता है।

स्थानीय व्यय तथा स्थानीय कार्यक्रमों के सम्बन्ध में मेरा विचार है कि सरकार को अभी और विचार करना पड़ेगा क्योंकि इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि व्यय अनुसूची को जन साधारण के उपक्रम जनता में उत्साह तरंगित हो रहा है, तो जनता से श्रम दान तथा स्वेच्छापूर्वक कार्य करने के रूप में पर्याप्त सहायता प्राप्त की जा सकती है। परन्तु यदि जनता तथा व्यय में यह अन्योन्याश्रय न हो तो उनका उत्साह ठंडा पड़ जायेगा तथा व्यय लाभदायक ढंग में नहीं किया जा सकता है। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से इस बात पर विचार करने के लिये निवेदन करता हूं कि स्थानीय विकास कार्यों के व्यय के सम्बन्ध में अकेन्द्रीयकरण किस सीमा तक हो सकता है ताकि जनता के उत्साह का लाभप्रद ढंग से उपयोग किया जा सके। मेरा विचार है कि ऐसा करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है और यदि इस बात पर ध्यान न दिया गया तो हमारी आगामी योजना में बड़ी कठिनाई होगी। क्योंकि उसमें जनता के सहयोग की बड़ी आशा प्रकट की गई है। यह सहयोग इस देश में केवल स्वेच्छा पूर्वक कार्य के रूप में प्राप्त हो सकता है। यदि इसमें नियम बाधक होते हैं तो स्पष्ट है कि इस पर माननीय वित्त मंत्री को विचार करना चाहिये।

अभिनवीकरण का प्रश्न उठाया गया था। कोई भी व्यक्ति अभिनवीकरण का विरोध नहीं करता परन्तु यंत्रों से स्वयं

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

गतिकरण का विरोध किया जाता है। यदि जूट उद्योग में अभिनवीकरण होता है तो अधिकतम बिहारी मजदूर बेकार हो जायेंगे। यदि स्वयं गतिकरण किया जाता है तो बहुत बड़ी संख्या में हाथ से काम करने वाले तथा अशिल्पिक मज़दूर बेकार हो जायेंगे।

जहां तक उत्पादकों का सम्बन्ध है, यह मानी हुई बात है कि बिहार की अधिकतर कृषि-अर्थव्यवस्था उस धन पर निर्भर है जो भारत के विभिन्न भागों से बिहारी औद्योगिक मज़दूर प्रेषित करते हैं। यदि ये मज़दूर बेकार हो जाते हैं तो बिहार की धन लाने वाली फसलें समाप्त हो जायेंगी।

अभिनवीकरण के पक्ष में मुख्य तर्क यह है कि इससे वस्तुयें सस्ती हो जायेंगी। परन्तु श्री अम्बालाल साराभाई ने विश्लेषित ढंग से कहा है कि स्वयं गतिकरण से माल सस्ता नहीं होगा तथा मूल्य कम नहीं होंगे। अतः स्वयं गतिकरण का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। इससे केवल लाभ यह होगा कि वस्तु की प्रकार में कुछ सुधार हो जायेगा। परन्तु इससे आप संसार के बाज़ार में स्पर्धा नहीं कर पायेंगे।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य अपने समय से अधिक समय ले चुके हैं।

श्री के० के० बसु : (डायमण्ड हार्बर) : महोदय, हमें इस मंत्रालय के कार्य की बड़ी सावधानीपूर्वक व्याख्या करने का प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि यह केवल सरकार का ही एक विभाग नहीं है अपितु यह देश के प्रशासन की जड़ है। सर्व प्रथम मैं विदेशी पूंजी के विषय में अपने विचार प्रकट करूंगा जहां तक विदेशियों द्वारा किये गये धन विनियोग तथा लाभों का सम्बन्ध है, मैं अपने पूर्व वक्ता के वक्तव्य का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

भारत में विदेशियों के धन विनियोग के सम्बन्ध में हमारी सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया था कि विदेशी विनियोग केवल उन्हीं उद्योगों तथा उत्पादों में होना चाहिये जिन के लिये हमारे राष्ट्रीय धन विनियोग करने वाले तैयार नहीं होंगे और जहां शिल्पिक जानकारी की आवश्यकता हो। हमारी सरकार की १९४८ की औद्योगिक नीति, जो १९४९ में संशोधित हो चुकी है, में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ऐसे संस्थापनों का नियंत्रण तथा स्वामित्व जहां तक संभव हो भारतीय नागरिकों के हाथ में होना चाहिये। देश में शिल्पिक जानकारी का विकास होना चाहिये। जहां तक सरकारी नीति का सम्बन्ध है, हम देखते हैं कि इस वर्ष उद्योगों में लगाने के लिये ४ करोड़ रुपये की अनुमति दी गई है। हमें यह भी बताया गया है कि १९४८–५३ के काल में लगभग ३५ लाख रुपये वस्त्र के सम्बन्धी यंत्रों, तथा साधारण वस्त्र उद्योग में लगाये गये हैं।

अब हमें यह देखना है कि नवीन उद्योगों को कहां तक कार्य करने दिया जाता है। कुछ तेल शोधक कारखाने स्थापित हो गये हैं और कुछ शीघ्र ही स्थापित होंगे। इनके प्रशासन में भारतीयों का कोई हाथ नहीं है। इन के प्रशासन का अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू शिल्पिक ज्ञान है। वे यह गारन्टी नहीं करते हैं कि वे भारतीयों को प्रशिक्षण देंगे।

दूसरा विनिमय हमने आई० सी० आई० के सहयोग से असैनिक विस्फोटकों के निर्माण के लिये किया है। इसमें केवल २० प्रतिशत भारतीय पूंजी होगी। जहां तक शिल्पिक ज्ञान का सम्बन्ध है, उन्होंने बहुत से प्रशिक्षित

भारतीय कर्मचारियों को कार्य से अलग कर दिया है और उनके स्थान पर नये विदेशियों को ला रहे हैं ।

इस्पात संयंत्र के सम्बन्ध में हमें अधिक बोध नहीं है क्योंकि इसमें केवल सरकार के ही अंश है । इस्पात संयंत्र के लिये किसी विशेष संस्थापन से जो वस्तुयें क्रय करती है उन के मूल्य पर निश्चित शर्तों के अनसार ध्यान देना होगा । दूसरी महत्वपूर्ण शर्त विश्व टेन्डर के बारे में है । आशा है कि सरकार विश्व टेन्डरों पर सावधानीपूर्वक ध्यान देगी । संभव है कि हम पूर्वी योरोप तथा रूस के उन देशों के साथ एक व्यापारिक समझौता करें । यद्यपि हमने निश्चित रूप से यह कह दिया है कि उन के विरुद्ध कोई विभेद नहीं होना चाहिये फिर भी वे हमारे हितों के प्रतिकूल ही कार्य कराते हैं । पता नहीं कि विदेशी फर्में किस प्रकार कर देने से बच जाती हैं । अभी कुछ दिन हुये विधान सभा के एक कांग्रेसी सदस्य ने, जो स्वयं एक व्यापारी है, कुछ आंकड़े दिये थे जिसमें बताया गया था कि भारतीय मालिकों की तीन बड़ी बड़ी पटसन मिलों ने ५ करोड़ रुपये का लाभ कमाया था जब कि इसी अवधि में तीन मुख्य ब्रिटिश फर्मों ने ५६ लाख रुपये का घाटा दिखाया है । पता नहीं मैनेजिंग एजेंसी फर्में किस तरह ऐसा कर लेती हैं । बाटा कम्पनी को ही लीजिये । इसकी मैनेजिंग एजेंसी विदेशियों के हाथ में है और यह लोग विदेश स्थित व्यापारियों को बड़े सस्ते दामों में जूते बेचते हैं और वे व्यापारी बहुत सा मुनाफा कमाते हैं, परन्तु इससे हमारी सरकार को अपनी आय का काफी नुकसान हो जाता है ।

बहुत सी विदेशी फर्मों ने अपने यहां की अनुमति मांगी है क्योंकि वे कहती हैं कि उन के यहां काम नहीं है । रेलीज़ फर्म को लीजिये जो हमारे देश में बहुत बड़ी फर्मों में से एक है । कहा जाता है कि एक बार इसने २६ करोड़ रुपये के साख पत्र जारी किये थे । इस फर्म ने एक दिन के नोटिस पर १९८ मज़दूरों को निकाल दिया था । मैं यह चाहता हूं कि सरकार इन फर्मों का पिछले सात आठ वर्ष का हिसाब देखे और पता लगाये कि इन्होंने कितना मुनाफा कमाया है और कितने बोनस शेअर जारी किये हैं । जब तक हमारी सरकार विदेशी कम्पनियों के इस रवैये को नहीं रोकेगी तब तक हम अपने राष्ट्रीय क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकेंगे ।

आप यह देखिये कि यह फर्में कितना अधिक लाभ उठाती हैं । १९४६ में टीटागढ़ पेपर मिल्स की पूंजी ६५ लाख रुपये थी परन्तु १९४६–१९५० के बीच में इस फर्म ने असीमित लाभ कमाया है ; इस अवधि में वह ७७ लाख रुपये के बोनस शेयर जारी कर चुकी है । परन्तु इसमें से २५ लाख रुपये जो श्रम कल्याण के लिये थे, अभी तक खर्च नहीं किये गये हैं । अपनी श्रम विरोधी नीति के कारण उसने मज़दूरों को अप्रसन्न कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप देश को ३ करोड़ ८० लाख टन का नुकसान हुआ है । कागज इसी प्रकार विमको, जो दियासलाई बनाने की बहुत बड़ी फर्म है, बहुत ज्यादा लाभ कमाती रही है परन्तु वह मज़दूरों के साथ विभिन्न तरीकों से धोखा करने का प्रयत्न कर रही है । सितम्बर १९५३ से दिसम्बर १९५३ तक उसने मज़दूरों की आय में ३५,००० रुपये प्रति मास की कमी कर दी है और अब वह उन्हें निकालना चाहती है क्योंकि वह कहती है उसी का माल बिक नहीं रहा है । तो आप देखिये कि इन विदेशी फर्मों का क्या रवैया है और किस प्रकार ये भिन्न भिन्न तरीके अपना कर सरकार को कर आदि के रूप में उसकी आय से वंचित कर रही हैं । दुर्भाग्य से सरकार अभी तक आय कर कानून में

[श्री के० के० बसु]

संशोधन नहीं कर पाई है। हम जानते हैं कि बीमा और बैंकिंग क्षेत्र में अंग्रेज़ों का ही एकाधिकार है; यह हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। कुछ समय के लिए तो हमारे यहां के कुछ उद्योगों में विदेशी पूंजी की आवश्यकता हो सकती है परन्तु जहां जहां भारतीय व्यापारी अपनी पूंजी लगाने के लिये तैयार हैं वहां विदेशी पूंजी से काम नहीं लेना चाहिये।

पंडित के० सी० शर्मा (ज़िला मेरठ—दक्षिण) : किसी देश के वित्तीय ढांचे के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं : (१) अधिकतम-नियोजन, अधिकतम उत्पादन, पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता और राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा (२) देश के लिये राजस्व का प्रबन्ध करना और करारोपण की उचित एवं न्याय-संगत प्रणाली स्थापित करना। मैं दूसरे उद्देश्य के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि इस मामले पर करारोपण जांच आयोग द्वारा विचार हो रहा है।

जहां तक रोज़गार मिलने का प्रश्न है यदि हम इस समस्या पर उचित रूप से विचार कर के कार्यवाही करें तो सको सुलझाने में अधिक कठिनाई नहीं होगी। वित्त मंत्री ने इसके लिये घाटे की अर्थव्यवस्था का सहारा लिया है। मेरा कहना तो यह है कि नोट छाप कर जो २३८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है वह कम है और देश की वर्तमान स्थिति का सामना करने के लिये इससे पूरा नहीं पड़ सकता। मैं देखता हूं कि वित्त मंत्री जी मुद्रा स्फीति से बहुत डरते हैं। मैं उन लोगों में से हूं जिनका यह मत है कि मुद्रा स्फीति कुछ सीमा तक बुरी नहीं है, इसके विपरीत मेरे विचार में पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था को सुधारने के लिये इसका सहारा लेना बहुत लाभदायक है। वास्तव में मुद्रा स्फीति का अच्छा या बुरा होना इस प्रश्न पर निर्भर रहता है कि लोग मुद्रा में विश्वास रखते हैं या नहीं और क्या वे मुद्रा संचय करने के बजाय अन्य वस्तुओं को संचित करना पसन्द करते हैं? यदि लोगों का मुद्रा में विश्वास है तो मुद्रा स्फीति का कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा। नोट छाप कर अर्थ-व्यवस्था करने के साथ यदि हम अपने उत्पादन में भी उतनी ही रफ्तार के साथ वृद्धि करने लगें तो उससे हमारे आर्थिक क्षेत्र में गड़बड़ नहीं हो सकती। हर ऐसे देश में, जहां की आर्थिक स्थिति पिछड़ी हुई हो, इस ढंग से अर्थ-व्यवस्था करना आवश्यक है और जब तक हमारे उत्पादन में वृद्धि होती रहेगी तब तक मुद्रा स्फीति से हमें भय नहीं होना चाहिये। जितनी ज्यादा मुद्रा आप बाज़ार में लायेंगे उसी के बराबर माल भी बाज़ार में आ जायगा, तो फिर डर की क्या आवश्यकता है? अपने देशकी हालत को देखते हुये मैं समझता हूं कि २३८ करोड़ रुपये के नोट छाप कर आर्थिक व्यवस्था करने से हमारे यहां मुद्रा स्फीति नहीं हो सकती। मैं जानता हूं कि हमारे वित्त मंत्री बेरोज़गारी की समस्या को हल करने के लिये बहुत उत्सुक हैं परन्तु हमारे देश की जो वर्तमान कठिनाइयां हैं उन्हें ठीक तरह से समझने के लिये और अधिक ध्यान देने तथा नीति में कुछ आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज आप गावों में जा कर देखिये कि लोगों की कितनी बुरी हालत है। ये लोग बिना खाना-कपड़ा बेरोज़गार और घरबार के मारे मारे फिरते हैं। मैं वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि इन लोगों को काम दिलाने के लिये वह क्या प्रयत्न कर रहे हैं। यदि इन लोगों की कोई चिन्ता नहीं की जायेगी और इन के उद्धार के लिये कोई कदम नहीं उठाये जायेंगे तो फिर आप एक नये देश का, एक नये राष्ट्र का निर्माण किस तरह कर सकेंगे। जिस रफ्तार से हमारे यहां आज कल कार्य हो रहा है वह

बहुत धीमी है। इसलिये जब तक,आप कोई साहसपूर्ण कदम न उठायेंगे तब तक देश की समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

एक बात और है। वित्त मंत्री आशा करते हैं कि रिज़र्व बैंक के दस करोड़ रुपये से ग्राम्य ऋण सम्बन्धी समस्याओं को हल किया जा सकता है। मैं नहीं जानता कि उनकी यह आशा कहां तक पूरी होगी। हमें चाहिये कि गावों में ऋण देने की सुविधाओं की व्यवस्था करें और इसके लिये कुछ संस्थायें स्थापित करें जो गांवों में रहने वाले हजारों व्यक्तियों की सहायता कर सकें। जब तक गांव के लोगों के पास पर्याप्त क्रय शक्ति नहीं होगी तब तक बड़ी बड़ी मशीनों से उत्पादित वस्तुओं को कौन खरीदेगा? देश की अर्थ-व्यवस्था की नीव दृढ़ बनाने के लिये हमें सब से पहले गांव वालों की आर्थिक स्थिति को दृढ़ बनाना होगा।

श्री जी० डी० सोमानी (नागौर—पाली) : जो थोड़ा सा समय मेरे पास है, उसमें मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान राजस्थान राज्य की आवश्यकताओं की ओर दिलाऊंगा। मैं विशेष रूप से गाडगिल समिति की रिपोर्ट का निर्देश करूंगा। यह समिति संघानीय वित्तीय एकीकरण समझौते के अनुसार हाल ही में नियक्त की गई थी और इसे सौराष्ट्र मध्य भारत, राजस्थान तथा पेप्सू के चार भाग 'ख' राज्यों की वित्तीय स्थिति के बारे में जांच पड़ताल करने और उस पर अपनी सिफारिशें देने का काम सौंपा गया था। समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों ने इस सम्बन्ध में जो कुछ किया है उसके लिये मैं उनका आभारी हूं। परन्तु मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि जो जांच पड़ताल उन्होंने की है, वह न तो क्रमबद्ध है और न ही व्यापक। इन पिछड़े हुये राज्यों की जटिल समस्या को ध्यान में रखते हुए समिति की सिफारिशें नगण्य ही कही जा सकती हैं। जैसा सौराष्ट्र के वित्त मंत्री श्री एम० एम० शाह ने इस विषय में कहा है, इस समिति ने जितनी सहायता देने की सिफारिश की है वह इन अविकसित क्षेत्रों के लिये बहुत थोड़ी है। मेरा निवेदन यह है कि जब यह संघानीय वित्तीय एकीकरण समझौता किया जा रहा था तो इन राज्यों के कुछ महत्वपूर्ण आय-स्रोत जैसे रेलवे, आदि केन्द्रीकृत कर लिये गये थे और इस नुकसान को पूरा करने तथा भाग 'ख' राज्यों की स्थिति को भाग 'क' राज्यों की स्थिति के समतल लाने के उद्देश्य से ही भारत सरकार ने इनकी विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं की व्यापक एवं क्रम-बद्ध जांच पड़ताल करने का फैसला किया था।

मैं यह मानता हूं कि इन राज्यों को विभिन्न कार्यों के लिये कुछ रुपया मिलता रहा है परन्तु उन से उनका पूरा नहीं पड़ रहा है। मुझे तो उन के भविष्य के बारे में ही अधिक चिन्ता है और मैं सरकार से यह अपील करता हूं कि वह इन राज्यों के भविष्य के लिये यथोचित व्यवस्था करे।

गाडगिल समिति के रिपोर्ट के अन्त में कुछ सिफारिशें की गई हैं जिन्हें सरकार ने मान लिया है। परन्तु इस रिपोर्ट में बीच बीच में कई सुझाव दिये गये हैं जिनमें राज्य सरकारों की कुछ मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिये सिफारिश की गई है। सरकार ने इन सिफारिशों के बारे में कुछ नहीं कहा है, इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां कहीं भी इन राज्यों की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कहा गया है वहां उन पर सहानुभूति से विचार किया जाये और यथाशक्ति उनको सहायता दी जाये। उदाहरण के लिये, राजस्थान सरकार ने यह मांग की थी कि पूर्वकालीन

[श्री जी० डी० सोमानी]

जयपुर सरकार ने बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे में नाम्दा–मथुरा रेलवे बनाने के लिये जो ८५ लाख रुपये विनियोजित कर रखे थे उन्हें अब किसी बैंक या जाइंट स्टाक कम्पनी के शेयरों के रूप में विनियोजित राशि मान लिया जाये । गाडगिल समिति ने भी यह सिफारिश की थी कि सरकार राजस्थान की इस बात को मान ले । तो इस प्रकार के बहुत से सुझाव समिति ने दिये हैं ; अतः मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह इन राज्यों के विकास के लिये भरसक प्रयत्न करे और जहां तक संभव हो इनकी उचित मांगों को स्वीकार करे ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । गाडगिल समिति ने अपने रिपोर्ट के अन्त में यह कहा है कि ये सिफारिशें केवल इसी समय के लिये की गई हैं और इन के आधार पर आगे चल कर सहायता के लिये प्रार्थना नहीं की जा सकती । समिति ने कहा है कि ये राज्य आगे चल कर इस समिति के आधार पर कोई वित्तीय सहायता नहीं मांग सकते । मुझे इस सिफारिश पर आपत्ति है, क्योंकि इस समिति की सिफारिशों के अनुसार इन राज्यों को जो चार करोड़ रुपये की सहायता दी गई है, वह बहुत ही थोड़ी है और इससे वहां की ज़रूरतें बहुत कम ही पूरी हो पायेंगी । इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस सिफारिश को स्वीकार न करे और जब तक इन राज्यों को वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो वह उनकी मांगों पर सहानुभूति से विचार करे । मुझे विश्वास है कि भारत सरकार के हाथों में इन राज्यों का भविष्य सुरक्षित है और वह इन के कल्याण और उन्नति के लिये सदैव तत्पर रहेगी ।

श्री बालकृष्णन् (इरोड–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : मैं केवल ग्राम्य समस्या के बारे में बोलना चाहता हूं । खेतिहर मज़दूर जांच कमेटी के अनुसार खेतिहर परिवार की वार्षिक आय ४४७ रुपये है । उसका खर्च ४६८ रुपये है । इस प्रकार उसे लगभग २१ रुपये का घाटा रहता है । यद्यपि सरकार ने उसके रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया है, फिर भी, कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई है । इस ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये ।

गांव के लोग अधिकतर खेती पर निर्भर रहते हैं, मगर उससे उनका काम नहीं चलता । फसल काटने के बाद उन्हें कई महीने बेकार रहना पड़ता है । यदि कुटीर उद्योग आरम्भ कर दिये जायें तो मेरे विचार में उनको काफी लाभ हो सकता है । और जो कुटीर उद्योग हैं उनका आधुनिकीकरण किया जाना चाहिये जिससे उनके द्वारा तैयार किये गये माल की अच्छी खपत होने लगे ।

हम आजकल दैनिक प्रयोग की अनेक वस्तुयें बाहर से मंगा रहे हैं । यदि उनका उत्पादन देश में ही होने लगे तो हम काफी राशि बचा सकते हैं । हमारे देश में काफी प्राकृतिक संसाधन और कच्चा माल उपलब्ध है । आवश्यकता इस बात की है कि सरकार मानव शक्ति का उचित प्रयोग करके उन से लाभ उठाये ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : क्योंकि मेरे पास सीमित समय है तथा माननीय सदस्यों ने जो विषय उठाये हैं उनके ऊपर मैं पहले भी बोल चुका हूं, अतः उनके सम्बन्ध में मेरे लिये फिर से चर्चा करना संभव न होगा । वैज्ञानिकन, बेरोजगार और घाटे की अर्थ व्यवस्था उन में से कुछ विषय हैं । यदि समय रहा तो मैं नियोजन के सम्बन्ध में कुछ बातें आपके सामने रखूंगा ।

इसके पहले कि मैं अन्य सामान्य बातों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रगट करू मैं राजस्थान को दी जाने वाली सहायता के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । श्री त्रिवेदी, श्री सोमानी तथा श्री शोभाराम ने इसका उल्लेख किया है। श्री त्रिवेदी की यह शिकायत थी कि राजस्थान को अनुदान देने के सम्बन्ध में न तो अनुच्छेद २७५(१) और न ही उसके परन्तुक के अन्तर्गत कोई व्यवस्था की गई है । उन्होंने जिस पुस्तक का उल्लेख किया है, वह कृपया उसके पृष्ठ ५९३ को देखें तो उन्हें पता लग जायेगा कि राजस्थान को दोनों उपबन्धों के अन्तर्गत अनुदान दिया जा रहा है । मैं चाहता हूं कि वह १९५४–५५ के वास्ते केन्द्रीय सरकार के बजट के साथ सम्बद्ध स्पष्टीकरण ज्ञापन के पृष्ठ १६३ पर परिशिष्ट ७ को भी देखें, जिसमें यह बताया गया है कि १९५४–५५ में केन्द्र द्वारा राजस्थान को कितने संसाधन उपलब्ध किये गये हैं। श्री शोभा राम ने कहा था कि राजस्थान को पर्याप्त-सहायता नहीं दी जा रही है। मेरे विचार में इस बारे में उनकी धारणा बिल्कुल गलत है । संघानीय वित्तीय एकीकरण के फल-स्वरूप राजस्थान को भी अन्य भाग 'ख' राज्यों जैसे हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर-कोचीन आदि के समान ही क़छ राशि का लाभ हुआ है । वित्त आयोग की सिफारिशों के फल-स्वरूप तब से अब तक राजस्थान को प्रति वर्ष लगभग तीन करोड़ रुपया की अतिरिक्त राशि भी दी जा रही है। हाल ही में की गई गाडगिल कमेटी की सिफारिशों के फलस्वरूप राजस्थान को १५० लाख रुपये का अनुदान और मिलेगा जिससे वह सरकारी इमारतें सम्पर्क सड़कें आदि बनवा सकेगा। योजना के अन्तर्गत कुल ९ करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता में से १ १/२ करोड़ रुपये राजस्थान को अनुदान के रूप में दिये जायेंगे जब कि पहले यह राशि ऋण के रूप में दी जानी थी। साथ ही मैं इस बात का भी उल्लेख कर देना चाहता हूं कि अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में निर्माण कार्य की योजना के अन्तर्गत राजस्थान की २.५ करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जायेगी जिससे वह ऐसे उपाय कर सकेगा जिससे अकाल न पड़े या उसका प्रभाव कम रहे। साधारणतः इन राज्यों के सम्बन्ध में हमारी यह नीति रही है कि इनके साथ इन मामलों में एक सा व्यवहार हो तथा मैं इस बात को अच्छा नहीं समझता कि किसी विशेष राज्य के सम्बन्ध में विशेष रियायत करने की याचना की जाय या यह कहा जाय कि अमुक अमुक राज्य के साथ असहानुभूति-पूर्ण विचार किया जाता है जैसा कि श्री सोमानी ने कहा था। मैं इस बात को भी अच्छा नहीं समझता कि उन मामलों को फिर से उखाड़ा जाये जिनका एक बार निबटारा कर दिया गया है। समझौते के उस विशेष उपबन्ध के अनुसार ही हमने गाडगिल कमेटी को नियुक्त किया था और जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमने उसकी सिफारिशों को पंचों का ही निर्णय मान लिया था। केन्द्र द्वारा दी जाने वाली जिस सहायता की उसने सिफारिश की थी उसके साथ यह भी कहा था कि कुछ शर्तें लगा दी जायें। हमने यह मामला सम्बन्धित राज्यों के सामने रखा और उन्होंने इन शर्तों को स्वीकार कर लिया । मेरे विचार में मेरा यह कहना ठीक है कि हमारे पास अभी तक किसी भी राज्य ने गाडगिल कमेटी की उन सिफारिशों के विरूद्ध कोई पत्र नहीं भेजा हैं जिसमें यह विशेष सिफारिश भी शामिल है जिसको माननीय सदस्य ने कहा था। मेरे विचार में अब समय आ गया है जब इन राज्यों को अन्य राज्यों के समान ही हो जाना चाहिये तथा किसी विशेष सहायता की याचना नहीं करनी चाहिये। उन्हें शेष

[श्री सी० डी० देशमुख]

भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है; और उनकी चाहे जो भी कठिनाइयां या विकास सम्बन्धी आवश्यकतायें हों उन पर भारत के अन्य भागों के साथ ही वित्त आयोग, जब कभी भी वे नियुक्त किये जायें तथा योजना आयोग द्वारा, जब वह यथा समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनायेगा उचित रूप से और उदारता पूर्वक विचार किया जायेगा ।

अब मैं व्यय पर वित्तीय और संसदीय नियंत्रण के महत्वपूर्ण सवाल पर आता हूं । मैं अपने वक्तव्य को जहां तक संभव होगा तथ्यपूर्ण बनाने का प्रयत्न करूंगा । क्योंकि इन में से बहुत से मामले विचाराधीन हैं । जहां तक उन सरकारी उपक्रमों पर संसदीय नियंत्रण का प्रश्न है कम्पनियां या संविहित निगम बना दिये गये हैं, मैं उस से अधिक और कुछ नहीं कह सकता हूं जो मैं कुछ समय पूर्व हुई चर्चा में कह चुका हूं और जोकि मेरे विचार में डा० लंकासुन्दरम् द्वारा सदन के गत सत्र में प्रस्तुत किये गये एक प्रस्ताव के सम्बन्ध में हुई थी । यह मामले कठिनाई से मुक्त नहीं हैं तथा उनपर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है । फिर भी, माननीय सदस्यों को शायद इस बात में दिलचस्पी हो कि हाल ही में इस विषय पर ब्रिटिश लोक सभा में विस्तारपूर्वक विचार हुआ था । प्रवर समिति की रिपोर्ट का निर्देश किया गया था तथा प्रवर समिति की सफारिशों के सम्बन्ध में प्रगट किये गये विचारों में इतनी अधिक असमानता थी कि सरकारी प्रवक्ता, लार्ड प्रिवी सील को यह कहते हुए चर्चा समाप्त करनी पड़ी थी कि जो बातें उठाई गई हैं वे इतनी पेचीदा हैं कि सरकार सिपारिशों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले परिणामों पर अग्रेतर विचार करना चाहती है और यदि सरकार प्रवर समिति की सिफारिश को स्वीकार करने के लिय भी तैयार हो जाती है तो भी उस में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी जिस से सदन की इस इच्छा को पूर्ण करने में कि उसे सरकारी उपक्रमों—इंगलिस्तान के समस्त संविहित निगमों—के कार्यसंचालन के सम्बन्ध में पूरी तरह से सूचित रखा जाये, सरकार ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिस की वजह से इन उपक्रमों के प्रबन्धकों द्वारा पहल करने पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ा हो । अतः इंगलिस्तान में हाउस आफ कामन्स की प्रवर समिति की सिफारिशें अब भी इस देश की सरकार के विचाराधीन है । मैंने यही सोचा था कि शायद सदन को इस में दिलचस्पी हो । लेकिन जहां तक हमारा सम्बन्ध है मैं आशा करता हूं कि सदन इस बात को समझने का प्रयत्न करेगा कि मैं इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता हूं क्योंकि हो सकता है उन से उठाई गई बातों पर अनिच्छित प्रभाव पड़ जाये । फिर भी, मैं सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि यह प्रचलित धारणा कि हमारे राज्य उपक्रम जो चाहें करने के लिये स्वतंत्र हैं और उन पर किसी प्रकार का सरकारी नियंत्रण नहीं है, बिल्कुल गलत है । मैं इस अवसर पर उस की विस्तृत बातों में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन माननीय सदस्यों को यह मालूम होना चाहिये कि इन उपक्रमों के संचालक बोर्डों के बनाने के अलावा, जिन पर सरकार के नामनिर्देशित व्यक्ति होते हैं—इन में से अधिकतर उपक्रमों में वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि होता है—संस्थाविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति को दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए सरकार उन के कार्यों पर जो प्रशासन और नियंत्रण रखती है, वह नगण्य नहीं है । नियमों में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा इन कम्पनियों

के लेखों की विशेष रूप से परीक्षा किये जाने का भी उपबन्ध है। और कुछ मामलों में यह परीक्षा बराबर जारी रहती है। सम्बन्धित मंत्रालयों या नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण समस्त कार्यों के लिये पर्याप्त है या नहीं—जैसा कि पिछले सत्र में सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया था—एक ऐसी बात है जिस पर हम अन्तिम निर्णय करने से पहले ध्यानपूर्वक विचार करेंगे और मुझे आशा है हम इस मामले का संतोषजनक हल निकालने में सफल होंगे।

श्री तुलसीदास ने शिकायत की थी कि उन्हों ने राज्य उपक्रमों के सन्तुलन-पत्र तक नहीं देखे हैं—मेरे विचार में मेरा यह कहना ठीक है ....

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : सब नहीं, केवल कुछ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं यह सोचता था कि शायद उन्हों ने एक भी नहीं देखा है। उन में से तीन यहां पर पहले ही से मौजूद हैं तथा उन के साथ लाभ और घाटे का भी लेखा है। शेष यथासमय प्रकाशित हो जायेंगे, माननीय सदस्य कुछ धैर्य से काम लें। कम से कम १८ महीने लगेंगे और मेरा अनुमान है कि सदन यह जानता है कि उस के माननीय सदस्यों से कोई भी सन्तुलन-पत्र छिपाने का इरादा नहीं है।

श्री तुलसीदास : क्या उन्हें परिचालित किया जा सकता है ?

श्री सी० डी० देशमुख : समस्त संतुलन-पत्र जनता की सम्पत्ति हैं ....

उपाध्यक्ष महोदय : इस के अलावा है।

सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध रहेंगे ; उन्हें सदन-पटल पर रखने की क्या आवश्यकता है ?

श्री तुलसीदास ने एक बहुत ही रुचिकर सुझाव दिया है कि केन्द्र राज्यों को अनुदानों अथवा ऋणों के रूप में जो सहायता देता है उस में से राज्यों द्वारा किय गये व्यय की देख रेख के लिये एक संसदीय समिति अथवा आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये। अस्तु, उन्हों ने राज्यों के साथ हमारे सम्बन्ध, और विदेशों से प्राप्त सहायता के सम्बन्ध में जो हम ने सीमित निरीक्षण की सहमति दी है, उस के बीच सादृश्य दिखाया है। यह एक सादृश्य तो है, परन्तु सर्वथा संगत नहीं। मैं यह विचार करने के लिये तैयार था कि संभवतः इस प्रकार का प्रबन्ध बहुत उपयोगी हो। मैं ने अब इस विषय पर विचार किया है और मैं समझता हूं कि उन्हों ने जो विनिश्चय करने का सुझाव दिया है वह हमें तब तक नहीं करना चाहिये जब तक कि हमें अपना पथ स्पष्ट न दिखाई दे। राज्यों के मामले में हमें यह याद रखना पड़ता है कि उन के पास एक संचित निधि होती है जिस में केन्द्रीय सहायता जोड़ दी जाती है और उस में से, सहायता से चलाई जाने वाली योजनाओं पर व्यय किया जाता है। ये व्यय उन के विधान मंडलों के मतानुसार किये जाते हैं और नियंत्रक महालेखा परीक्षक उन की लेखा परीक्षा करते हैं। जहां तक विशेष प्रयोजन के लिये दिये गये और अनुदानों का उचित उपयोग का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि संसद और राज्य इस बात के सम्बन्ध में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर विश्वास कर सकते हैं कि वह देखें कि ऐसा किया जाता है अथवा नहीं, परन्तु जहां तक योजनाओं पर ठोस नियंत्रण का सम्बन्ध है अर्थात्, इस बात का सम्बन्ध है कि कतिपय व्यय में से ठोस प्राप्ति

क्या हुई है मैं नहीं समझता कि कोई संसदीय अथवा अन्य समिति चाल और निरन्तर नियंत्रण रख सकती है। योजना आयोग जैसा निकाय जिस ने योजना की वास्तविक कार्यान्विति की देख रेख करनी है यह कार्य उचित रूप से कर सकता था और उसे करना चाहिये। अब आयोग के पास कार्यक्रम प्रशासन संबंधी कुछ मंत्रणाकार हैं जो निरन्तर दौरे पर रहते हैं और राज्य की महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्य की प्रगति से सम्बन्ध रखते हैं। भाकड़ा-नंगल, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुड दाम, जैसी कतिपय बहुत बड़ी परियोजनाओं के लिये, कार्यों की प्रगति

योजना आयोग का समीपस्थ सम्पर्क है और उसे त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन मिलते हैं। इसलिये इस समय मेरा यह विचार है कि हमें निश्चिन्त हो कर यह बात आयोग पर छोड़ देनी चाहिये। जब माननीय सदस्य ने यह बात कही थी तो उस के पश्चात् मैंने योजना आयोग के उप-सभापति के साथ इस विषय पर चर्चा की थी। मेरा विचार है कि हमें यह कार्य योजना आयोग पर छोड़ देना चाहिये कि वह योजना की प्रगति पर निरन्तर ध्यान रखे और कभी कभी प्राप्त अनुभव के अनुसार, इस प्रयोजन के लिये उपलब्ध व्यवस्था में आवश्यकतानुसार सुधार करे। जबकि सरकार सदन के किसी भी भाग की इस इच्छा के सामने नहीं झुक सकती कि यह देखा जाये कि जो राशि केन्द्र राज्यों को परियोजनाओं के विकास के लिये देता है उस का उपयोग ठीक होता है या नहीं, मैं इस समय कोई ऐसा कार्य करने के लिये तैयार नहीं जिस से राज्य यह समझें कि वे इन उपक्रमों में साझीदार नहीं हैं। और न ही मैं कोई ऐसा कार्य करने के लिये तैयार हूं जिस से राज्य के क्षेत्र में आने वाले व्यय के लिये, राज्य विधान मंडलों में उत्तरदायित्व की भावना का ह्रास हो। इस प्रकार और विचार करने पर मझे यह विश्वास हो गया है कि जब तक हम यह देखें कि योजना आयोग क्या कार्य करने के लिये समर्थ है हमें चाहिये स्थिति को इसी प्रकार रहने दें। हम ने योजना आयोग को सुझाव दिया है कि हमें व्यय दो रूप में देखना चाहिये। एक तो यह देखना चाहिये कि कितना रुपया व्यय हुआ है और दूसरे यह कि परियोजना पर कितना वास्तविक काम हुआ है, और मुझे यह निश्चय है कि जैसा कि समय समय पर इस प्रकार की जांच की जाये, हमें तुरन्त पता लग जायेगा कि हमें अपनी धन-राशि का मूल्य प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं।

अब मैं राजकोष द्वारा वित्तीय नियंत्रण की बात लेता हूं। नियमों की ओर निर्देश किया गया है—मेरा विचार है कि श्री त्रिपाठी ने नियमों की ओर निर्देश किया था—और मैं देखता हूं कि बहुत से लोग इसे अधिकतया नियमों का विषय समझते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह इतना नियमों का मामला नहीं है। इस मामले में वित्त की दृष्टि से जो उचित हो उस बात का ध्यान रख कर सामान्य समझ से काम करना है। इस समय हम उन कार्य नियमों से शासित हैं जो किसी धारा के अधीन—मैं उद्धरण नहीं दूंगा—भूतपूर्व महाराज्यपाल ने बनाये थे, और नये संविधान के अधीन भी वैसे ही नियम बनाये जा रहे हैं। मैं यह भी कह दूं कि पहले यह विचार किया जाता रहा है कि नये नियमों का क्या रूप होना चाहिये और सरकारी तौर पर यह निश्चय किया गया है कि वित्तीय नियंत्रण का लगभग उसी प्रकार का उपबन्ध होना चाहिये जो चालू कार्य-नियमों के अधीन विद्यमान है। नियम इस प्रकार हैं। नियम ११ में यह उप-

बन्ध किया गया है कि प्रत्येक ऐसे मामले के बारे में, जिस का विषय अन्य किसी विभाग से सम्बन्धित हो, कोई आदेश जारी करने से पूर्व साधारणतः उसे सम्बन्धित विभाग के पास विचारार्थ भेजना चाहिये । यह व्यवहारिक ज्ञान और समन्वयकरण का नियम है ।

फिर नियम १२ है जिसमें विशेषतः तथा स्पष्टतः यह उपबन्ध है किसी भी ऐसी प्रस्थापना को कार्यान्वित करने के लिये, जिस पर व्यय होना हो । अथवा जिस के लिये राजस्व त्याग करना हो, जिस के लिये आयव्ययक में कोई उपबन्ध न हो अथवा जिस के लिये उपबन्ध हो परन्तु उचित मंजूरी न दी गई हो, कोई आदेश वित्त विभाग अथवा मंत्रालय को इस सम्बन्ध में पूर्व निर्देश किये बिना नहीं जारी किया जायेगा । इस में 'विभाग' शब्द है क्योंकि नियम पुराने हैं । इस नियम के लागू होने के कारण भारत सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी ऐसे व्यय की मंजूरी देने का अधिकार प्रयोग करने पर कोई रोक नहीं होगी जो वित्तीय अधिकारों नामक पुस्तक में हमारे द्वारा उस को प्रत्यायोजित अधिकार लिखे होते हैं उसे सौंपे गये हों या जो वित्त मंत्रालय की सहमति से जारी किये गये किसी सामान्य आदेश द्वारा उसे दिये गये हों, या जिन अधिकारों के प्रवर्तन के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय ने यह घोषणा की हो कि ऐसा समझ लिया जाये कि वित्त मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है—अर्थात् जहां स्वीकृति दी गई समझी जाये । फिर नियम १४ में यह उपबन्ध किया गया है कि साधारणतः वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित किसी विषय पर प्रभाव डालने वाली कोई प्रस्थापना तब तक मंत्रिमंडल के समक्ष नहीं लाई जायगी जब तक वह मंत्रालय को न भेजी गई हो और मंत्रालय ने उस पर विचार न किया हो । यह केवल वित्त मंत्रालय के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध है । सम्भवतः उस से यह अभिप्राय है कि अन्य मंत्रालयों से भिन्न इस मंत्रालय से सम्बन्धित विषयों को विशेष महत्व देने पर जोर दिया जाये, क्योंकि मेरा विचार है कि वित्त मंत्रालय—हम यह कह सकते हैं—सब मंत्रालयों का अन्तःकरण स्वरूप है ।

एक और चीज़ है जिसे केन्द्रीय सरकार के सामान्य वित्तीय नियम कहते हैं । निश्चय ही यह राष्ट्रपति के कार्यपालिका-आदेश हैं जो मुख्यतः केन्द्रीय सरकार के अधीन विभिन्न प्राधिकारियों के वित्तीय अधिकारों की परिभाषा करते हैं और राष्ट्रपति द्वारा विहित उस प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं जिस का, उन को सौंपे गये कार्यों के पालन के लिये आवश्यक निधि प्राप्त करने और व्यय करने में पालन किया जाना चाहिये । मैं उन्हें पढ़ कर नहीं सुनाऊंगा परन्तु यदि माननीय सदस्यों को वे प्राप्त हों तो वे नियम ९ और १० को देखें ।

नियम १० महत्वपूर्ण है जिस में कहा गया है कि लोक निधि में से व्यय करने अथवा व्यय प्राधिकृत करने वाले प्रत्येक अधिकारी को वित्तीय औचित्य के उच्च आदर्शों का पालन करना चाहिये । यह बहुत ही सरल है । जिन सिद्धान्तों पर सामान्यतः ज़ोर दिया जाता है वे निम्नलिखित हैं :

१—प्रत्येक सरकारी पदाधिकारी से आशा की जाती है कि लोक निधि में से किये जाने वाले प्रत्येक व्यय के सम्बन्ध में वह उतना ही सतर्क रहेगा जितना कि अपना धन व्यय करते हुए साधारण योग्यता का व्यक्ति रहता है ।

२—स्पष्ट रूप से व्यय अवसर की आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिये ।

३—कोई प्राधिकारी व्यय की मंजूरी देने के अधिकारों का प्रयोग, प्रत्यक्षतः अथवा

अप्रत्यक्षतः अपने लाभ के लिये आदेश जारी करने में नहीं करेगा ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम) : आप ने इसे बहुत ही सरल कहा था । आप इसे उलझा हुआ अस्पष्ट क्यों नहीं कहते ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह लगभग एक ही बात है चरम सीमायें मिल जाती हैं । यह सिद्धान्त रूप में सरल है और व्यवहारिक रूप में उलझनपूर्ण है जैसा कि बहुत सी बातें होती हैं :

४—लोक निधि को किसी विशेष व्यक्ति, वर्ग अथवा जाति के लाभ के लिये प्रयोग नहीं किया जायेगा, जब तक :

(१) किये जाने वाले व्यय की राशि मामूली न हो, या

(२) न्यायालय में उस राशि का दावा न किया जा सकता हो; या

(३) व्यय किसी मान्यता प्राप्त नीति अथवा रीति के अनुसार न किया गया हो ।

५—किसी विशेष प्रकार के व्यय को पूरा करने के लिये दिये गये भत्तों की राशि का विनियमन इस प्रकार होना चाहिये कि ये भत्ते अन्तिम रूप में भत्ता प्राप्त करने वालों के लिए लाभ का साधन न हों ।

एक और नियम में कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार के वित्तीय कार्यों का और सब कार्य-पालिका सम्बन्धी प्राधिकारों का उत्तर-दायित्व राष्ट्रपति पर है जिस की, प्रत्यक्षतः अथवा किसी ऐसें व्यक्ति द्वारा दी गई मंजूरी जिसे आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजित किया गया हो, राष्ट्रपति के राजस्वों में से किये जाने वाले सब व्ययों के लिये आवश्यक है । जिस सीमा तक व्यय की मंजूरी देने के अधिकार विभिन्न प्राधिकारियों को प्रत्या-योजित किये गये हैं, वह सीमा जैसा मैं ने पहले बताया, वित्तीय अधिकारों की पुस्तक में बताई गई है ।

एक और नियम में यह बताया गया है कि किसी नये व्यय की कोई योजना आय-व्ययक में तब तक सम्मिलित नहीं की जायेगी जब तक वह पूर्ण न हो और उस की अन्तिम अनुमति न दी गई हो । नये व्यय की प्रस्थापनायें प्रस्तुत करने में प्रशासकीय कठिनाइयों और मंजूरी देने की प्रक्रिया में विलम्ब होने को ध्यान में रखना चाहिये और वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले व्यय की अपेक्षा अधिक व्यय का आयव्ययक में उपबन्ध करने की सिफारिश नहीं की जानी चाहिये । यह वह नियम है जिस का, सरकार के कार्यक्रम की जटिलता तथा केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय में विकास सम्बन्धी व्यय के महत्व को ध्यान में रखते हुए, पालन करना कठिन रहा है ।

एक और नियम जो बहुत महत्वपूर्ण है यह है कि अनुदान को बरतने वाला प्राधि-कारी अपने नियंत्रणाधीन लोक सेवाओं में व्यय की गति की देख रेख करने और व्यय को अनुदान की सीमा में रखने के लिये उत्तर-दायी है । यह प्रशासन सम्बन्धी मंत्रालय का उत्तरदायित्व है न कि वित्त मंत्रालय का ।

श्री बी० दास (जयपुर क्योंझर) : राज-कोष के नियंत्रण के अतिरिक्त मैं ने कभी नहीं देखा कि प्रशासनीय प्राधिकारी व्यय की गति का ध्यान रखते हों ।

श्री सी० डी० देशमुख : लोक लेखा संमिति के सभापति का अनुभव आदरणीय

है। जैसा मैंने कहा, अब तक हमारे प्रशासन की उलझन के कारण इन नियमों का पालन कुशलतापूर्वक नहीं हुआ और मैं समझता हूं कि इस कारण हमें कठिनाइयों का अनुभव हो रहा है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : बहुत लम्बे विलम्बों को रोकने के लिये क्या कोई नियम है ?

श्री सी० डी० देशमुख : बात यह है कि विलम्ब या तो इसलिये होता है कि अधिकार नहीं प्रदान किये गये हैं अथवा विभिन्न प्रक्रमों पर ऐसे व्यक्ति हैं जोकि अन्य मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की बात स्वीकार नहीं करते। बाद की समस्या मुख्यतः व्यक्ति-विशेषों की समस्या है जो वैयक्तिक मामलों के सामने आने पर व्यवहृत की जा सकती है । मैंने अपने सहयोगियों से ऐसे मामलों की सूची मांगी है जिन में विलम्ब हो रहा है और मेरा इरादा स्वयं प्रत्येक मामले को देखने का है जिस से कि मैं जान सकं कि वास्तव में ये कारण क्या हैं, और क्या इन विलम्बों का परिहार हो सकता है । व्यक्ति विशेषों के कारण जो विलम्ब होते हैं वे प्रशासी मंत्रालयों द्वारा वित्त मंत्रालय के ध्यान में लाकर ही रोके जा सकते हैं । दूसरा निदान, अधिकारों का सौंपा जाना है और मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में, इस समय हो रहे पुनरीक्षण के बाद, काफी प्रगति होने की संभावना है ।

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता–उत्तर-पश्चिम) : इन विलम्बों के परिणामस्वरूप दस प्रतिशत आयव्ययित राशि भी खर्च नहीं की जाती । यह बड़ी गम्भीर चीज़ है, और परिणाम यह होता है कि मंत्रालयों द्वारा हाथ में लिया गया कार्य उचित रूप से पूरा नहीं हो पाता ।

श्री सी० डी० देशमुख : बात यह नहीं है कि यह पूरा नहीं हो पाता, वरन् यह है कि यह काम उचित प्रकार से सूत्रबद्ध नहीं किया गया था । बहुधा होता यह है कि आय-व्ययक में तो उपबन्ध कर दिया जाता है किन्तु योजनायें कार्यान्विति के लिये तैयार नहीं रहतीं ।

जब आयव्ययक बनाया जाता है, तो हमारे पास इतना कम समय रहता है कि मंत्रालय से सम्बद्ध वित्तीय मंत्रणादाता और मंत्रिगण, वित्त मंत्री तथा उपमंत्री के पूरा प्रयत्न करने पर भी, योजना के कारण सदा यह कहना सम्भव नहीं होता कि यदि कोई योजना एक विशिष्ट समय तक तैयार नहीं होती—यदि इसे आयव्ययक में सम्मिलित करना है तो अक्टूबर म इसे आ जाना चाहिये तो हम इसे आयव्ययक में सम्मिलित नहीं कर सकते क्योंकि हमें योजना को क्रियान्वित करने की जल्दी है । हो सकता है कि उन में से कोई योजना अक्टूबर तक तैयार न हो वरन् नवम्बर, दिसम्बर अथवा जनवरी में जा कर तैयार हों । ऐसी दशा में उस पर मोटे रूप से विचार कर के कुछ राशि उप-बन्धित कर दी जाती है । सम्बन्धित मंत्री यह नहीं बता सकते कि वस्तुतः कितनी राशि व्यय होगी । वह यह कहते हैं कि "मैं समझता हूं कि हम इस योजना पर 'क' करोड़ रुपये खर्च कर सकेंगे और इस लिये आयव्ययक में इस का उपबन्ध कर दिया जाये ।" यह सम्भवतः कर दिया जाता है । इसलिये स्थिति यह है कि मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत खर्चे के प्रत्येक प्रस्ताव पर जो प्रशासी मंत्रालय को सौंपे गए वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत नहीं आता, कोई भी व्यय करने से पूर्व वित्त मंत्रालय द्वारा जांच की जाती है चाहे उसे आयव्ययक में सम्मिलित किया जाय अथवा नहीं ।

व्यय सम्बन्धी प्रस्तावों की वित्त मंत्रालय में जांच करने की सुविधा के लिये, मंत्रालय के कई विभाजन किये गये हैं और प्रत्येक विभाजन को कुछ मंत्रालय सौंपे गये हैं तथा जहां तक संभव हो सका है ये विभाजन इन मंत्रालयों में ही स्थित हैं। इस प्रबन्ध का लक्ष्य यह है कि सम्बन्धित मंत्रालय के साथ वित्त मंत्रालय के पदाधिकारी पूर्ण सहयोग में कार्य कर सकें जिससे कि व्यय के प्रस्तावों पर संयुक्तरूप से तथा शीघ्रतापूर्वक विचार हो सके। वित्त मंत्रालय के विशेष रूप से प्रशासित कर्मचारी पूरी जांच करके यह आश्वस्त करते हैं कि खर्च किये गये प्रत्येक रुपये का पूरा मूल्य प्राप्त हो सके। ऐसे समय जब कि हमें अपनी राष्ट्रीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये अपने साधनों में छोटी से छोटी मितव्ययता करनी है यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्रत्येक मद के अन्तर्गत आप व्ययित राशि की पूरी पूरी जांच की जाय। इस प्रकार की जांच इस समय विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण है जब कि हमारी विकास योजनाओं पर खर्चा बढ़ता जा रहा है। सदन इस बात में दिलचस्पी लेगा कि स्थायी वित्त समिति की सम्मति के बाद वित्त उपमंत्री द्वारा की गई जांच के परिणामस्वरूप २४ करोड़ रुपये में से ४ करोड़ की कमी की गई, अर्थात् लगभग १६॥ प्रति शत। यह कमी उन विभिन्न योजनाओं के व्यय के सम्बन्ध में की गयी जो उन्हें गत आठ मासों में प्रस्तुत की गयी थीं—और यह सब सम्बन्धित मंत्रालय की पूर्ण सहमति के साथ किया गया है।

श्री मेघनाद साहा : एक वैज्ञानिक विभाग के प्रमुख होने के नाते मैं यह बतलाना चाहता हूं कि वर्ष के प्रथम भाग के लिये आयव्ययित राशि में से केवल आधी ही राशि मिलती है। वर्ष के दूसरे भाग के लिये मुझे वित्त मंत्रालय जा कर यह स्पष्ट करना पड़ता है कि ऐसे गवेषणा कार्य से क्या लाभ है।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं इस विशिष्ट मामले में अवश्य देखूंगा।

हम में से प्रत्येक का यह दोहरा लक्ष्य है : (१) यह देखना कि रुपया उचित प्रकार से प्रयुक्त हो और (२) इसका शीघ्रता से उपयोग किया जाये।

अब मैं लेखा पालन को लेखा-परीक्षण से अलग करने के प्रश्न पर आता हूं। एक से अधिक माननीय सदस्यों ने इसका जिक्र किया है। मैं पहले यह स्पष्ट कर चुका हूं कि सिद्धान्ततः सरकार इसके पक्ष में है और सरकार के लिये वास्तविक विचारणीय बात है कि यह परिवर्तन इस तरह लाया जाय कि प्रशासन में कोई असंयमता न आ जाये। पिछली बार मैं ने बतलाया कि अनेक राज्य सरकारें इस पृथक्करण के पक्ष में नहीं थी। मुझे विश्वास है कि सदन इस बात से सहमत होगा कि इस प्रकार का आधारभूत परिवर्तन एक साथ नहीं किया जा सकता और उसमें कई वर्ष लगेंगे। जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है, रेलवे तथा रक्षा सेवाओं में यह पृथक्करण किया जा चुका है। खाद्य तथा रसद विभागों में पृथक्करण सम्बन्धी चर्चा काफी आगे तक पहुंच चुकी है और मुझे आशा है कि निकट भविष्य में कोई निर्णय किया जा सकेगा।

फिर इस प्रकार की कुछ और बातें उठाई गई थीं। एक बात श्री टी० एन० सिंह ने आधिक्य वाले अनुदानों के बारे में उठाई थी। स्थिति काफी साफ है। उन्होंने अनुच्छेद ११५(१)(ख) का उद्धरण ठीक ही दिया है कि आधिक्य अनुदान (एक्सेस ग्रांट) संसद् के सामने रखे जायें। स्थिति यह है कि संवि-

धान के वित्तीय उपबन्ध १ अप्रैल, १९५० से अभावी हुये । वर्ष का वास्तविक व्यय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा विनियोजन लेखे तैयार कर लिये जाने पर ही पता चलता है । अत: अधिक व्यय की मांग लोक लेखा समिति द्वारा सम्बन्धित वर्ष के विनियोजन लेखों के परीक्षण के बाद ही रखी जाती है और संसद् को अधिक व्ययों के कारण तथा उन पर लोक लेखा समिति के विचार विदित हो चुकते हैं । आज स्थिति यह है कि यद्यपि १९५०–५१ के रेलवे , डाक तथा तार और रक्षा के विनियोजन लेखे तैयार किये जा चुके हैं और संसद् के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके हैं, असैनिक विभागों के विनियोजन लेखे अभी तक तैयार नहीं हैं और अभी लोक लेखा समिति उन पर विचार करेगी और उसकी जांच के बाद ही सदन से आधिक्य अनुदानों पर विचार करने को कहा जायेगा ।

श्री टी० एन० सिंह (बनारस–ज़िला पूर्व) : तो रेलवे और रक्षा को ले लेने में क्या आपत्ति है ? रेलवे सेवाओं पर तो सदा पृथक विचार किया जाता है ।

श्री सी० डी० देशमुख : इसका उत्तर तो रेलवे मंत्रालय ही दे सकता है । यदि माननीय सदस्य ने डाक और तार के बारे में पूछा होता तो दूसरी बात थी, परन्तु स्मृति के बल पर ही मैं यह न बता सकूंगा कि डाक तथा तार में कितने अधिक व्यय हुये हैं । संभव है कुछ भी न हुये हों .....

श्री टी० एन० सिंह : हुये हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं पता लगाऊंगा इस बात को सुविधानुसार लिया जा सकता है ।

लोक-लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही के बारे में भी बात उठाई गई थी । सब मिला कर मैं यह कह सकता हूं कि प्राय: उनकी सभी सिफारिशें मान ली गई हैं और उनको कार्यान्वित किया गया है । यहां विवरणों को लेने का समय नहीं है । जहां तक प्राक्कलन समिति का सम्बन्ध है, मुझे विश्वास है कि समय समय पर हम सदन को ये विवरण बताते रहते हैं कि कौन सी सिफारिशें मानी गई हैं और कौन सी नहीं मानी गई हैं । मुझे ठीक विदित नहीं है कि लोक लेखा-समिति के बारे में भी हम इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं या नहीं । परन्तु मैंने उनकी सभी प्रमुख सिफारिशों—१, २, ३, ४, ५ और ६—की जांच की है, और मैं देखता हूं कि प्रत्येक मामले में वित्त मंत्रालय ने आवश्यक निदेश निकाल दिए हैं । पर यदि किसी मामले में लोक-लेखा समिति समझे कि उसकी सिफारिशें उचित रूप में कार्यान्वित नहीं की गई हैं, तो उस मामले की सूचना पाकर मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि जैसा मैंने बताया मैं इन दोनों समितियों को वित्त मंत्रालय का अत्यन्त महत्वपूर्ण मित्र मानता हूं ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह प्रथा नहीं है कि हमारी किसी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार करने का वक्तव्य देने के पूर्व सम्बन्धित मंत्रालय सदैव वित्त मंत्रालय की सहमति प्राप्त करता है विदित प्रक्रिया होती यही है ।

श्री सी० डी० देशमुख : वह ठीक है । मैं समझता हूं कि मुझे एक मामला पता है । निर्णय के यह भेद वाले विशिष्ट मामलों की सिफारिशें एक बात है और प्रक्रिया सम्बन्धी सिफारिशें दूसरी बात है । मुझे एक-दो मामले मालूम हैं, जिनमें मंत्रालयों का विचार वही नहीं था, जो लोक लेखा समिति का । पर इस मामले में प्रक्रिया यह है कि उसको मंत्रि-परिषद् के सामने लाया जाता है । वित्त मंत्री के कुछ विचार रखने का प्रश्न नहीं है । सारी

मंत्रिपरिषद् के सहमत होने या न होने की बात है और मंत्रिपरिषद् में चर्चा हुए बिना किसी मंत्री द्वारा कोई वक्तव्य नहीं दिया जाता। खेद है कि मैं इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता ।

अब मैं उठाई गई अन्य बात करारोपण को लूंगा। सब से पहले मैं करापात के प्रश्न को लूंगा कि यह प्रगतिशील है अथवा नहीं और यह देश के विकास में प्रेरणा देता है या नहीं— इन बातों की जांच करारोपण जांच आयोग कर रहा है। वह दिल्ली में साक्ष्य एकत्र कर रहा है और वर्ष के अन्त से पहले मुझे कुछ संकेत मिल सकेगा कि प्रमुख विषयों पर उनके विचार क्या हैं, जिससे केन्द्र तथा राज्य सरकारें आवश्यक परिवर्तन कर सकेंगी और अगला आयव्ययक प्रस्तुत करते समय आवश्यक परिवर्त्तन कर सकेंगी ।

जहां तक भूतकालीन नीति का सम्बन्ध है, हम दावा कर सकते हैं कि यह क्रमशः निधनों का बोझ हलका करती रही है। मैं उदाहरण देता हूं । १९४७ से आय-कर विमुक्ति सीमा निर्धनों या अपेक्षतया निर्धनों पर २,००० रुपए से बढ़ा कर व्यक्तियों के विषय में ४,२०० रुपए कर दी गई है और अविभाजित हिन्दू परिवारों के विषय में ८,४०० रुपए कर दी गई है ।

श्री एस० एन० दास (दरभंगा-मध्य) : ये मामले निर्धनों का निर्देश नहीं करते ।

श्री सी० डी० देशमुख : इसी से मैंने अपेक्षतया निर्धन कहा था क्योंकि मेरी समझ से मध्यम वर्गीय लोग नए निर्धन हैं। १९४९ में आय कर १,५०० से ५,००० रुपयों और ५,००० से १०,००० की श्रेणियों में क्रमशः प्रति रुपए एक आना और दो आना से घटा कर नौ पाई और एक आना नौ पाई कर दिया गया था। १९५० में १०,००० से १५,००० रुपयों की श्रेणी में आयकर को साढ़े तीन आने से घटाकर तीन आने कर दिया गया था और १५,००० रुपयों के ऊपर पांच से आने से घटा कर चार आने कर दिया गया था। पर अधिकतम आयकर की पांच आने से चार आना करने में होने वाली कमी को अधिकर की न्यूनतम श्रेणी की दर को दो आने से तीन आने बढ़ाकर पूरा कर दिया गया था। कंपनियों को छोड़ अन्य निर्धायों की बात सोचिए । आंकड़े बताते हैं कि २५००० रुपयों से अधिक वाले निर्धार्य समग्र निर्धायों के पांच प्रतिशत हैं और देश की कुल जन संख्या की तुलना में यह संख्या बहुत ही थोड़ी लगती है। मोटे रूप में ३६ करोड़ की जन संख्या में लगभग आठ लाख व्यक्ति ही निर्धार्य हैं। २५,००० रुपयों से अधिक आय वाले व्यक्तियों द्वारा दिया गया कर कुल कर का ७५ प्रतिशत है। यदि यह प्रगतिशील करारोपण नहीं है, तो मैं नहीं जानता कि वह क्या होगा ।

कभी यह अनुमान कर लिया जाता है कि अप्रत्यक्ष कर निर्धनों पर पड़ते हैं। माननीय सदस्यों ने इस पर प्रकाश डाला है। पर यह भी एक भ्रांत धारणा ही है। वस्तुतः निर्यात शुल्क के रूप में लगने वाला अप्रत्यक्ष का स्थानीय जनता पर कोई प्रभाव नहीं डालता। आयात शुल्कों और केन्द्रीय शुल्कों आदि शेष करों के बारे में मैंने जो न्यूनतम मापदंड बनाए हैं उनसे पता चलता है कि २१० करोड़ के कुल योग में से ७० करोड़ का भार निर्धनों पर नहीं बल्कि धनाढ्यों पर पड़ता है। इसमें मोटर कारें, शराब, स्पिरिटें रेशम, छोटे-मोटे सामान, बहुत बढ़िया कपड़ा, अच्छी सिगरेटें आदि आती हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं पूरी सूची पढ़ सकूं। पर शुल्क-दरें मेरे पास हैं । रेशम

नकली रेशम, और मोजों पर १०१ प्रतिशत; न बनाई गई तम्बाकू १९२ प्रतिशत; एल, बियर, पोर्ट आदि २२८ प्रतिशत; ब्रांडी, जिन, ह्विस्की २०८ प्रतिशत । दूसरी ओर सूखे बिलोए हुए दूध, दालों नमक और पुस्तकों पर कुछ शुल्क नहीं लगता, पेन्सिलिन पर थोक में २० प्रतिशत लगता है । अतः मैं यही बताना चाहता हूं कि विभिन्न शुल्कें निश्चित करते समय इन सब बातों पर पूरा ध्यान दिया जाता है ।

श्री टी० एन० सिंह : और बीड़ी और वस्त्र ?

श्री सी० डी० देशमुख : वह उत्पादन शुल्क का क्षेत्र है, अर्थात् लोग जितना खरीदें उतना शुल्क लगता है । मेरे द्वारा निर्दिष्ट बहुत बढ़िया कपड़ा वस्त्र के क्षेत्र में ही आता है । मेरा अभिप्राय यह है कि यदि कोई ५० पौंड बहुत बढ़िया कपड़ा खरीदे, तो वैसा ही शुल्क लगेगा । तो क्या आपका अर्थ यह है कि साधारणतः सभी उत्पादन-कर निर्धनों पर पड़ते हैं ?

सामान्य करारोपण के बारे में मुझे यही कहना है । साथ ही मैं सदन को एक पिछले आवश्यक भाषण की याद दिलाऊंगा । वित्त मंत्रालय ने यदि गर्व के साथ कोई कार्य किया है, तो वह संपदा शुल्क का अधिनियमन है । पर सदन भूल गया है कि एक ऐसा अधिनियम पारित हो चुका है ।

श्री गाडगिल : उन्हें कोई नहीं भूला है । सदन आय की कुछ सीमा चाहता है । आप ने जो छोटी-मोटी दया दिखाई है, उसे कोई नहीं भूला ।

श्री सी० डी० देशमुख : जहां तक आप की सीमा का सम्बन्ध है, यह बात करारोपण जांच आयोग हमें बताएगा कि क्या सीमाएं निश्चित की जाएं । शायद वह यह प्रस्ताव करे कि सब से बड़ी श्रेणी पर, जहां श्रेणी निश्चित की जा चुकी है, अधिकतम कम कर दिया जाए, अथवा वह एक ऐसी कर-प्रणाली का सुझाव दे सकता है जिससे न्यूनतम और अधिकतम आयों में कम अन्तर रहे ।

श्री गाडगिल : जब तक करारोपण जांच-आयोग यह जाने कि सरकार की मुख्य नीति क्या है, वह क्या सिफारिश करेगा ?

श्री सी० डी० देशमुख: करारोपण जांच आयोग हमें परामर्श देरहा है, हम उसे नहीं ले रहे हैं । कल उसने श्री खंडूभाई देसाई से बात की थी और उन्हों ने अपनी बातें स्पष्ट कर दी होंगी । शायद आयोग उनके विचार से प्रभावित हो जाए । मुझे मालूम नहीं कि उसने श्री गाडगिल से बात की है या नहीं ?

श्री गाडगिल : वह मुझ से बात न करेगा । यह निश्चित है ।

श्री सी० डी० देशमुख : अब मैं प्रत्यर्पण का निर्देश करना चाहता हूं । एक शिकायत की गई थी कि प्रत्यर्पण शीघ्रतापूर्ण नहीं दिये जाते हैं । १९५०–५१ में वास्तव में २५ करोड़ रुपये का प्रत्यर्पण स्वीकार किया गया था । १९५२–५३ में यह ३३.६३ करोड़ रुपये था । १९५३–५४ में यह ३७ करोड़ रुपये था । ये बकाया जमा हो रही है । हमें भुगतानों का कोई बोध नहीं है । मासिक प्रत्यर्पण प्रार्थना पत्रों की संख्या से यह पता नहीं लगता है कि वैत्तिक वर्ष के अन्तिम मासों में कोई यकायक गिरावट है । फरवरी १९५४ के अन्त तक प्रत्यर्पण प्रार्थनापत्रों की, जो निबटाने थे, संख्या ७८,७५२ थी । इस काल में जो प्रार्थनापत्र निबटाये गये उनकी संख्या ६८,१३८ थी । यह काफ़ी बड़ी संख्या है ।

[श्री सी० डी० देशमुख]

मार्च के आरम्भ में अनिश्चित बड़े प्रार्थनापत्रों की संख्या १०,६१४ थी । अभी तक मुझे आंकड़े प्राप्त नहीं हुये हैं, परन्तु मुझे आशा है कि उनमें से अधिकतर मामलों को मार्च में निबटा दिया गया होगा ।

प्रशुल्क विभाग में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कुछ अन्य बातें भी थीं । मैं पहिले यह दिखाने के लिये आंकड़े दे चुका हूं कि आंकड़ों से यह पता लगता है कि यद्यपि भ्रष्टाचार की घटनायें होती हैं परन्तु भ्रष्टाचार इतना नहीं है जितना कि माननीय सदस्य समझते हैं ।

अफीम तथा मादक वस्तुओं के उपभोग आदि के सम्बन्ध में एक विशेष शिकायत थी । परन्तु ये बहुत छोटी छोटी समस्यायें हैं तथा मैं, इस स्थिति में इन पर सदन का समय लेने की आवश्यकता नहीं समझता हूं ।

मैं एक मामले का उल्लेख करना चाहूंगा और यह विदेशी विनियोग का है जो महत्वपूर्ण है तथा जिस पर हमें यह स्पष्ट करना चाहिये कि हमारा विचार क्या है । एक माननीय सदस्य मेरा विचार है कि वह कदाचित श्री साधन गुप्त थे—ने हमें दोष लगाया था कि हम विदेश शोषण को स्वीकार कर रहे हैं । उन्हों ने कहा था कि हम अभेदभावपूर्ण विदेशी पूंजी के आने की अनुमति दे रहे हैं । फिर उन्होंने कांग्रेस दल के नेताओं के १९३८ की अधिघोषणाओं का उद्धरण दिया था । में महसूस करता हूं कि यह कहना कोई संगतमय तर्क नहीं है कि १९३८ में, जबकि देश पराधीन था, क्या कहा गया था । अब वह उपनिवेशवाद समाप्त हो गया है । उस समय में, विदेशी पूंजी के आने में यह भय अवश्य था कि इसके परिणामस्वरूप विदेशियों के हाथ में आर्थिक शक्ति और भी दृढ़ होगी और फिर वे आर्थिक शोषण करने के लिये और भी अधिक शक्ति शाली हो जायेंगे । परन्तु माननीय सदस्य ने तथ्य का निर्देश नहीं किया है या तथ्य पर उचित रूप में विचार नहीं किया है कि हम अब स्वतन्त्र हैं । सरकार को इस बात का विश्वास करने का पर्याप्त अधिकार है कि विदेशी पूंजी से राष्ट्रीय हित को तो हानि नहीं होती है ।

जहां तक सरकार की साधारण नीति का सम्बन्ध है, यह बार बार घोषित किया गया है—संक्षिप्त में—कि विदेशी पूंजी उचित तथा स्वागत के पात्र है बशर्ते कि यह उचित प्रकार की हो तथा उचित क्षेत्रों में लगने के लिये हो । मेरा विचार है कि यह बात पीछे बोलने वाले माननीय सदस्य, श्री के० के० बसु, ने स्वीकार कर ली है । उन्होंने कहा था कि इसको प्रमाणरूप में राष्ट्रीय हित में होना पड़ेगा । हमारे सारे प्रयत्न इसी लक्ष्य की ओर हैं । माननीय सदस्य जानते हैं कि विदेशी विनियोग की योजना के स्वीकृत होने के पूर्व, इस प्रकार की जांच के अधीन होती है कि इस से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हितों में प्रगति होगी । मैं जानता हूं कि उन्होंने बहुत से मामलों का निर्देश किया है । यदि वह आज की बजाये कल बोले होते तो अच्छा होता क्योंकि इन मामलों में से प्रत्येक मामले का, चाकलेट, साबुन आदि, विस्तृत वर्णन करना मेरे लिये असम्भव है । हो सकता है कि कोई उत्तर हो या न हो; गलती की गई हो या न की गई हो परन्तु, थोड़ी और वस्तु स्थिति यह है । जिस बात का मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

माननीय सदस्य को डर था कि यह देश के संसाधनों का शोषण है । यह कहना स्वयं सिद्ध है कि सेवा कर या लाभ व लाभांश,

जो विदेशी पूंजी को होता है, देश की अर्थ-व्यवस्था पर, किसी प्रकार भी विदेशी विनिमय संसाधनों पर, एक भार डालता है परन्तु में यह बताना चाहता हूं कि वह इसका केवल एक भाग है । विदेशी पूंजी लाभदायक सेवा कर सकती है अथवा शिल्पिक ज्ञान ला सकती है, विशेषकर हमारी जैसी अविकसित या अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था में । यह सदैव ही निर्णय करने का प्रश्न है कि लाभ कहां होता है । परन्तु, मेरा विचार है केवल लाभ के प्रेषणों को देखने से भुगतान संतुलन पर विदेशी विनियोग के दबाव की संकुचित दृष्टि से भी, सम्भव है कि स्थिति का बिगड़ा हुआ स्वरूप दिखाई पड़े । माननीय सदस्यों ने जो बहुत से प्रश्न उठाये हैं उन में से बहुत से मुरदों को उखाड़ने के प्रकार के हैं । इस का कारण यह है कि जब हम ने सम्बन्धित विधान पर विचार किया था उस समय इन सारी बातों पर विचार किया गया था ।

तेल शोधक कारखानों में लगभग ३५ करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी लगेगी । मान लीजिये कि इस पर १० प्रतिशत लाभ होता है तो इस पर लगभग ३ या ४ करोड़ रुपये प्रति वर्ष लाभ होगा । दूसरी ओर वर्तमान मूल्यों के अनुसार कारखानों का उत्पादन लगभग ४४ करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा । इस के लिये, लगभग २६ से २७ करोड़ रुपये तक के अशोधित तेल का आयात करना आवश्यक होगा । इस का अर्थ है कि लाभ के विरुद्ध १७ या १८ करोड़ पये के विदेशी विनिमय की प्रति वर्ष बचत होगी । यह लाभ, मैं पहिले ही बता चुका हूं कि ४ करोड़ रुपये से अधिक न होगा । विदेशी विनियोग की परियोजनाओं की जांच करने में, किसी भी विशेष परियोजना का विदेशी विनिमय अर्थ शास्त्र सदैव ही उन बातों में से एक होता है जिन पर विस्तृत रूप से विचार किया जाता है । परन्तु यही एक कसौटी नहीं है । हो सकता है कि विदेशी पूंजी का विनियोग ऐसे उद्योग में हो जो, यदि देशीय पूंजी के सहारे ही छोड़ दी जाती तो, कदाचित कभी भी स्थापित न होती । इस का कारण या तो यह हो सकता है कि देश में शिल्पिक व्यक्ति प्राप्य नहीं है या यह हो सकता है कि देशीय पूंजी एक नवीन क्षेत्र में साहसपूर्ण आगे बढ़ना नहीं चाहती है । ऐसे मामलों में, विदेशी पूंजी के विनियोग से देश में स्पष्ट रूप से कार्य में वृद्धि होती है तथा हमारे नागरिक शिल्पिक ज्ञान प्राप्त करते हैं । वास्तव में, यह हमारी प्रगति की प्राथमिक शर्तों में से एक है ।

दूसरी बात यह कही गई थी कि विदेशी पूंजी ऋण के रूप में आनी चाहिये तथा प्रत्यक्षतः निजी विनियोग के रूप में नहीं । हमें जो पूंजी विश्व बैंक से प्राप्त हो रही है वह वास्तव में ही उस प्रकार की है । यह ठीक है कि इस में आने वाली विदेशी पूंजी में यह सब से अधिक है । प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग बहुत नहीं हुआ है तथा मेरा विचार है कि आंकड़ों से यह प्रकट होता है कि विनियोग की बजाये अविनियोग हुआ है । अतः, यह बात नहीं है कि विदेशी पूंजी यहां आने के लिये हम से प्रार्थना कर रही है । प्रत्यक्ष विनिमय का एक लाभ यह है कि यह अपने लाभ से अपनी आय प्राप्त करता है । ऋण के मामले में यह ढील नहीं है । विदेशी निजी विनियोग अपने साथ शिल्पिक व्यक्तियों को लाता है जबकि ऋण में ऐसा नहीं होता है ।

ऐसे भी मामले हैं जिनमें हमें परामर्श-दाताओं के प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं । वे प्रति-वेदन, यदि परामर्शदाता स्थापित होने वाले उद्योग में भाग लेने को तैयार न हों तो, हमारे ऊपर एक बड़ा भारी भार डालते हैं । यह एक प्रकार की सुरक्षा है । अतः हम महसूस करते हैं कि विदेशी विनियोग के लिये निश्चित

[श्री सी० डी० देशमुख]

क्षेत्र है। यद्यपि इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जाता कि उन मामलों में जहां इसका दुरुपयोग होता है या जहां यह देश के हित में नहीं होती है, उनका पुनरीक्षण होना चाहिये। मैं सदैव ही माननीय सदस्यों से, जिनमें श्री बसु भी सम्मिलित हैं, ऐसे मामलों की सूचनाओं का स्वागत करने को तैयार हूं जहां वे महसूस करते हैं कि—यद्यपि उन्होंने पहले ऐसा नहीं किया है—विदेशी पूंजी यहां अपना कार्य करने की अनुमति का अनुचित लाभ उठा रही है।

श्री मेघनाद साहा : देश से कितनी विदेशी पूंजी बाहर गई है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं समझता हूं वास्तविक अविनियोग १९४५ से अब तक ३५ करोड़ रुपये तक का हुआ है।

श्री मेघनाद साहा : मुझे बताया गया था लगभग २० करोड़ रुपये।

श्री सी० डी० देशमुख : माननीय सदस्य ने मुझ से सूचना मांगी है। यह निश्चित है कि यह ३५ करोड़ रुपये तक का है। हो सकता है कि यह २० करोड़ रुपये का हो या २५ करोड़ रुपये का हो।

इस से मैं उस बात पर आता हूं जो माननीय सदस्य ने पौंड पावना के सम्बन्ध में कही थी। यह सच नहीं है कि पौंड पावना पर केवल एक प्रतिशत लाभ हो रहा है। अब यू० के० में राजकोष की दर में वृद्धि होने के कारण, हमारा लाभ बहुत ऊंचा है। माननीयत सदस्य ने कहा था कि वे पौंड पावना अक्रिय ह। यदि हम इससे विदेशियों के उद्योगों का भुगतान कर देते तो यह देश के हित में होता जहां तक यह क्रियात्मक था, यह पहिले ही कर दिया गया था। उदाहरण के लिये, हमने कुछ आभारों का निबटारा किया। हमने सारे रलव ऋण पत्रों का निबटारा किया। हम ने रेलवे पत्रों को वापस लिया। हम ने सारे पौंड-ऋण चुका दिये। मैं धनराशि भूल गया हूं परन्तु यह लगभग ५०० करोड़ या ६०० करोड़ रुपये है।

एकमात्र अन्तिम बात जो मैं कहना चाहता हूं यह है कि यह अच्छा होगा यदि हम अपने अवशेषों को, जो निश्चित दर के अनुसार प्राप्त होते हैं, पूंजी आस्ति बनाने के बजाये उपभोक्ता वस्तुओं के लिये, जो अनिवार्य हैं या पूंजीगत वस्तुओं के लिये प्रयोग करें।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या मैं एक प्रश्न कर सकता हूं ? माननीय मंत्री ने अभी अपने उत्तर में गैर सरकारी निगमों के संसदीय नियन्त्रण पर साधारण रूप में कुछ कहा था। उन्हों ने पिछली बार हुए विचार विमर्श का भी निर्देश किया था जिसमें उन्हों ने आश्वासन दिया था कि वह या तो एक विशेष विधेयक प्रस्तुत करेंगे और या समवाय विधेयक के कुछ संशोधन प्रस्तुत करेंगे। आज प्रातः आपने घोषणा की थी कि इस सत्र में समवाय विधेयक सदन में प्रस्तुत होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह एक विशेष विधेयक प्रस्तुत करेंगे अथवा गैर-सरकारी निगमों के संसदीय नियन्त्रण का उपबन्ध करने के लिये समवाय विधि के संशोधन प्रस्तुत करेंगे ?

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे याद नहीं है कि मैं ने ऐसा कोई आश्वासन दिया है। यदि मैं ने ऐसा आश्वासन दिया है तो इसे पूरा करने के लिये बाध्य हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब कटौती प्रस्ताव तथा मांगें रखूंगा। पहिले मैं कटौती प्रस्ताव रखूंगा।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मांगों को मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा मांग संख्यायें २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२० तथा १२१ मतदान के लिये प्रस्तुत की गईं तथा स्वीकृत हुईं ।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं शेष मांगों को लूंगा ।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव संसद सचिवालय सम्बन्धी मांगों के विषय में भेजे थे । उन को कदाचित अग्राह्य घोषित कर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को यह बता दिया गया था परम्परा के अनुसार संसद सचिवालय सम्बन्धी मांगों के विषय में कोई कटौती प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जाते हैं । संसद सचिवालय अध्यक्ष महोदय का विभाग है और उस पर यहां सदन में चर्चा नहीं हो सकती है । यदि किसी सदस्य को संसद सचिवालय के सम्बन्ध में कुछ शंकायें हों तो वह सचिव से सूचना प्राप्त कर सकते हैं । यदि उस से उन की सन्तुष्टि न हो तो वह अध्यक्ष महोदय से मिल कर अपना समाधान कर सकते हैं । हम सदन की सम्पूर्ण प्रभाव सम्पन्नता के प्रतीकस्वरूप अध्यक्ष महोदय इसी सदन में आलोचना का विषय नहीं बनाये जा सकते हैं ।

यदि माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय अथवा उन की कार्यवाहिय से असन्तुष्ट हों तो उस का उपाय अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करना है । इस विषय को कटौती प्रतावों के द्वारा नहीं उठाया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा मांग संख्यायें ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, १०७, १०८, १०९ तथा १३१ मतदान के लिये प्रस्तुत की गईं तथा स्वीकृत हुईं ।

विनियोग (संख्या २) विधेयक

अध्यक्षय महोदय : अब सदन विनियोग (संख्या २) विधेयक पर चर्चा करेगा ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५४-५५ में व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं विधेयक को पुर:स्थापित* करता हूं तथा प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विचार किये जाये** ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"वित्तीय वर्ष १९५४–५५ में व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १, २ और ३ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

[अध्यक्ष महोदय]

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तावक प्रस्तुत

र र

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयको तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

(छठी रिपोर्ट कास्बीकरण)

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सदन १४ अप्रैल, १९५४ को इस सदन में उपस्थापित की गई गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति की छटी रिपोर्ट से सहमत होता है ।"

श्री एस० एन० दास ने २ अप्रैल, १९५४ को अपना संकल्प प्रस्तुत करते समय १७ मिनट का समय लिया था और आज का सारा दिन भी उसी पर चर्चा होने में समाप्त हो सकता है । अगले संकल्प के लिये निश्चित समय २।। घंटे का है । वह संकल्प श्री गोपालन द्वारा प्रस्तुत किया गया है और वह नागरिक स्वतंत्रता ों को प्रतिबन्धित करने के प्रश्न की जांच करने के लिये एक संसदीय आयोग की स्थापना ।कये जाने के सम्बन्ध में है । अगले दो घंटे डाक तथा तार विभाग के वित्त को सामान्य वित्त से प्रथक करने के सम्बन्ध में दिये गये संकल्प के लिये हैं; इस के बाद २।। घंटे प्रथम पंचवर्षीय योजना को पूर्णरूपेण सफलता प्राप्त कर ने केसम्बन्ध में सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों के बारे में श्री एच० एल० अग्रवाल के संकल्प के लिये हैं ।

अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन इसे स्वीकृत करे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सदन १४ अप्रैल, १९५४ को इस सदन में उपस्थापित की गई गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की छटी रिपोर्ट से सहमत होता है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

केन्द्र में प्रशासन तंत्र तथा कार्यप्रणाली के विषय में संकल्प जारी

श्री एस० एन० दास (दरभंगा मध्य) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिन जब मैंने इस प्रस्ताव को इस सदन में पेश किया था उस समय मैंने ज़िक्र किया था कि इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने देश के प्रशासन तंत्र और उसकी पद्धति के बारे में जांच करने के लिए एक ऐसे आयोग की स्थापना करें कि जो इस के बारे में पूरी जांच पड़ताल करने के बाद प्रशासन के सम्बन्ध में और प्रशासन पद्धति के सम्बन्ध में सरकार के सामने अपने सुझाव और सिफारिशों को रक्खे । मैंने यह कहा था कि आज जो हमारे देश में प्रशासन तंत्र है उसकी कल्पना उस समय में हुई थी जिस समय हम गुलाम थे, और उस संगठन को भी उन्हीं लोगों ने लागू किया था जिनको इस देश अपने शासन को बहुत दिनों के लिये क़ायम रखना था ।

जैसे हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने शासन को चलाने क लिए बहुत परिश्रम और

मेहनत करके, बहुत समय लगा कर, विधान का निर्माण किया था, उसी प्रकार से आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने प्रशासन तंत्र के सम्बन्ध में बहुत ही व्यापक रूप से, पूरी जानकारी हासिल करें और जानकारी हासिल करने के बाद उसमें ज़रूरी सुधार करें। इसमें कोई शक नहीं है कि आज की अवस्था में हमारे राज्य के जो भी मुख्य अंग हैं, कानून बनाने वाला अंग, क़ानून को देश में लागू करने वाला अंग और न्याय विभाग, इन तीनों भागों में सबसे महत्वपूर्ण भाग ऊपर से देखने में क़ानून बनाने वाले भाग को कहा जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रजातन्त्र में यह क़ानून बनाने वाला विभाग, जैसा कि हम वर्तमान पद्धति को देखते हैं, सिवा बहस और सुझाव के ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। इस लोक कल्याणकारी राज्य की जो कि हमने कायम किया है और हमने जो ऊंचे ऊंचे आदर्श रक्खे हैं, उनकी सफलता विशेष कर उन्हीं लोगों पर है जो हमारे देश में प्रशासन तंत्र में काम करने वाले कार्यकर्त्ता लोग हैं चूंकि समय कम है इसलिये इसकी ज्यादा व्याख्या न करके मैं एक श्री रैम्ज़े म्योर नाम के जो अंगरेज लेखक हैं, जिन्होंने अपनी किताब 'हाउ ब्रिटेन इज़ गवर्न्ड' अपने प्रशासन तंत्र के महत्व के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उसे ही सदन के सामने पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने जो लिखा है वह इस प्रकार है :

"पिछली शताब्दी से नौकरशाही हमारी सरकार का एक महत्वपूर्ण तथा अभिन्न अंग बन गई है। हमारी शासन पद्धति का यह क्रियाकारी अंश है। नौकरशाही की शक्ति न केवल प्रशासन में अपितु विधान निर्माण तथा वित्त के सम्बन्ध में भी देखी जा सकती है। यह न केवल क़ानूनों को बनाती है अपितु उनको कार्यान्वित भी करती है। यह न केवल करारोपण से प्राप्त धन को व्यय ही करती है बल्कि यह निश्चय भी करती है कि कितन कर लिया जाये तथा किस प्रकार लिया जाये।"

यह अंगरेजी शासन पद्धति की बात है, हमने तो अंगरेजी शासन का जो ढांचा है, जो सिद्धांत है, उससे भी बहुत बड़े बड़े व्यापक कार्य तथा बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ली हैं। ऐसी हालत में हमारे इस राज्य का जो प्रशासन तंत्र है उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसलिये ज़रूरत इस बात की है कि हम इस बात को देखें कि अभी तक हमारे देश में जो कार्यकर्त्ता लोग बहाल किये जाते हैं, उन के बहाल करने का क्या तरीक़ा है और हमने बहाली का जो तरीक़ा रक्खा है, उनकी शिक्षा की जो आवश्यकता रक्खी है, जांच का जो तरीक़ा लागू है, परीक्षा का जो विधान कायम है, साथ ही साथ मौखिक प्रश्नोत्तर (वाइवा वोसी) का जो क़ायदा हमने रक्खा है, वह कारगर और उपयुक्त है या नहीं हैं। मेरे ख़याल से और देश के जो दूसरे सोचने वाले और विचारने वाले लोग हैं, सभी ने पूरी जांच पड़ताल के बाद यह निश्चय किया है कि हमारी कार्यकर्त्ताओं के चुनने की, सेवकों के चुनने की, चाहे वह आल इंडिया सर्विस के लिये हों, चाहे प्राविंशियल सर्विस के लिये हों, वर्तमान पद्धति कारगर नहीं है। यद्यपि यह बात सही है कि हमने विधान के जरिये से एक ऐसा संगठन दिया है, 'यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन' के नाम से क़ायम किया है जो एक स्वतंत्र संस्था है, और जिसमें इस बात की पूरी गुंजाइश है कि किसी भी राजनैतिक या अन्य प्रकार का पक्षपात न होने पावे। मैं इस संस्था के प्रति ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं जो इस संस्था के मान के खिलाफ हो, लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ़ से हमारे शासन के सम्बन्ध में जान-

[श्री एस० एन० दास]

कारी हासिल करने के लिये जो एक ऐपेल्बी साहब बुलाये गये थे, उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, या उस की जो पद्धति है उसके बारे में, जो कहा है वह यह है कि यह प्रणाली बहुत कुछ रूढ़िवादी है और इसका दृष्टिकोण मानव सम्बन्धों पर आधारित नहींहै ।

आगे उन्होंने यह कहा है कि जिस आधार पर चुनाव होते हैं वह आधुनिक नहीं है अपितु दक़ियानूसी है । इस प्रकार केवल एक ही तरह के व्यक्तियों का चुनाव हो सकता है । चुनाव अधिकांशत: परीक्षाओं से प्राप्त शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर किये जाते हैं और लोक प्रशासन के लिये अपेक्षित अन्य बातों पर कम ध्यान दिया जाता है । अभ्यर्थी की विकास सम्भावनाओं की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया जाता है ।

एक विदेश के परीक्षक, जो दूसरी जगह से हमारे प्रशासन तंत्र के ढांचे के बारे में जांच करने आये, और उन्होंने जो कुछ कहा, और जिसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ कर सुनाया, उससे स्पष्ट मालूम होता है कि हमने एक स्वतंत्र संस्था का निर्माण तो किया, लेकिन वह स्वतंत्र संस्था ठीक उसी ढंग से काम करती आ रही है जैसे कि औपनिवेशिक शासन के समय में होता था । बदली हुई अवस्था में जब कि हमने अपने ऊपर बड़ी बड़ी ज़िम्मेदारियां ली हैं, अगर हम आल इंडिया सर्विसेज और प्रान्तीय सर्विसेज के लिये अपने समाज में से अच्छे से अच्छे और ऊंची से ऊंची योग्यता के लोगों को चुनने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो हमारा यह सारा प्रजातंत्र को सफल करने का प्रयत्न निष्फल जायेगा । इसीलिये, सभानेत्री जी, मैं कहना चाहता हूं कि आवश्यकता इस बात की है कि यद्यपि हमने एक स्वतंत्र संस्था का निर्माण किया है, लेकिन स्वतंत्र संस्था का निर्माण कर देने से ही कुछ नहीं होता । हम को देखना होगा कि हमने अपने सामने जो आदर्श रक्खा है उसे पूरा करने वाले लोग किस मात्रा में और कैसे इस संगठन के द्वारा हमारे शासन तंत्र में आते हैं ।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जितनी भी जांच पड़तालें हमने अभी तक की हैं, और जितनी भी हमारे सामने समालोचनायें आती हैं, उनमें कहा जाता है कि हमारे देश में स्वराज्य तो हुआ, लेकिन सुराज्य नहीं हुआ । कहा जाता है कि स्वराज्य लाने में कठिनाई कहां है । मैं नहीं कहता कि सारी कठिनाई और सारी बुराई शासन तंत्र में ही है बुराई तो हमारे समाज के अन्दर है । जिस समाज में हम रहते हैं, उसी का प्रतीक शासन होता है । लेकिन सभानेत्री जी, इस बात को हमें मानना होगा कि जैसे हमने अपने देश के लिये एक संविधान बनाया, उसी तरह संविधान बनाने के साथ प्रशासन कार्यकर्त्ताओं का कैसे चुनाव होना चाहिये, इसकी जांच पड़ताल का हमने कोई प्रबन्ध नहीं किया । हमारे विद्यालयों में और यूनिवर्सिटियों में जो शिक्षा अब तक दी जाती है वह शिक्षा सिर्फ इसलिये प्राप्त की जाती है कि किसी तरह से इन संस्थाओं से निकल कर वह अपना जीवन निर्वाह नौकरी के द्वारा कर सकेंगे । इन यूनिवर्सिटियों और स्कूलों में इस बात की तरफ़ कम ध्यान दिया जाता है कि हमारे प्रशासन को चलाने वाले लोग कैसे हों । सौभाग्य से हमारे देश में हमारे पूज्य नेता महात्मा गांधी ने बताया कि प्रशासन के लोगों को अपने सामने क्या आदर्श रखना चाहिये ।

मुझे इस बात के कबूल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जो आशा उन्होंने देश के सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं से और विशेषकर कांग्रेस के कार्य-

कर्त्तव्यों से की थी उसे हम पूरे तौर से चरितार्थ नहीं कर सके हैं। लेकिन साथ ही साथ यह बात भी हमको माननी पड़ेगी कि प्रशासन का जो ढांचा हमने अपने देश में रखा वह जैसा का तैसा पुराना ढांचा ला कर रख दिया। जैसे आज टैक्सटाइल इंडस्ट्री के सामने सवाल आता है कि उसमें रेशनलाइजेशन की ज़रूरत है क्योंकि उसकी मैशिनरी पुरानी हो गयी है और उसके द्वारा बना माल दूसरे देशों के माल के कम्पिटीशन म नहीं खप सकता है, अगर उसी उपमा को हम अपने प्रशासन पर लगाव तो कहा जा सकता है कि जो तरीका हमने अपनाया है वह पुराने ज़माने के ग़ुलामी के शासन को चलाने के लिए भले ही पर्याप्त रहा हो लेकिन वह आज हमारे वैलफेयर स्टेट (कल्याणकारी राज्य) के लिये उपयुक्त नहीं हो सकता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे प्रशासन तंत्र के जो तीनों भाग हैं अर्थात् लेजिस्लेचर (विधान मंडल), जुडीशियरी (न्यायपालिका) और एग्ज़ीक्यूटिव (कार्यपालिका) इन तीनों की जड़ जनता में होनी चाहिये। हम जानते हैं कि क़ानून बनाने वाले यद्यपि सब के सब अच्छे नहीं हैं लेकिन उनको निश्चित समय पर जनता के सामने उपस्थित होना पड़ता है। हर पांच साल बाद जनता उनको अपने तरीक़े से परखती है कि इनका काम अच्छा हुआ है या नहीं और तब उनका चुनाव होता है। जुडीशियरी को जनता के सामने जाने की कोई ख़ास आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन यह और जो लाखों की तादाद में प्रशासन तंत्र में काम करने वाले हैं उनको कभी जनता के बीच में जा कर परखे जाने का कोई मौक़ा ही नहीं होता। इस लिये ज़रूरत इस बात की है कि उनके चुनाव में इस बात का ख्याल रखा जाय कि सचमुच में वे लोग प्रशासन तंत्र में आवें जो जनता की अभिलाषाओं की पूर्ति कर सकें हैं। अब तक जो रवैया रहा है उससे हम जानते हैं कि प्रशासन तंत्र में बड़े दिमाग़ वाले जाते हैं। लेकिन देखना यह है कि उनमें सेवा भाव से कितने जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि इसमें जो लोग जाते हैं उनमें से किसी में सेवा भाव या देश भक्ति नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ज्यादातर लोग जीवन निर्वाह के लिए ही जाते हैं क्योंकि जो तरक्की वहां मिलती है, जो सुविधायें वहां मिलती हैं और वहां पर जो तरक्की की गुंजाइश है वैसी सुविधा अभी किसी दूसरे काम में नहीं है। इसलिये ज्यादातर अच्छे मस्तिष्क वाले लोग इसमें जाते हैं। हमारा ख्याल है कि इस देश में मस्तिष्क के विकास की बहुत आवश्यकता है लेकिन उससे भी अधिक इस देश में उन लोगों की ज़रूरत है कि जो जनता के आदर्श के अनुसार सेवा भाव से कार्य करना चाहते हों और इस तरह के आदमियों को इन सेवाओं में लिया जाना चाहिये। लेकिन हमारी पब्लिक सरविस कमीशन की जो परीक्षा विधि है उसके द्वारा मस्तिष्क वाले भले ही आ जायं लेकिन सेवा भाव वाले, देश भक्ति रखने वाले किस हद तक नियुक्त किये जाते हैं इस बात की जांच वहां नहीं होती। इसलिये मैं कहूंगा कि यह जो पब्लिक सरविस कमीशन के इम्तिहान का तरीक़ा है उसमें अदल बदल की ज़रूरत है।

मैंने अपने प्रस्ताव में जितनी बातों का ज़िक्र किया है उन सब पर प्रकाश डालना मेरे लिए सम्भव नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने बहुत दिन पहले कहा था कि जब हमारे सरकारी अफ़सरान कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें उनको सजा मिलनी चाहिये तो उस सज़ा के मिलने में इतना समय लग जाता है कि सज़ा का कोई महत्व ही नहीं रह जाता और दंड देते वक्त इस बात का

[श्री एस० एन० दास]

ख्याल नहीं किया जाता कि दंड देने का क्य मतलब है । पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने इस पर अपनी राय दी है । उसमें उन रूल्स का ज़िक्र है जो कि सन् १९३० में बनाये गये थे लेकिन वह पुराने कानून अब भी कायम हैं । यद्यपि छोटे मोटे संशोधन किये गये हैं पर ढांचा वही पुराना है । पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने भी अपनी सन् १९३० की रिपोर्ट के पेज ३०, पैरा ४८ में इस की ओर निदेश किया था और महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे ।

मेरे कहने का मतलब यह है कि जो रूल्स (नियम) हमारे देश में हैं वे इतने पुराने हैं कि उनका फिर से निर्माण और सुधार करने की ज़रूरत है और बदली हुई स्थिति में उनको किस तरह से लागू किया जाय यह देखने की आवश्यकता है । मैंने सुना है और अखबार में देखा भी है कि सारे देश के जो विभिन्न राज्यों के सचिवगण हैं वे लोग यहां आये हुए हैं और वह आल इंडिया सरविसेज़ के नियमों के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इतना ही काफ़ी नहीं है । इस सम्बन्ध में जो जांच पड़ताल हो उसमें कुछ बाहर के लोगों का रहना भी ज़रूरी है । यह ठीक है कि जो लोग इसमें रखे गये हैं उनको प्रशासन का अधिक अनुभव है लेकिन साथ ही साथ यह भी ठीक है कि बाहर के लोग बाहर रह कर जितना और जिस दृष्टि से सोच सकते हैं उतना डिपार्टमेंट वाले नहीं सोच सकते । इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि इस काम को भी एक आयोग के सुपुर्द किया जाय और आयोग जो सिफ़ारिश करे और सुझाव दे उसके अनुसार काम किया जाय । सभानेत्री जी, स्वर्गीय गोपालस्वामी आयंगार के सुपुर्द यह काम किया गया था कि जो केन्द्र में संगठन है उसके रिआरगेनाइजेशन के सम्बन्ध में वह अपने सुझाव दें । उन्होंने भी यही कहा था कि हमारे प्रशासन तंत्र में जो कुछ अभी तक परिवर्तन हुए हैं वह इतने थोड़े हैं कि उनका असर हमको अपने तंत्र पर कुछ दिखलायी नहीं पड़ता है । आम जनता इसकी शिकायत करती है पर मैं इस समय उसमें जाना नहीं चाहता । हमारे माननीय मंत्री जी को वह अच्छी तरह से मालूम है । मैं यह मान सकता हूं कि इन शिकायतों में बहुत अतिरंजन भी होता है और इनमें बहुत सी ऐसी बातें भी हो सकती हैं कि जिनका आधार नहीं होता है लेकिन जिनके लिए हम अच्छी तरह से राज्य चलाते हैं वही यह कहें कि राज्य अच्छी तरह से नहीं चलता है तो यह हमारे लिए अफ़सोस की बात है । आप जहां कहीं जाइये जनता शासन की शिकायत करती है । हर जगह से यह शिकायत आती है कि जो सरकारी अफ़सर हैं वह जनता से दूर हैं, उनकी जड़ जनता में जितनी होनी चाहिये वह नहीं है । जनता के मनोभाव इनमें प्रतिबिम्बित नहीं होते हैं । जनता का उनसे सम्पर्क होता है तो जनता यह नहीं समझती कि यह हमारे सेवक हैं और जो अफ़सर जनता के सम्पर्क में आते हैं वे यह नहीं समझते कि वह जनता के सेवक हैं बल्कि वह अपने को जनता का मालिक समझते हैं । उनके मनोभाव अभी तक नहीं बदले हैं । हम स्वतंत्र हुए, और हमने अपने विधान का निर्माण किया और जनता की आकांक्षाओं को उसमें हम ने संकल्प के तौर पर रखा । इस विधान के बनने के बाद हिन्दुस्तान के हर व्यवस्थापक को न्याय विभाग में काम करने वाले को, और हिन्दुस्तान में एग्जीक्यूटिव विभाग विशेषकर प्रशासन में काम करने वाले को इस बात को महसूस करना चाहिये था कि वे इस देश की ३६ करोड़ जनता के सेवक हैं । बदनसीबी यह है

कि जो ढांचा हमने अपने देश में बनाया है उसके कारण जितने आदमी उसमें काम करने वाले हैं उनको जनता अपने अज्ञान के कारण अपना हाकिम समझती है, अपना मालिक समझती है। लेकिन हम क़ानून बनाने वालों का और शासन चलाने वालों का यह फर्ज है कि हम जनता को अपने व्यवहार से दिखा दें कि हम उनके सेवक हैं। लेकिन अभी जो हमारा ढांचा है और उसके जो काम का तरीका है उससे जनता को मालूम होता है कि वह सरकारी कार्यकर्त्ता हमारे सेवक नहीं हैं बल्कि हम पर हुकूमत करने वाले या हमारे मालिक हैं।

एक बात मैं और कहूंगा कि इस ढांचे में हिन्दुस्तान की वर्ण व्यवस्था की सी कुछ चीज़ आ गयी है। मैं नहीं कह सकता कि हमारे देश में इस वर्णव्यवस्था का किन परिस्थितियों में निर्माण हुआ। कहा जाता है कि कर्म के आधार पर हुआ था। लेकिन जो हमारे देश में जाति पांत का और ऊंच नीच का झगड़ा चला आता है कुछ उसी तरह की चीज़ प्रशासन में सरविसेज़ में भी आ गयी है। ऐसा मालूम पड़ता है कि यह सब हिन्दुस्तान के सरकारी कर्मचारी एक संस्था के कार्यकर्त्ता नहीं हैं। इसलिये ज़रूरत इस बात की है कि इस संगठन का हम इस तरह से निर्माण करें कि इसमें छोटे से छोटे कार्यकर्त्ता को यह महसूस हो कि वह भी इस सेवामंडल का एक आवश्यक अंग है। हमने तनख्वाहों की असमानता से और दूसरी सुविधाओं के ज़रिये से ऐसे भेदभाव कर दिये हैं कि उसका असर इस प्रकार का पड़ता है। मैं यह नहीं कहता कि एक दिन में सब बराबर कर दिये जायं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसा परिवर्त्तन करें और ऐसे क़दम उठायें कि जिससे अफ़सरों को और दूसरे कार्यकर्त्ताओं को यह मालूम पड़े कि वे सब एक तंत्र के बराबर के पुर्जे हैं और सब के काम का महत्व है और सब को अपना काम चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, अपनी अपनी जगह पर ठीक से करना चाहिये। प्रशासन तंत्र में ऐसा ख्याल अभी तक नहीं आ पाया है। मैं अब और अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिस पर न सरकार को और न संसद् के किसी दूसरे सदस्य को मतभेद है। ज़रूरत इस बात की है कि इसकी छानबीन हो, जांच पड़ताल हो और अनुभव के आधार पर और जांच पड़ताल के आधार पर हम अपने शासन तंत्र में और काम करने की पद्धति में और इस सम्बन्ध में जो क़ानून और नियमादि हैं उनमें अधिक से अधिक और अच्छा से अच्छा परिवर्त्तन कर सकें। इसलिये मैं अपने इस प्रस्ताव को इस संसद् के समक्ष रखता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इसको स्वीकार करेंगे।

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"इस सदन की राय है कि केन्द्र के वर्तमान शासन तंत्र तथा कार्य प्रणाली की जांच करने के लिये एक आयोग शीघ्र नियुक्त किया जाय जो प्रशासन तंत्र का सुधार करने तथा उसे पुनर्संगठित करने के लिये विशेष रूप से निम्न बातों के बारे में भी पूर्ण उपायों की सलाह दे :

(क) कर्मचारियों की भर्ती, उनके प्रशिक्षण तथा उनकी सेवाशर्तों सम्बन्धी वर्तमान अधिनियम, नियम और विनियमनों की पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता:

(ख) वर्तमान अखिल भारतीय सेवाओं की पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता तथा अखिल भारतीय आर्थिक सेवा और सामाजिक सेवा की स्थापना की आवश्यकता तथा वांछनीयता;

[सभापति महोदय]

(ग) सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनीय कार्यवाही करने सम्बन्धी वर्तमान नियमों, विनियमनों और प्रक्रिया की पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता;

(घ) प्रशासन के खराब होने की वर्तमान प्रवृत्ति, उसके कारण और इस खराबी को रोकने के लिये अल्पकालीन उपाय तथा इसे दूर करने के लिये दीर्घकालीन आवश्यक उपाय; और

(ङ) वर्तमान सेवाओं के लिये उपबंधित विभिन्न परित्राणों के सम्बन्ध में रखे गये सांवैधानिक उपबन्ध तथा उनमें उचित परिवर्तन करने की आवश्यकता तथा वांछनीयता।"

इस संकल्प के सम्बन्ध में नौ संशोधन हैं, जिनमें से संशोधन संख्या ५ और ६ नियम विपरीत हैं।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल संकल्प के स्थान पर यह रखा जाये, अर्थात् :—

"इस सदन की राय है कि ए० डी० गोरवाला के लोक प्रशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन और पाल एच० एपेलबी के प्रतिवेदन में भी की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये सरकार केन्द्र के वर्तमान प्रशासन तंत्र और कार्य प्रणाली को पुनर्संगठित करने के लिये तत्काल कार्यवाही करे और भारत के संविधान द्वारा अपनाये गये लोकतन्त्रात्मक ढांचे के अनुकूल या तो नये अधिनियम, नियम और विनियम बनाये या उनमें संशोधन करे।"

श्री जी० एल० चौधरी (जिला शाहजहांपुर—उत्तर व खेरी—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल संकल्प के स्थान पर यह रखा जाये, अर्थात् :—

"इस सदन की राय है कि केन्द्र के वर्तमान प्रशासन तंत्र और कार्य प्रणाली को पुनर्संगठित करने के लिये सरकार तत्काल कार्यवाही करे तथा यदि आवश्यक हो तो, समय समय पर पुनर्संगठन एवं सुधारों के विषय में सरकार को सलाह देने के लिये एक स्थायी अनविहित आयोग बनाये।"

श्री सिंहासन सिंह (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संकल्प में—

(१) "केन्द्र के वर्तमान शासन तंत्र तथा कार्य प्रणाली की जांच करने के लिये एक आयोग शीघ्र नियुक्त किया जाये" शब्दों के स्थान पर "केन्द्र के वर्तमान शासन तंत्र के कार्य संचालन की जांच करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाये" शब्द रखे जायं; तथा

(२) भाग (ङ) के बाद यह भाग (च) जोड़ा जाये :—

"(च) अखिल भारतीय और राज्य सेवाओं के वर्तमान भेदभाव को दूर करते हुए, केन्द्र और राज्यों दोनों ही के लिये एक सेवा पदाली रखने की वांछनीयता।"

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा (हजारीबाग़ पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल संकल्प के स्थान पर यह रखा जाये :

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भूतकाल में भारत सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा लोक प्रशासन के सुधारों के विषय में अनेक प्रतिवेदन दिये जा चुके हैं, यह सदन सरकार से उन प्रतिवेदनों में दी हुई उपयुक्त सिफारिशों की क्रमिक कार्यान्विति के लिये एक योजना तैयार करे और जन कल्याण राज्य के अनुकूल सम्पूर्ण प्रशासनिक ढांचे के शीघ्र अभिनवीकरण के लिये उपायों का सुझाव दे ।"

श्री रघुवीर सहाय (ज़िला एटा--उत्तर पूर्व व ज़िला बदायूं--पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मूल संकल्प के स्थान पर यह रखा जाये :

"प्रशासन के खराब होने की वर्तमान प्रवृत्ति का ध्यान रखते हुए, इस सदन की राय है कि यह उपयुक्त समय है जबकि सरकार इन बातों के बारे में सलाह देने के लिये एक आयोग की नियुक्ति करके या सरकारी और ग़ैर सरकारी व्यक्तियों की एक समिति बना कर देश के सम्पूर्ण प्रशासनिक ढांचे पर पुनर्विचार करे :

(क) सेवाओं में भर्ती के तरीक़े में यदि किन्हीं परिवर्तनों की आवश्यकता है, तो वे क्या हैं;

(ख) यदि किन्हीं न्यूनतम अर्हताओं पर ज़ोर दिया जाना है, तो वे क्या हों;

(ग) अनुशासन और नियंत्रण को किस प्रकार प्रभावशाली रूप से लागू किया जा सकता है; तथा

(घ) सेवाओं द्वारा सरकार की नीतियों का प्रभावशाली रूप से पालन किस प्रकार निश्चित किया जा सकता है ।"

श्री बी० के० दास (कोन्टाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल संकल्प के स्थान पर यह रखा जाये, अर्थात :

"इस सदन की राय है कि केन्द्र के वर्तमान शासन तंत्र तथा कार्य प्रणाली के संचालन की भली प्रकार जांच करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाये जो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये नियमों, विनियमों, अधिनियमों और संवैधानिक उपबंधों के संशोधन और उनके बदले जाने के उपायों की सलाह दे :

(क) कि प्रशासनिक ढांचा ऐसा हो जो प्रत्येक दृष्टि से एक स्वतंत्र लोक तन्त्रात्मक एवं जन कल्याण राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये उपयुक्त हो;

(ख) कि प्रशासन को वर्तमान आवश्यकताओं के प्रति सजग और विश्वसनीय एवं दक्ष बनाने के लिये उपयुक्त कर्मचारी भर्ती, प्रशिक्षित और सुसंगठित किये जायें;

(ग) कि प्रक्रिया अथवा प्रणाली सम्बन्धी पेचीदा नियमों के द्वारा बिना किसी प्रकार की

[श्री बी० के० दास]

अड़चन और विलम्ब के विकास कार्यक्रमों को शीघ्र क्रियान्वित किया जा सके;

(घ) कि भ्रष्टाचार प्रभावशाली रूप से रोका जा सके और उसके लिये उचित रूप से दण्ड दिया जा सके; तथा

(ङ) कि राज्य के सभी जनकल्याण सम्बन्धी कार्यों में जनता का साथ और सहयोग प्राप्त हो सके।"

सभापति महोदय द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये गये।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : जिस उद्देश्य से प्रस्तावक ने यह संकल्प प्रस्तुत किया है, उससे मैं सहमत हूं। परन्तु वह प्रयोजन एक आयोग की नियुक्ति के द्वारा अथवा अन्य किसी वैकल्पिक तरीक़े से सिद्ध हो सकता है--यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं।

शासन तंत्र पर पुनर्विचार करने और उसमें आवश्यक परिवर्तन अथवा सुधार करने के उद्देश्य से पिछले पन्द्रह वर्षों में भारत सरकार द्वारा कई प्रयत्न किये जा चुके हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ज्यों ही यह बात सिद्ध हो जाये कि सरकार की नीति को कार्यान्वित करने के लिये विद्यमान शासन तंत्र उपयुक्त नहीं है, त्यों ही आवश्यकतानुसार सरकार को उस पर समय समय पर पुनर्विचार करना चाहिये। एक लोकतन्त्रात्मक राज्य में ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक है, और फिर उसमें आवश्यकतानुसार उपयुक्त सुधार किये जाने चाहियें ताकि राज्य के उद्देश्य एवं प्रयोजन पूरे हो सकें।

अब हमें देखना यह है कि हमारे राज्य के प्रयोजन क्या हैं। इनकी चर्चा संविधान की प्रस्तावना में और निदेशक सिद्धान्तों में की गई है। मुख्य चीज़ यह है कि हमारा राज्य एक लोकतन्त्रात्मक राज्य है, जिसमें व्यक्ति की उपेक्षा नहीं की जा सकती है और उसके महत्व को उचित रूप से स्वीकार किया गया है। आर्थिक शब्दों में हमारा राज्य एक 'जन कल्याण राज्य' बन गया है। हमें देखना यह है कि जो पुराना शासन तंत्र चल रहा है, वह राज्य को एक जनकल्याण राज्य बनाने के प्रयोजनों के लिये व्यवहारिक रूप से उपयुक्त है या नहीं। इस कार्य में हमें अन्य देशों के अनुभवों से भी लाभ उठाना चाहिये। लोक प्रशासन के सम्पूर्ण क्षेत्र पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये। हमारा महान उद्देश्य यह होना चाहिये कि संसद् में जनता की इच्छायें भली प्रकार व्यक्त हों और संसद् जो नीतियां निर्धारित करे उसका लोक प्रशासन द्वारा उचित रूप से पालन हो। इसके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि अपेक्षित योग्यता एवं ज्ञान वाले व्यक्तियों को सेवाओं में भर्ती किया जाये। मेरे मित्र ने यह सुझाव दिया कि जिन लोगों ने देश की सेवा की है और उस काम में कष्ट झेले हैं, उन्हें लोक सेवाओं में भर्ती किया जावे। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। लोक प्रशासन भी अब एक व्यवसाय हो गया है, और इसलिये इस व्यवसाय में सर्वोत्तम व्यक्ति ही रखे जाने चाहियें। अतः हमारे सामने कर्मचारियों की भर्ती की भी एक समस्या है। इसके अतिरिक्त हमें प्रचार, समन्वय की व्यवस्था, विभागों के परिसीमन के सिद्धान्तों, विशेष ज्ञान आदि बातों का भी ध्यान रखना है।

मैं कर्मचारियों की भर्ती की समस्या से आरम्भ करूंगा। हमने अपने देश के लिये संसदीय सरकार की प्रणाली स्वीकार की है। परन्तु इससे स्थायी असैनिक सेवाओं का महत्व तनिक भी कम नहीं होता है।

नीति निर्धारण में प्रमुख हाथ मंत्रियों का होता है परन्तु उस दिशा में आंशिक, परन्तु महत्वपूर्ण, योगदान उक्त सेवाओं का भी होता है। वे जो आंकड़े और जानकारियां मंत्रियों को देते हैं, उन्हीं के आधार पर नीतियां निर्धारित की जाती हैं। यही नहीं, उन नीतियों को कार्यान्वित करने का सारा भार असैनिक सेवाओं पर ही होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ चीजें बिल्कुल स्पष्ट कर लेनी हैं—वे चीज़ें जिन्हें हमारे संविधान में स्थान दिया जा चुका है। हम यह तय कर चुके हैं कि हम अपनी असैनिक सेवाओं के लिये कर्मचारियों की भर्ती योग्यता के सिद्धांत के आधार पर करेंगे। हमें उसके व्यक्तिगत विचारों पर ध्यान नहीं देना चाहिये। अतः सेवाओं में कर्मचारियों की भर्ती खुली प्रतियोगिता के द्वारा होनी चाहिये। मैं इस सिद्धांत से सहमत हूं, यद्यपि मैं यह नहीं कहता कि आज जैसे काम हो रहा है, वह संतोषजनक है। संघ लोक सेवा आयोग के विरुद्ध मेरे पास बहुत सी शिकायतें हैं। पर इस सम्बन्ध में मैं किसी अन्य अवसर पर विस्तारपूर्वक कहूंगा मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि इस कार्य में हमें केवल योग्यता का ही ध्यान रखना चाहिये।

प्रशासन सम्बन्धी अनेक प्रतिवेदनों में इस बात पर तर्क किया गया है कि क्या विशेषज्ञों को प्रशासन का कार्य भार सौंपा जाना चाहिये या विशेषज्ञ प्रशासकों को यदा कदा सलाह मात्र दिया करें। मैं अपने अनुभव से यह बात कहता हूं कि विशेषज्ञों को प्रशासन का कार्य भार नहीं सौंपा जाना चाहिये।

अब दूसरा प्रश्न अनुशासन आदि चीजों का आता है। निस्सन्देह इस दिशा में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। अभी होता यह है कि भ्रष्टाचार के मामलों को प्रकाश में लाने वाले व्यक्तियों की सराहना करने के स्थान पर उन्हें दण्डित किया जाता है। यह चीज़ ग़लत है।

सरकार का संगठन इस प्रकार का होना चाहिये कि एक कार्य को सारी सरकार के लिये एक ही विभाग करे। इस कार्य सिद्धान्त को सभी आधुनिक प्रशासनों ने स्वीकार किया है। भारत सरकार को भी यही सिद्धान्त अपनाना चाहिये। हमें चाहिये कि हम अपने देश की सेवाओं में योग्य एवं ईमानदार व्यक्तियों को भर्ती करें, तभी एक जनकल्याण राज्य के रूप में हमारी सार्थकता है।

मैं उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हूं। इस सम्बन्ध में मैं एक प्रबन्ध सेवा अथवा आर्थिक सेवा बनाने का सुझाव सामने रखता हूं। जब मैं मंत्री पद पर था तब मैंने यह सुझाव रखा था। मैंने एक केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा का भी सुझाव दिया था।

सरकार का संगठन ऐसा होना चाहिये कि देश के योग्यतम व्यक्तियों की सेवायें तथा सर्वोत्तम उपकरण इस कार्य के लिये आसानी से उपलब्ध हो सकें।

अभी उस दिन मैंने प्रश्न पूछा था कि जिस भूमि की अब सरकार को आवश्यकता नहीं है उसको अधिग्रहण से मुक्त करने की सरकार की नीति है या नहीं। इसका उत्तर दिया गया था, 'हां'। फिर भी उस भूमि का हुआ क्या ? वह केवल एक मंत्रालय के हाथ से दूसरे मंत्रालय के हाथ में दे दी गई। इस लिये और भी अच्छे समन्वय की आवश्यकता है।

अब हमने एक जनकल्याण राज्य की स्थापना की है इसलिये हमें प्रशासन में भी कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है जिससे, हमारे देश की निर्धन जनता, अपने प्रतिनिधियों द्वारा, जो नीति निर्धारित करती है,

[श्री गाडगील]

वह कार्यान्वित करने के दौरान में बदल न जाये। इसके लिये आप कुछ भी उपाय करें एक आयोग बनावें या कोई अफ़सर नियुक्त करें। परन्तु जहां तक हम कर-दाताओं का सवाल है हम केवल इतना ही चाहते हैं कि प्रशासन कार्य कुशलता के साथ तथा ईमानदारी से किया जाये।

श्री रघुवीर सहाय : मैं इस संकल्प का स्वागत करता हूं क्योंकि इसके कारण हमें प्रशासन के ढांचे तथा देश की सेवाओं के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिला है। इस विषय पर सर्वत्र सारे देश में, शिक्षित वर्गों में, अशिक्षित वर्गों में, शहरों में, देहातों में हर जगह आलोचना की जाती है। कहा जाता है कि सरकार के प्रत्येक विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सरकार के प्रत्येक विभाग में अकुशलता फैली हुई है। प्रत्येक न्यायालय में एक एक मुकद्दमे के निपटाने में अत्यधिक विलम्ब होता है। कर्मचारी लोकमत की कोई परवाह नहीं करते। इसी प्रकार की आलोचनायें हर जगह हुआ करती हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि इन आलोचनाओं में सत्य का अंश कितना है।

स्वतंत्रता प्राप्त किये हमें छः सात वर्ष बीत चुके हैं। केन्द्रीय सरकार तथा अनेक राज्य सरकारों का संचालन हमारे विश्वस्त नेताओं के हाथ में है। ग़रीबों के जीवन को थोड़ा और सुखी बनाने के लिये यथासम्भव सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं। परन्तु जनता इसको समझती ही नहीं है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी विभिन्न सेवाओं में, काम करने वाले कर्मचारियों ने, जनता में, किसी प्रकार का विश्वास उत्पन्न नहीं किया है। जिनके सम्पर्क में जनता आती है उनके व्यवहार तथा आचरण को देख कर जनसाधारण में किसी प्रकार के विश्वास की भावना नहीं उत्पन्न होती है। मेरा भी विचार है कि चुनाव में जहां जहां भी हमारी हार हुई है इसी कारण हुई है। सरकार उतना कुछ नहीं कर सकी जैसी कि जनता उससे उम्मीद करती थी। मैं समझता हूं कि यदि हमारी सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारी अपने को परिस्थिति के अनुकूल बना सकें तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। परन्तु दुख यही है कि यह लोग केवल यही सोचा करते हैं कि इनके अधिकार क्या हैं इनको सुख सुविधायें कितनी प्राप्त हैं। उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में तो इनके विचार ऐसे हैं जैसे इनका कोई कर्त्तव्य हो ही नहीं।

६ म० प०

दो तीन वर्ष हुए मुझे एक भाग 'क' राज्य के प्रधान सचिव से बात करने का अवसर मिला। मैंने उससे पूछा कि "आप को तो मुख्य मंत्री से अधिक काम रहता है, आपको उनसे व्यक्तिगत रूप से भी बात करने का अवसर मिलता है। क्या आपने कभी उनको इस स्थिति के ज्ञान कराने का प्रयत्न नहीं किया ?" उसने उत्तर दिया, 'नहीं'। मैंने पूछा 'क्यों ?' उसने उत्तर दिया "हम अल्पतम विरोध की नीति का अनुसरण करते हैं।"

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : क्या मेरे मित्र का तात्पर्य है कि पुराने ज़माने के कर्मचारी कहीं अधिक कुशल थे तथा जनता का कहीं अधिक ख्याल रखते थे और अब उनका पतन हो रहा है ?

श्री रघुवीर सहाय : मेरा तो ऐसा ही विचार है। मैं समझता हूं कि उत्तर देते समय उसने सम्पूर्ण उत्तरदायित्व को टालना चाहा था। अंग्रेज़ों के शासन काल में सम्भवत :

वह यह बात नहीं कह सकता था । देश के प्रशासनीय ढांचे का निरीक्षण करने के लिये बुलाये गये श्री 'एप्पल बी' ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि भारत सरकार के एक विख्यात तथा बुद्धिमान अफ़सर से जब प्रशासन में फैले हुए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में विचार प्रकट करने को कहा गया तो उस ने बताया कि देश के प्रशासन में भ्रष्टाचार मंत्रियों के स्तर में ही मिलेगा । स्वराज प्राप्ति के बाद सरकारी नौकर यह समझने लगे हैं कि वे सब से बड़े राजनीतिज्ञ हैं; वे सरकार की नीति की स्वतंत्रतापूर्वक आलोचना कर सकते हैं ।

अन्त में विचार करने की बात यह है कि क्या सरकारी कर्मचारियों में विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की योग्यता है । आज देश का भाग्य इन्हीं कार्यक्रमों पर निर्भर करता है । मेरा विचार है कि सरकारी कर्मचारियों को स्वयं ही सामुदायिक परियोजनाओं, हमारे विकास कार्यक्रमों तथा पंचवर्षीय योजना में कोई विश्वास नहीं है । मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि सारे सरकारी कर्मचारी एकदम से बदल दिये जायें । उनको क़ायम रखा जाये परन्तु हमारी योजनाओं की सफलता में जहां भी कोई विघ्न दिखाई दे तो उसे तुरन्त दूर किया जाये ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) भूतपूर्ववक्ता ने, शासन करने वाले दल के सदस्य होते हुए जिस स्पष्टवादिता का प्रमाण दिया है उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं । सब से विशिष्ट बात जो उन्होंने कही है और जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया है वह यह है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकारी कर्मचारी जनता की अधिकाधिक अवहेलना करने लगे हैं । जब अंग्रेजों का शासन था तो सरकारी नौकरों को दो बातों का ध्यान रहता था, एक ओर विदेशी मालिकों को प्रसन्न रखना दूसरी ओर भारतीय जनता की सेवा करना ।

परन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात् ता सरकारी नौकरों को जनता के सेवक का ही कार्य करना चाहिये । पहले उसके अधिकार का स्रोत एक विदेशी शक्ति थी । अब उस को शक्ति प्रदान करने वाली भारत की जनता है । जनतंत्रात्मक शासन का यही अर्थ है । जनता आज अपनी सत्ता का प्रयोग निर्वाचित मंत्रियों के द्वारा करती है । मंत्री भी एक प्रकार के सरकारी कर्मचारी हैं । वे राज्य के तथा जनता के सेवक हैं । जो नीतियां यह मंत्री निर्धारित करते हैं उन्हीं को यह सरकारी कर्मचारी कार्यान्वित करते हैं । परन्तु आज यह सरकारी कर्मचारी किसी विषय के गुणावगुण पर अपना मत प्रकट करने के बजाये राजनीतिज्ञों का कार्य कर रहे हैं । मैसूर राज्य का मैं हाल जानता हूं । वहां का स्थायी कर्मचारीवर्ग दो दलों में विभक्त है क्योंकि वहां का कांग्रेस दल दो विरोधी दलों में बंटा हुआ है । कर्मचारियों का एक एक दल कांग्रेस के एक एक दल का समर्थक है । एक दल के हाथ में शासन सूत्र का संचालन है तथा दूसरा दल उसका विरोधी है । इस प्रकार प्रशासन की एकता एकदम छिन्न भिन्न हो चुकी है । स्थायी सरकारी कर्मचारी एक न एक मंत्री या राजनीतिज्ञ के साथ सम्बद्ध हैं । वे प्रशासन के रहस्य प्रकट करते हैं तथा इस प्रकार सरकारी नीतियों को अन्दर ही अन्दर आघात पहुंचाते रहते हैं और सरकार का नाम बदनाम करते हैं । नई व्यवस्था में हमारे प्रशासक इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं ।

स्थायी सेवा के सम्बन्ध में एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि उन लोगों को यह समझना चाहिये कि जनता के प्रति उन का एक आधारभूत उत्तरदायित्व है । वे केवल मंत्रियों के ही नौकर नहीं हैं, अपितु उन्हें यह भी समझना

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

चाहिये कि वे राष्ट्र के सेवक हैं। मंत्रिगण भी स्थायी सेवकों के समान ही जनता के सेवक हैं। जब तक मंत्रिगण तथा असैनिक सेवक इस बात को नहीं समझेंगे तब तक हमारा प्रशासन प्रजातंत्रात्मक नहीं हो सकता। लोकप्रिय और उत्तरदायी प्रशासन ही प्रजातंत्र की पहचान है। प्रशासन लोकप्रिय तथा उत्तरदायी तभी बन सकता है और लोगों के वास्तविक हितों की रक्षा तभी कर सकता है जब शक्ति के प्रयोग के स्थान पर सेवा करने पर अधिक बल दिया जाये। आजकल स्थायी सेवा वाले व्यक्ति यह समझते हैं कि उन की एक अलग ही श्रेणी है उन के पास दैवी बुद्धि तथा प्रतिभा है। इस प्रतिभा और योग्यता के कारण ही तो उन्हें सेवा में भर्ती किया गया है, परन्तु उन्हें यह स्मरण रखना चाहिये कि उन की प्रतिभा तथा बुद्धि राष्ट्र को समर्पित है। कुछ मंत्री स्वयं पदाधिकारियों की इस अहम्मन्यता की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देते हैं। मैं उन के नाम नहीं लेना चाहता, किन्तु कुछ मंत्री मुझ से कह रहे थे कि हम तीन या चार वर्ष में सब कुछ तो सीख नहीं सकते अतः हमें अपने सचिवों तथा स्थायी कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। मान लीजिये हम किसी विषय में कड़ा रुख अपनायें, तो बुद्धिमान सचिव हमें किसी और चीज़ में फंसा सकते हैं। इसलिये हम सचिवों से डरते हैं। बहुत से मंत्रियों ने इसी प्रकार कहा है।

मैं यह भी कहूंगा कि मंत्रियों को भी अपना हित साधना होता है अतः वे सचिवों की सद्भावना पर निर्भर करते ह। इस कारण वे अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगे हैं। यह प्रजातत्र नहीं है; यह तो उच्चतंत्र है, अर्थात ऊपर के लोगों की सरकार है। अतः मैं यह कहता हूं कि अपने प्रशासन का नवीकरण किया जाये जिस से यह अपने नये कार्य को पूरा कर सके।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं कि अब प्रशासक से नये कर्त्तव्य तथा दायित्व निभाने की आशा की जाती है, क्योंकि हमारे राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ता जा रहा है। असैनिक सेवक को अब औद्योगिक समवाय का प्रबन्धक भी बनना पड़ता है और उत्पादन, वितरण तथा विनिमय सम्बन्धी और बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। अतः यह बहुत आवश्यक है कि उसे ठीक प्रकार प्रशिक्षित किया जाये और ठीक व्यक्तियों को भर्ती किया जाये।

सब से पहले मंत्रियों के मन में ही सुधार होना चाहिये। यह बहुत आवश्यक है। **(अन्तर्बाधा)**। जब तक मंत्री इस विषय में कोई साहसपूर्ण पग नहीं उठाते, तब तक शासनतंत्र में कोई परिवर्तन करना संभव नहीं। वर्तमान शासनतंत्र पुराना और सड़ा-गला है और यह एक प्रजातंत्रवादी राष्ट्र के नये कर्त्तव्यों तथा दायित्वों को पूरा नहीं कर सकता। अतः मैं यह कहता हूं कि माननीय गृह मंत्री को अब आलस्य छोड़ कर अधिक चुस्त हो जाना चाहिये और उदासीनता को त्याग कर इस विषय को गम्भीरता से लेना चाहिये। उन्हें इस बात को समझना चाहिये कि जब तक प्रशासन में सुधार नहीं होगा, तब तक इस देश में प्रजातंत्र नहीं चल सकता।

श्री एस० सी० सामन्त : मेरे मित्र एस० एन० दास ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसके अधिकांश उद्देश्यों से मैं पूर्णतया सहमत हूं। मैं ने इस विषय में एक संशोधन रखा है कि मेरे मित्र ने जिन विषयों का उल्लेख किया है उन के विषय में मुझे आगे और जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती। गोरवाला समिति तथा एप्पलबी समिति ये दोनों समितिय

सरकारी प्रशासन के सम्बन्ध में पहले ही अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुकी हैं। हम विधान निर्माता तथा पदाधिकारी दोनों ही पुराने नियमों तथा विनियमों को बदलने और प्रशासन को प्रजातंत्रवादी राष्ट्रीय सरकार के अनुरूप बनाने के लिये उत्सुक हैं। मेरा यह कहना है कि जांच में समय नष्ट नहीं किया जाना चाहिये। ऐसे मंत्री तथा अच्छे पदाधिकारी हैं जो कठिनाइयों को जानते हैं। मैं श्री सहाय की इस बात को नहीं मानता कि अधिकांश सरकारी नौकर अच्छी प्रकार कार्य नहीं कर रहे हैं। सब जगह अच्छे, बुरे दोनों ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं, किन्तु उन में से अधिकांश बुरे नहीं हैं। यदि ऐसी बात होती तो प्रशासन चल ही नहीं सकता। कार्यकुशल पदाधिकारी प्रशासन को कुशलता से चलाना भी चाहते हैं, किन्तु वर्तमान नियम और विनियम तथा प्रथायें उन के मार्ग में बाधक हैं। मेरे मित्र श्री दास ने इस संकल्प को प्रस्तुत कर के देश की बड़ी भलाई की है।

श्री वेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित–अनुसूचित जातियां) : क्या सरकार इस संकल्प को स्वीकार कर लेगी ?

श्री एस० सी० सामन्त : इस देश में विभिन्न समयों में विभिन्न प्रकार के प्रशासन रहे हैं। हम भारतीय राष्ट्रजन अब इसे अपनी इच्छानुसार चलाना चाहते हैं। उदाहरण के लिये महात्मा जी अहिंसा का प्रतिपादन करते थे और हमारी सरकार भी यही करती है (**अन्तर्बाधा**)। मैं इस बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि स्वतंत्रता से पूर्व के तथा आजकल के सैनिकों में बहुत अन्तर हो गया है। अब जहां कहीं कोई आपत्ति आती है या दुर्घटना, बाढ़ या अकाल इत्यादि पड़ता है तो वहां सेना को सहायता के लिये भेज दिया जाता है और सैनिक खूब सेवा करते हैं। हमारे समान वे भी देश की रक्षा करना अपना कर्त्तव्य समझते हैं और यह समझते हैं कि जब तक उन पर कोई आक्रमण न करे तब तक उन्हें किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहिये। यही सेना की अहिंसा है। अतः शासन को कुशलतापूर्ण बनाने के लिये सरकार को अपने कुशल पदाधिकारियों की सहायता से गोरवाला तथा एप्पलबी समितियों के प्रतिवेदनों पर तुरन्त विचार करना चाहिये जिस से शासनतंत्र में आवश्यक परिवर्तन किये जा सकें। विधानमण्डलों द्वारा निर्मित अधिनियमों का सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जाना प्रशासन पर ही निर्भर करता है। अतः लोक सेवा आयोग को योग्य व्यक्तियों को भर्ती करना चाहिये। लोक सेवा आयोग के नियमों में भी कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जिन लोगों को हम महत्वपूर्ण पद देते हैं उन के गुणों तथा शिक्षा के साथ साथ हृदय को भी देखना चाहिये। हमारा भविष्य उन्हीं पर निर्भर करता है।

मेरे मित्र ने सारी बातें प्रस्तुत कर दी हैं और मेरी केवल यही प्रार्थना है कि सरकार को इन बातों पर विचार कर के इस विषय में शीघ्र ही कोई निश्चय करना चाहिये।

श्री सिंहासन सिंह : सभानेत्री जी, जो प्रस्ताव इस भवन के सामने मेरे मित्र श्री एस० एन० दास ने पेश किया है वह समय के अनुकूल है और बहुत ही उचित प्रस्ताव है और मुझे उम्मीद है और साथ ही प्रार्थना भी है कि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी और उस के अनुसार एक कमीशन बिठाने का निश्चय करेगी। प्रस्ताव जिस उद्देश्य से इस भवन के सामने आया है, उसका खास उद्देश्य यह है कि हमारे देश में एक प्रगतिशील शासक वर्ग क़ायम किया जाय। जो शासक वर्ग आज हमारे देश में है वह उस मशीनरी का बनाया हुआ है जो मशीनरी

[श्री सिंहासन सिंह[

हमारे देश को गुलामी की जंजीर में बांधने के लिये क़ायम की गई थी। सन १९४७ के पहले इन सिविल सर्विस के सरवेंट्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना स्टील फ्रेम कहा करती थी, वह स्टील फ्रेम आज देश के लिये उपयुक्त है या नहीं, इस पर हम को और आप को विचार करना है। उस वक्त जो मशीनरी बनी थी उस का ख़ास अभिप्राय था कि देश में जैसे भी हो आज़ादी की लहर न फैलने पावे और वह सर्वदा के लिये अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीर में बंधा रहे, उस तरह के काम के लिये वह मशीनरी बहुत उपयुक्त थी। अभी हमारे माननीय गृहमंत्री ने एक सवाल किया कि क्या तब यह मशीनरी अधिक उपयुक्त थी या अपने कार्य में अधिक कुशल थी; और तब की बनिस्बत आज यह अकुशल है, इसका जवाब सच्चे हृदय से होगा, हां। उस वक्त यह मशीनरी उपयुक्त थी क्योंकि यह एक उद्देश्य ख़ास से बनायी गयी थी और वह उस कार्य के लिये सर्वथा उपयुक्त थी और उपयुक्त सिद्ध हुई, लेकिन आज हमारे सामने कार्य दूसरा है। उस वक्त मशीनरी बनी थी देश को दबाने के लिये और आज़ादी की भावना को ख़त्म करने के लिये, लेकिन आज तो हम इस बिगड़े हुए देश को एक सुन्दर उद्यान बनाना चाहते हैं और इसलिये हमें आज चतुर माली की ज़रूरत है जो इस देश को सुन्दर बना सके। सवाल इतना सा है और हमें इस पर गम्भीरता से ग़ौर करना है। अभी हाल ही में थोड़ा सा वायुमंडल गर्म हो गया था और यह वह समय था जिस वक्त कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने त्यागपत्र देने की सूचना दी थी। किन्हीं अर्थ-सम्बन्धी मामलों में उन का मतभेद हो गया था, किन्हीं एक महोदय की नियुक्ति हो गयी थी और उन्हों ने अपनी एक रिपोर्ट बग़ैर उनसे पूछे दे दी, क्या रिपोर्ट दी, वह सब ठीक नहीं मालूम, लेकिन वह एक मसला, प्रणाली का, (प्रोसीडयोर) का चला जिस पर कि यह मतभेद उठ खड़ा हो गया और त्यागपत्र तक दे देने की नौबत आ गयी थी। एक प्रणाली है जिस पर यह सब झगड़ा उठ खड़ा हुआ और उस सम्बन्ध में हमारे प्रधानमंत्री ने जब वक्तव्य दिया तो उन्हों ने कहा था कि हमें एक नई प्रणाली क़ायम करनी है, एक ऐसी प्रणाली जो देश के अनुकूल हो और देश को आगे बढ़ा सके। इन पहलुओं पर हम ग़ौर करें और देखें कि क्या आज का जो शासक वर्ग है वह सही ढंग से चल रहा है या नहीं। अभी परसों डाक्टर राधाकृष्णन साहब ने कर्नाटक के एक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा था कि किसी देश की प्रगति के लिये तीन चीज़ें परमावश्यक हैं। देश में एकता हो, देश में प्रगतिशीलता हो और देश का शासक वर्ग बहुत ही पवित्र हो। जिस शासक वर्ग की पवित्रता में थोड़ा भी सन्देह हो तो वह शासन दीर्घ काल तक नहीं चल सकता और उस का पतन किसी न किसी दिन अवश्य हो जाता है। अभी चीन में जो पतन हुआ, उस का मुख्य कारण यही था कि वहां का शासक वर्ग ठीक नहीं था और उस में करप्शन विद्यमान था। हमारे यहां के तत्कालीन चीनी राजदूत महोदय कहा करते थे कि चीन के उस शासन में करप्शन और ख़राबी बहुत ज्यादा फैली हुई थी और हालत यह थी कि वहां का जो प्रधान मंत्री था वह मिलों का मालिक भी था और सरकार को अगर माल लेने की ज़रूरत पड़ती थी तो वह एक तरफ़ से तो चीन के प्रधान मंत्री की हैसियत से और साथ ही मिल के डाइरेक्टर की जगह पर भी वही कन्ट्रेक्ट पर दस्तख़त कर दिया करते थे। तो इस तरह का घपला और गड़बड़ वहां चलती थी और प्रधान मंत्री तक वहां का उसमें पार्टी था। वह सूरत तो हमारे यहां अभी नहीं आई है, हां, अलबत्ता यह सुनने में ज़रूर आता है कि फलां का लड़का होने के कारण या

रिश्तेदार होने के कारण उस को अमुक पद मिल गया या कोई खास लाभ पहुंचाया गया। आज आप देखें कि हमारे शासन तंत्र और जनता में कितना सहयोग है, एक के प्रति दूसरे में कितनी प्रेम सहानुभूति और सहयोग की भावना विद्यमान है। आज हम ने जो बड़ी बड़ी योजनायें बनायी हैं, कम्युनिटी प्राजेक्टस जो खास तौर पर आजकल देहातों में फैलाये गय हैं। इस की प्रगति और इस के काम को देखें तो आप को मालूम होगा कि उन के कार्यकर्ताओं में और हम में बड़ा अन्तर है। अभी वहां साहबी ठाठ ही लगा हुआ है। जो वहां के कार्यकर्ता हैं वह जनता में घूल मिलकर काम करने की व्यवस्था कम करतें हैं वह अभी भी जनता को आदेश देने का काम करते हैं कि तुम को ऐसा करना है। में अपने यहां गोरखपुर में एक कम्युनिटी प्रोजैक्ट का काम देखने के लिये गया। हमारे गांवों में एक देहाती कहावत है कि हमारी पुरानी चीज़ आप की नई चीज़ से अच्छी। आप का नाजुक तरीका है, हमारा मोटा तरीका है, उसी से हम काम कराते चले आ रहे हैं। एक भाई ने कहा कि आप दोनों धान तोल लीजिये कि किस का ज्यादा है। हमारे सामने उसे तोला संयोगवश उन का धान ज्यादा निकला और नये तरीके से पैदा किया हुआ धान कम निकला। गांव वाले कहते हैं कि आप हमें काम तो बता कर चले जाते हैं, लेकिन काम कैसे हो यह नहीं बताते हैं। अभी लोगों का दृष्टिकोण नहीं बदला, उन के अन्दर देश के प्रति प्रेम नहीं उपजा।

सवाल यह है कि जो लोग सरकार में काम करने आये हैं वे नौकरी की गरज से आये हैं, नौकरी इसलिये नहीं करते कि देश में सेवा की भावना उत्पन्न हो। हमारा जो शासक वर्ग था वह ब्रिटिश सत्ता के नीचे काम करता था नौकरी के लिये, इस देश के उत्थान की ओर उस का ध्यान नहीं था। उस के हृदय में तुरन्त परिवर्तन हो जाय यह असम्भव बात है। आप इसे देखिये किसी होटल या क्लब में जा कर। अभी हाल में हमारे प्रधान मंत्री ने काकटेल पार्टियों का जिक्र किया था। काकटेल पार्टियों से वह घबरा उठे हैं, तंग आ गये हैं। अभी हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक सर्कुलर निकला है कि किसी काकटेल पार्टी में कोई कांग्रेसी न जाय। इसी के परिणामस्वरूप एक पेपर में निकला था कि अमरीका के जो एम्बैसेडर हैं उन्हों ने पार्टी दी है, उस में उन्होंने कह दिया है कि शराब नहीं चलेगी। काकटेल पार्टी में ने कभी देखी नहीं, लेकिन सुना करता हूं कि उन में ज्यादातर शराब चलती है। हम लोग जहां कहीं जाते हैं, वहां पर बहुत से आदमी मिलने को आते हैं वह कहते हैं कि साहब, आप जा कर देखिये गेलार्ड में या क्लबों में कि वहां क्या क्या चलता है। यह इस लिये चलता है कि हम अभी उन्हें देश भक्ति की भावना नहीं दे सके। जिस प्रणाली को वह अंगरेजों के जमाने में चलाते थे, उसी प्रणाली और पालिसी को वह चालू रखना चाहते हैं। हम दूसरी तरह काम करना चाहते हैं वह दूसरी तरह काम करना चाहते हैं। इसी लिये संघर्ष हो जाता है, और संघर्ष में काम आगे नहीं बढ़ता।

अभी हमारा एक प्लैनिंग कमिशन बना, प्लैनिंग कमिशन की बात कहते हुए मुझे अफ़सोस होता है और लज्जा भी आती है, प्लैनिंग कमिशन ने जितनी भी रिकमेन्डेशन्स कीं, उन में खास यह थी कि ग्रामोद्योग की व्यवस्था की जाय, और जल्दी से जल्दी यह काम किया जाय। उस प्लैनिंग कमिशन में आदमी कौन से थे? प्लैनिंग कमिशन में थे हमारे प्रधान मंत्री साहब, हमारे अर्थ मंत्री साहब, हमारे प्लैनिंग मंत्री साहब, श्रीमती दुर्गा बाई जी, लेकिन अब वह एक संचालिका हो गई हैं, इस के अलावा हमारे कृष्णमाचारी

[श्री सिंहासन सिंह]

साहब, जो कि उस के वाइस प्रेसिडेन्ट हैं। इन लोगों ने हर एक राज्यों से राय लेने के बाद अपनी योजना बनाई। किन्तु आज एक सवाल का जवाब देते हुए हमारे मंत्री महोदय ने कहा कि राइस हलर्स को बदलने के बारे में बहुत सी स्टेट्स एतराज करती हैं। राज्यों ने इस का विरोध किया है। किन किन राज्यों ने विरोध किया, यह तो बताया नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब प्लैनिंग कमिशन की रिकमेन्डेशन आई तो सब राज्यों की राय से आई। सभी मंत्री इस की कौंसिल में थे जिन्हों ने उस को ऐप्रूव किया था और पास किया था। लेकिन पास हो जाने के बाद भी वह चीज़ें अभी तक लागू नहीं हुईं। इस का कारण क्या हो सकता है ? हम तो यही अनुमान कर सकते हैं कि हमारे देश का शासक वर्ग शायद इसे पसन्द नहीं करता। वह इसी विचार में हैं कि यदि इस को लागू कर दिया जायगा तो मिलें बन्द हो जायेंगी और उन को बन्द नहीं होना चाहिये। इस लिये ग्रामोद्योग की जो सिफारिश है वह कोरे काग़ज़ में ही है। कांग्रेस कमेटी ने शिकायत की कि गवर्नमेन्ट इस को इम्प्लिमेन्ट नहीं करती। मुझे तो हैरत होती है कि कौन सिफारिश करता है, कौन इम्प्लिमेन्ट नहीं करता है और कौन शिकायत करता है। जो गोलमाल हो रहा है उस का उत्तरदायी कौन है, इस पर हम यदि जायें तो हमें मालूम होगा हमारी शासन व्यवस्था इस में उपयोगी नहीं हो रही है। अभी हमारे गाडगिल साहब ने कहा कि वही लोग वास्तविक पालिसी का निर्णय करते हैं। मैं तो कहता हूं कि पालिसी का निर्णय तो गवर्नमेन्ट करती है। पालिसी का निश्चय मंत्री करते हैं कि हमारी पालिसी यह होगी। उस पालिसी को चालू करने के लिये शासक वर्ग है। लेकिन आज सामन्त साहब ने भी कहा कि पालिसी को चालू करने में पुराने तरीके ही बाधक बने हुए हैं। आज सन् १९३० के रूल्स आफ प्रोसीजर और कन्डक्ट रूल्स बने हुए हैं। आज १९५४ हो गया है। आज स्वराज्य के बाद लोकहित का ध्यान रखना चाहिये। इस लिये दोनों मिल नहीं पाते। आज दोनों का मेल कराने की जरुरत है। आज हम ऐसी व्यवस्था बनावें जो कि हमारा देश प्रगति के साथ साथ चल सके।

अभी गवर्नमेन्ट ने कहीं कहीं पर थोड़े थोड़े परिवर्तन किये। हमें बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिस सरकार के बड़े बड़े सचिव अदालत में खड़े हों, उन पर घूसखोरी के मुकदमे चल रहे हों, किसी राज्य के सचिव घूसखोरी के मुकदमे में अदालत के सामने जायें, वह सच हों या न हों, इस का फैसला तो अदालतें करेंगी, लेकिन मुकदमे चलें, यह इस बात का सबूत है कि कहीं न कहीं बड़ी गड़बड़ी है। जहां के बड़े बड़े सचिवों पर इस प्रकार के आरोप हों, मुकदमे चलें, तो बेचारी जनता की क्या हालत होगी ?

दूसरी तरफ यदि किसी शासक वर्ग से खुद मिलिये तो वह कहते हैं कि साहब, चलती तो उस की है जिस की ऐप्रोच है, जिस की पहुंच है। मैं समझता हूं कि सब से कलंक की बात यह है। प्रत्येक अफसर समझता है कि जिस की पहुंच होगी उस की सुरक्षा होगी, जिस की पहुंच नहीं होगी, उस की सुरक्षा नहीं होगी, चाहे वह कितना ही ईमान्दार क्यों न हो। इस लिये आज कल ईमान्दार लोग भी घाटे में रहते हैं। लोग कहते हैं कि आजकल के समय में ईमान्दार रहना भी बुरा है। हमारी गल्ती से यह भावना फैली या उन की गल्ती से यह भावना फैली है, । यह भावना दोनों ही के खिलाफ फैली है। जहां तक मैं जानता हूं इस का कारण यह है कि जनता के सामने आज वही क्लेक्टर, वही सुपरिन्टेन्डेंट

आफ पुलिस, वही सबइन्सपेक्टर पुलिस, वही पटवारी सब जगह जाते हैं। उन में कोई परिवर्तन जनता नहीं देखती। हम कहते हैं कि स्वराज्य हो गया हम आजाद हो गये हैं, जनता के लोग कहते हैं कि स्वराज्य हो गया होगा दिल्ली में, स्वराज्य हो गया होगा लखनऊ में, लेकिन हमारे घर में तो वही पटवारी साहब आते हैं, नाम लिखाया जाता है गिडवानी साहब का और लिखा जाता है दूसरे साहब का। तो हम तो उसी दिक्कत में हैं। कचहरी में जब हम जाते हैं तो पहले ही की तरह क्लर्क को घूस देनी पड़ती है। वह लोग कहते हैं कि आज अमल में वही पुराना तरीका है। एक नकल लेने के लिये बीस रुपये अब भी देने पड़ते हैं। आखिर स्वराज्य आने से हमारे लिय क्या फर्क हुआ। आप यहां हाइड्रोजन बम की बातें करते हैं। हमारे देश के लोगों के लिये पुरानी बातें ही हाइड्रोजन बम का काम कर रही हैं। इसलिये हम सब को ठंडे दिल से गौर करना है कि हम कौन सा उपाय करें, कौन सा तरीका अपनावें कि हमारे राज्य निर्माण में सहायता मिले। आज चारों तरफ शिकायत है कि यह सिस्टम ठीक नहीं है, देश के कार्यों के लिये अच्छा इन्तजाम आज लागू नहीं है। उस में जिस प्रकार परिवर्तन हो वह कार्य हम करें।

जहां तक मुझे याद है, एक चुनाव के जमाने में हमारे प्रधान मंत्री ने एक व्याख्यान देते हुए कहा था कि हम इस प्रणाली को परिवर्तित करेंगे, इन नियमों को परिवर्तित करेंगे। परिवर्तन इस प्रकार करेंगे कि सन्देह पर भी अफसर अलग किया जा सके। लेकिन आज तक वह परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन के लिये कई कमेटियां बनीं, गोरवाला साहब की रिपोर्ट आई, टेकचन्द साहब की रिपोर्ट है, बहुत सी रिपोर्टें आईं और कमेटियां बनीं। लेकिन बनने के बाद कुछ काल तक वह काम करती हैं, फिर आगे खिसकती ही नहीं। इसी-लिये कुछ परिवर्त्तन नहीं हो सका। इसी लिये, इन चीज़ों को देखते हुए हम सब लोगों की राय है, मेरे खयाल में इस भवन में शायद ही कोई व्यक्ति हो जो इस राय से इत्तफाक न करता हो, कि एक स्वतंत्र राज्य के मुताबिक हमारी गाड़ी चलनी चाहिये, और उसी के मुताबिक हमारा सारा कार्य होना चाहिये और हमारे शासन में परिवर्तन होना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान में दफा ५० है जिस के अन्दर लिखा हुआ है कि हम शासक वर्ग और न्याय वर्ग को अलग करेंगे। लेकिन आज तक नहीं किया। ऐसा प्रस्ताव हो गया कि एग्जिक्यूटिव को जुडीशरी से अलग करेंगे। ऊपर तो अलग हैं, लेकिन नीचे की श्रेणी में जहां पर कि जनता को रोज़ काम पड़ता है वहां पर अलग नहीं है। एक ही आदमी सिविल आफिसर है और क्रिमिनल आफिसर भी है। वह ला भी मेन्टेन करता है और सजा भी देता है। हमारी यू० पी० में कुछ परिवर्तन इस सम्बन्ध में किया गया है, जुडिशल आफिसर और एग्जिक्यूटिव आफिसर अलग अलग बना दिये गये, लेकिन दोनों आगे चल कर कलेक्टर के ही मातहत हैं।

लेकिन जब वे दोनों कलक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मातहत हैं और अपनी तरक्की के लिए उस का मुंह देखते हैं तो वह वैसा ही काम करते हैं जैसा कि वह चाहता है। इसलिए हम ने जो विधान बनाया है उसके मुताबिक भी इस बात की ज़रूरत है कि हम व्यवस्था करें कि न्याय और शासन विभाग दोनों अलग अलग हो जायं क्योंकि जब तक ये विभाग अलग अलग नहीं होते तब तक जनता में जो कुहराम मचा हुआ है वह बन्द नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपील करूंगा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय। मैं जानता हूं कि अगर सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार

[श्री सिंहासन सिंह]

नहीं करेगी तो यह स्वीकार नहीं होगा । हालांकि इस समय हर मेम्बर इस के समर्थन में बोल रहा है लेकिन जब वोट देने का समय आवेगा तो इस के खिलाफ वोट करना होगा इसलिए अब चूंकि और भाई भी बोलना चाहते हैं मैं विशेष समय नहीं लूंगा और अपना संशोधन पेश करूंगा । एक बात कहकर मैं समाप्त करूंगा कि आज जो सेंट्रल और स्टेट सरविसेज़ में अन्तर है उस को दूर किया जाय और एक तरह की सरविस बनायी जाय जो कि स्टेट में भी काम करे और सेंटर में भी रहे । आज मैं ने पेपर में पढ़ा कि एक सचिवों की कमेटी बनी है उस ने सुझाव दिया है कि राज्य से जो अफसर सेंटर में आते हैं उन के लिए सन् १९४७ से पहले का नियम लागू किया जाय अर्थात् वे कुछ समय के लिए यहां आवें और फिर वापस चले जाया करें । आप जानते हैं कि आज जो अफसर केन्द्र में आ जाता है वह चाहता है कि किसी न किसी प्रकार यहां बना रहे और मुस्तकिल हो जाय, क्योंकि यहां आने के बाद उसे यूरोप जाने के मौके मिलते हैं इसलिए यहां आने की होड़ है । हम देखते हैं कि आई० ए० एस० वाले पी० सी० एस० से घृणा करते हैं । इस अवस्था को दूर करना चाहिए । इसलिए मैं ने अपना संशोधन पेश किया है और उम्मीद करता हूं कि प्रस्तावक महोदय इस को स्वीकार करेंगे और इस संशोधित प्रस्ताव को गवर्नमेन्ट स्वीकार करेगी ।

श्री टेकचन्द (अम्बाला-शिमला) : देश की सेवाओं को चलाने वालों पर बड़ा भारी उत्तरदायित्व है । देश की अच्छी प्रकार सेवा करना या सरकार के सारे प्रयत्नों को विफल बनाना उन्हीं पर निर्भर करता है । यदि सेवायें अच्छी प्रकार कार्य न करें, तो हमारा संविधान कागज का टुकड़ा मात्र रह जाये । राज्य रूपी जहाज भ्रष्ट और अकुशल सेवाओं की चट्टानों से टकरा कर चूर-चूर हो सकता है । यदि सेवायें कार्य-कुशल सच्ची और अपने कर्त्तव्यों के प्रति सजग हों, तो राज्य रूपी जहाज बड़ी सरलता से अपने उद्देश्य तक पहुंच सकता है ।

मुझे इस बात से कुछ निराशा हुई है कि इस प्रकार का महत्वपूर्ण संकल्प एक गैर-सरकारी संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाये । यह सरकार का काम है कि इस प्रकार के उपाय निकाले जायें जिस से सरकारी नौकर मंत्रिमण्डल की नीति को कुशलता से, शीघ्रता से और सच्चाई से क्रियान्वित करें ।

दुर्भाग्य से देश के सभी वर्गों में यह धारणा फैली हुई है कि सरकारी नौकर राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं और घमण्डी हैं तथा काम में विलम्ब करते हैं । यह बड़े खेद की बात है कि इतना महत्वपूर्ण कार्य करने वाले लोग ऐसा आचरण करते हैं कि सब उन पर उंगलियां उठाते हैं ।

योजना बनाने वालों ने बहुत सी चीज़ें बनाई हैं, किन्तु उन्हें इस का स्वप्न में भी ध्यान नहीं था कि 'लाल फीते' का इतना अधिक उत्पादन होने लगेगा । सरकार को अपने हित के लिये अपने पदाधिकारियों पर न केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वे भ्रष्ट न हों और धन की चोरी न करें, बल्कि इस बात का भी कि वे राज्य के समय की चोरी न करें । न जाने सब की यह क्यों धारणा बनी हुई है कि हमारी सेवाओं में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं । जिस काम को एक योग्य और सचेत कर्मचारी कर सकता है उस के लिये हम ने चार या पांच बिल्कुल निकम्मे व्यक्ति रखे हुए हैं जो समय को व्यर्थ नष्ट करते हैं । यह कहा जाता है और सब इसे जानते हैं कि देश में बहुत भ्रष्टाचार है, परन्तु यदि आप चाहें, तो

क्या इस भ्रष्टाचार को दूर करने में कोई कठिनाई है ? मैं समझता हूं इस में कोई कठिनाई नहीं है। जब आप किसी पदाधिकारी को भर्ती करें तो उस से उस की चल तथा अचल सम्पत्ति का ब्यौरा पूछ लें और प्रति पांच वर्ष पश्चात् उस की जांच कर लिया करें। परन्तु जब कोई ८०० रुपये वेतन पाने वाला पदाधिकारी सुन्दर लाइमोसाइन कारों में घूमे और जुआ खेले तथा खर्चीली क्लबों में मनोरंजन करता फिरे, और शराब-पारटियां दे तो क्या यह निष्कर्ष निकलना कठिन है कि अवश्य किसी ने उस की मुट्ठी गरम की होगी ? अतः मैं यह कहता हूं कि इस सब की निगरानी रखने के लिये कि किस प्रकार कार्य हो रहा है एक विशेष सरकारी विभाग होना चाहिये, जो यह देख सके कि सब सरकारी कर्मचारी सच्चाई से काम कर रहे हैं।

डा० काटजू : और मेरे विचार में इस बात का ध्यान रखने के लिये कि वह विभाग अच्छी प्रकार कार्य कर रहा है एक और विभाग होना चाहिये।

श्री टेकचन्द : श्रीमान् यदि सरकारी नौकरों को एक बार यह पता लग जायेगा कि उन्हें किसी को उत्तर देना होगा, तो वे अपना काम सच्चाई से करेंगे। आप के ये पदाधिकारी न केवल जन साधारण के लिये जिस का कि ये उत्पीड़न करते हैं एक स्थायी कष्ट हैं...

डा० काटजू : संसद् के साधारण सदस्य के लिये नहीं।

७ म० प०

श्री टेकचन्द : ....अपितु वे आप की नीतियों को क्रियान्वित करने में भी बाधक हैं। सरकारी नौकर इस प्रकार कार्य कर रहे हैं मानों स्वराज एकमात्र उन्हें ही मिला हो। आप के इन अयोग्य तथा अनुत्तरदायी पदाधिकारियों को ही स्वराज का सब से अधिक लाभ पहुंचा है। सच्चाई से काम करने वालों को उस का फल मिलना चाहिये और जो सच्चाई से काम न करें उन्हें उस का प्रतिफल मिलना चाहिये। मैं 'विलम्बकारिता' तथा 'काम को टाल देने' को भी भ्रष्टाचार ही समझता हूं। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों से लोगों की आंखें खुल जानी चाहियें।

अन्त में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि राज्य के कार्यों का उत्तरोत्तर विस्तार हो रहा है और एक लोकहितकारी राज्य में ऐसा होना भी चाहिये। अतः इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि राज्यतंत्र में पूर्ण सामंजस्य, एकता और सहयोग बना रहे। यदि कहीं कोई रुकावट होगी तो इस से राष्ट्र की हानि होगी। अतः सरकारी शासन तंत्र को चलाने वाले व्यक्तियों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये कि उन के आदेशों का अच्छी प्रकार पालन किया जाये।

मैं एक बात की ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि समाज के उच्च वर्ग के लोगों तथा शिक्षित और अच्छे प्रतिष्ठित व्यवसाय वाले व्यक्तियों के मन में भी यह धारणा बनी हुई है कि आप के पदाधिकारी घमण्डी, अशिष्ट और धृष्ट हैं। अपने आत्म सम्मान को धक्का पहुंचाये बिना उन के पास जाना कठिन है। ग्रामीण तथा जनसाधारण की बात तो जाने दीजिये, शिक्षित व्यक्ति भी उन के पास जाने में झिझकते हैं। सरकारी नौकरों के मन में वास्तविक सेवा की भावना जागृत करना बहुत आवश्यक है। वे भारतीय असैनिक सेवा (आई० सी० एस०) के नौकरों जैसे नहीं होने चाहियें जिन का न तो दृष्टिकोण भारतीय हो, न उन में नागरिक भावना हो और न ही सेवा भाव हो। इस बात के बावजूद भी कि वे अब विदेशी सरकार के नौकर नहीं हैं, दुर्भाग्य से उन की परम्परा चली आ रही है।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : महोदया इस संकल्प का विस्तार बहुत अधिक है । अतएव मैं माननीय प्रस्तावक द्वारा उठाई गई कुछेक निश्चित बातों तथा विशेषत: अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के भर्ती के नियमों के सम्बन्ध में ही कुछ कहूंगा ।

पिछले वर्ष पुनर्वास वित्त प्रशासन के कार्यसंचालन की आलोचना करते समय मैं ने कुछेक अधिकारियों पर भाईभतीजावाद के आरोप लगाये थे तथा माननीय मंत्री ने उत्तर में कहा था कि उन से प्रत्येक अधिकारी के परिवार के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती है । आज भी श्री डी० सी० शर्मा को देख कर मुझे उन का यह वाक्य याद आ जाता है कि "किसी गुरुत्वाकर्षण नियम के अन्तर्गत कुछेक कार्यालयों में सम्बन्धी ही सम्बन्धी खिंचे चले आते हैं ।"

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

ऐसी स्थिति लगभग सभी सरकारी विभागों की है । वस्तुत: स्थिति पहले से बिगड़ गई है । मैं ने बार बार इस मामले पर प्रश्न पूछे हैं तथा विभिन्न मंत्रियों ने इन आरोपों को स्वीकार भी किया है । उच्चतम अधिकारियों को स्वयं मंत्री नियुक्त करते हैं । इस सम्बन्ध में कोई प्रक्रिया निश्चित नहीं है । मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं जिन में अपने निकट के सम्बन्धियों को नियुक्त कराने में मंत्रियों का हाथ जान पड़ता है । उत्पादन मंत्रालय के अधीन एक फैक्टरी में मंत्रिमंडल के एक सदस्य के एक निकट सम्बन्धी को नियुक्त किया गया है । मझे इन के सम्बन्धी होने पर नहीं, बल्कि इस बात पर आपत्ति है कि इन व्यक्तियों की योग्यताएं पर्याप्त नहीं होती हैं । कोई भी मंत्रालय इस दोष से मुक्त नहीं है । सभी मंत्रालयों में भाईभतीजावाद ष्टाचार तथा पक्षपात का दौर दौरा है ।

डा० काटजू : मैं इस सामान्यकरण का विरोध करता हूं । यह बिल्कुल निराधार है ।

श्री वी० पी० नायर : आप इन्हें निराधार कह सकते हैं, परन्तु मैं इन का पूरा प्रमाण दे सकता हूं ।

डा० काटजू : आप जैसा चाहें कहें ।

उपाध्यक्ष महोदय : सामान्यकरण से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है तथा प्रत्येक मंत्री के बारे में यहां दोष नहीं लगाये जाने चाहियें । आप चर्चा में उदाहरण रूप से एक दो उच्च अधिकारियों के बारे में ऐसा निर्देश कर सकते हैं । अन्यथा आप इन दोषों की पूर्वसूचना दें ताकि दूसरा पक्ष भी प्रत्युत्तर दे सके ।

श्री वी० पी० नायर : प्रश्न निश्चित उदाहरणों के देने का नहीं है । परन्तु जैसा कि आपका विनिर्देश है, मैं सामान्यकरण में उलझना नहीं चाहता हूं तथा आवश्यकता होने पर मैं निश्चित उदाहरण दूंगा ।

श्री पुन्नूस (अल्लेपी) : पहले जब उस ओर से सामान्य दोषारोपण हो रहा था तो माननीय मंत्री ने कभी विरोध नहीं किया था, परन्तु इस ओर से कुछ कहे जाने पर वह माननीय सदस्य के भाषण में कठिनाई उपस्थित कर रहे हैं ।

डा० काटजू : मैं अपने भाषण में दिखाऊंगा कि इन बातों का कोई आधार नहीं है । माननीय सदस्य उत्तेजना वश समस्त लोकसेवाओं पर कीचड़ उछाल रहे हैं । यह खेदजनक बात है कि उन्हों ने भारत सरकार के सभी मंत्रियों पर अपने सम्बन्धियों को नियुक्त करने के आरोप लगाये हैं । माननीय सदस्य अपनी स्थिति से लाभ उठा कर ये सब बातें कह रहे हैं । परन्तु मैं अपने भाषण में इन के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा ।

श्री वी० पी० नायर : मैं ने यह कभी नहीं कहा कि समस्त मंत्री भ्रष्ट हैं। मैंने यह कहा है कि प्रत्येक मंत्रालय में एक न एक उदाहरण दिखाया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत कठिन मामला है। प्रशासन में मंत्री कितना भी प्रयत्न करे, कहीं न कहीं एक आधा ऐसा मामला हो ही जाता है। यह काम सदस्यों का है कि सरकार के ध्यान में इन मामलों को लायें तथा प्रशासन को बिल्कुल शुद्ध बनायें। किसी ओर से भी दिये गये सामान्य वक्तव्य से माननीय मंत्री को परेशानी हो सकती है तथा वह इस का उत्तर देने में असमर्थ हो सकते हैं। अतः माननीय सदस्य इन बुराइयों को दूर कराने की चेष्टा में बोलते समय सदन की गरिमा को ध्यान में रखें ।

श्री भागवत झा आजाद (पूर्निया व संथाल परगना) : यदि किन्हीं पदाधिकारियों पर दोष लगाये जायें तो उन की सदन में अनुपस्थिति होने से उन आरोपों को अनियमित समझा जाता है। सामान्य टिप्पणी को भी अनियमित समझा जाता है। आप कुछ नमूने के उदाहरण दे दें जिस से इन बातों को सदन के ध्यान में लाया जा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्बन्ध में नियम संख्या ३२० का निर्देश करूंगा। कोई सदस्य सम्बन्धित मंत्री तथा अध्यक्ष महोदय को पूर्वसूचना दिए बिना किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा सकता है तथा अध्यक्ष को अधिकार है कि सदन की गरिमा से असंगत होने पर वह किसी सदस्य को इस प्रकार का दोषारोपण करने से मना कर दे। सामान्यकरण कर के नियम को टाला नहीं जा सकता है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं आप का निर्देश मानते हुए अब सामान्य रूप से दोषारोपण नहीं करूंगा ।

अब मैं सेवा की विद्यमान शर्तों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अधीनस्थ सेवाओं के सम्बन्ध में सेवा के किन्हीं नियमों को निश्चित नहीं किया गया है। मुझे सरकारी सेवा में नियुक्त चपरासियों, क्लर्कों जैसे अधीनस्थ कर्मचारियों की कठिनाइयों का पता है। श्रीमान, सरकार के सभी नियमों का निर्वचन इस प्रकार से किया जाता है जिस से पदोन्नति में बेईमानी का अर्थ ईमानदारी तथा अक्षमता का अर्थ क्षमता लिया जाता है। उन की सेवायें सुरक्षित नहीं होती हैं। उन की पदोन्नति वरिष्ट अधिकारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करती है। क्लर्क रात को दो दो बजे तक यहां दिल्ली में काम करते रहते हैं तथा चपरासियों की दशा तो और भी ख़राब है। उन से तो मानवता का व्यवहार तक नहीं होता है। आठ या नौ वर्षों तक सेवा करने पर भी उन्हें सेवा में पक्का नहीं किया जाता है। कार्यालय के काम के साथ साथ उन्हें अधिकारियों के घर का काम भी करना पड़ता है। अंग्रेजों के स्थान पर भारतीय अधिकारियों के हो जाने के सिवा स्थिति में कुछ भी अन्तर नहीं आया है।

सेवा की समस्या के कई और पहलू भी हैं। विभिन्न विभागों में कर्मचारियों को संस्था बनाने के अधिकार प्राप्त नहीं हैं। किसी माननीय सदस्य तक पहुंच करने से उन्हें सेवा से निकाल दिया जाता है। वे सरकार के सामने अपने अभ्यावेदन नहीं रख सकते हैं। यदि वे मंत्री महोदय को कोई प्रार्थनापत्र भेजते हैं तो उसे नीचे ही दबा दिया जाता है। फिर वे अपनी शिकायतें कैसे ऊपर पहुंचायें ? आप ने उन्हें ऐसी स्वतन्त्रता नहीं दी है जिस से कि वे अपने अधिकारों को मनवा सकें। सरकार उन्हें केवल काग़ज़ पर ही रियायतें देती हैं। यदि नियमों के किसी उल्लंघन को अधिकारियों को बताया जाता है तो इसका औचित्य ओर कई प्रकार से सिद्ध करने की

[श्री वी० पी० नायर]

चेष्टा की जाती है। इस प्रकार से आप हमारे हजारों अधीनस्थ कर्मचारियों से व्यवहार करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : 'आप' नहीं 'वे' कहिये। इस से उत्तेजना बढ़ती है। साथ ही तथ्यों को रखते समय आप को उपायों का सुझाव भी देना चाहिये।

श्री वी० पी० नायर : आप के सुझाव के लिए धन्यवाद। परन्तु सरकार अपने सिवाय किसी को बुद्धिमान नहीं समझती है। सरकार हमारे सुझावों की परवाह नहीं करती है।

सरकारी सेवा में ऊपर के कुछ अधिकारियों को छोड़ कर प्रत्येक अधीनस्थ कर्मचारी की किसी न किसी बारे में कोई शिकायत है। यदि आप असैनिक उड्डयन विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों को देखें तो आप उन को मानवीय निवास के लिए अनुपयुक्त पायेंगे। कर्मचारियों की अधिकांश संख्या के प्रति सरकार के इस व्यवहार से ही सेवाओं का स्तर नीचा हो रहा है। कर्मचारियों में काम का उत्साह नहीं पाया जाता है। हमारे कर्मचारी संसार के किसी देश के कर्मचारियों से योग्यता में कम नहीं हैं। कारण यह है कि वे अपनी सेवा को सुरक्षित नहीं समझते हैं तथा उन में यह भावना नहीं रह जाती है कि कोई व्यक्ति देश के प्रति उन की सेवा की सराहना करेगा।

एक बात और कहकर मैं अपना आसन ग्रहण करूंगा। पिछड़े वर्गों के अभागे व्यक्तियों के बारे में सहानुभूति के बहुत से शब्द कहे जाते हैं। कई बार नौकरी दफ्तर द्वारा भेजे गये व्यक्तियों को नौकरी पर नहीं रखा जाता है तथा उन के स्थान पर नियोजक अधिकारी अपने ही सम्बन्धियों को लगा लेते हैं। मैं माननीय मंत्री को ऐसे एक दर्जन उदाहरण बता सकता हूं।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या दूसरे संकल्प को आज ही लिया जायगा या इसे कल के लिए रखा जायगा अथवा इस सम्बन्ध में फिर से शलाका पद्धति का प्रयोग किया जायगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : पहले गैर-सरकारी दिन में प्रश्नों के घंटे को छोड़ कर चार घंटे काम किया जाता था। अब हम दो बार—एक शुक्रवार छोड़ दूसरे शुक्रवार को—इसे २।। घंटे देते हैं। मेरे विचार से समिति की यह सिफारिश है कि दोनों दिनों के सम्बन्ध में शलाका पद्धति का एक बार ही प्रयोग कर लिया जाय। नियमों में समुचित परिवर्तन कर दिया जायगा ताकि भविष्य में ऐसी कोई असुविधा न हो। अभी तो वर्तमान प्रक्रिया ही चलेगी।

श्रीमती उमा नेहरू (ज़िला सीतापुर व ज़िला खेरी—पश्चिम) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यहां पर जो व्याख्यान हो रहे हैं उन में बराबर सर्विसेज़ की चर्चा हो रही है। सब के सामने सर्विसेज़ का सवाल है। मेरा इरादा यह है कि मैं सर्विसेज़ का मुकदमा ले कर इस हाउस के सामने आऊं। मैं समझती हूं कि सर्विसेज़ की जो हालत है वह दुःखदायी है और तकलीफ़देह है लेकिन साथ ही साथ जब मैं इन सर्विसेज़ को देखती हूं तो मैं अपने आप को भी देखने लगती हूं। मैं देखती हूं कि क्या मुझ में वह सब खूबियां हैं, वह सब बातें हैं, वह सब सचाई है, रुपये पैसे का या बातचीत में कहीं जरा भी करप्शन नहीं है कि जो मैं यह उम्मीद करूं कि हमारी जो सर्विसेज़ हैं वह बहुत ऊंचे पाये की हों। प्रश्न यह सामने आता है कि हम में वह ख़राबियां हैं या नहीं। जब यह प्रस्ताव आया तो मुझे खुशी हुई और मैं यह समझती थी कि मेरे भाई सर्विसेज़ की चर्चा नहीं करेंगे बल्कि उस पालिसी की और उस प्रिंसिपल की चर्चा

करेंगे कि जिसकी वजह से हमारी यह गाड़ी बखूबी आगे बढ़ सके। लेकिन हम वह मक़सद तो भूल गये और हरएक की निगाह सर्विसेज़ के ऊपर हो गयी। कुछ को सुन कर तो ऐसा मालूम होता था कि किसी के सताये हुए हैं। अलग अलग मेम्बरों के भाषण का मेरे ऊपर अलग अलग असर पड़ा। लेकिन मेरा कहना तो यह है कि सब से पहले हमें यह देखना चाहिये कि हमारा आदर्श क्या है, हमारा प्रिंसिपल क्या है, हमारी पालिसी क्या है। यह सवाल हमारे सामने सबसे पहले आता है और अगर हम इस पर विचार कर लें कि हमारी पालिसी क्या होनी चाहिये तो हमारा मैथड आफ़ वर्क क्या होना चाहिये यह पालिसी के बाद का सवाल है। जो हमारी पालिसी होगी वही हमारे देश को आगे बढ़ाने वाली होगी और उस पालिसी को किस तरह से काम में लाया जाय यह नम्बर २ सवाल है।

इस के बाद जो हमारे कम्पिटीटिव इम्तहान होते हैं उन के बारे में कहा गया कि लड़कों में इस बात का विचार नहीं किया जाता कि उन के राजनीतिक विचार क्या हैं और देश के बारे में उन के विचार क्या हैं। लेकिन मैं यह कहूं कि इतना न कर के यह देखना चाहिये कि इम्तिहानों में क्या सबजेक्ट हों। ऐसे सबजेक्ट हों जो कि मुल्क को आगे ले जाने वाले हों। बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिये किवे अपनी खुदी को भूल कर देश को आगे बढ़ाने वाले हों। तबहम देखेंगे कि हमारे बच्चे इन परीक्षाओं में पूरे उतरेंगे। साथ ही साथ जब हम मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर हों तो हमारा यह फर्ज होना चाहिये कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। हमारे सामने पांच साला योजना है। इस योजना को आगे ले जाने के लिए हमारी सरकार के हर मुहकमे में कोआर्डिनेशन होना चाहिये और इस योजना को आगे ले जाने के लिए हमारे सब अफसरों को चाहे वे आई० सी० एस० के हों या आई० ए० एस० के हों सब को यह कोशिश करनी चाहिये कि इस गाड़ी को एक तरफ़ ले जावें। लेकिन जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम को क्या मालूम होता है? मैं तो साफ कहना चाहती हूंकि हम कांग्रेस वालों ने जिनकी कि आज गवर्नमेंट है, आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और हम यहां आये हैं, लेकिन अपने वतन को आज़ाद करने के बाद हम चाहते हैं कि हम इस को आगे बढ़ा ले जायं। लेकिन हम को देखना चाहिये कि यह आज़ादी के दीवाने जिन्हों ने कि इस हुकूमत को लिया है और जो इस गाड़ी को आगे ले जाना चाहते हैं उन की इस गाड़ी में एक ही रंग रूप के घोड़े लगे हैं या नहीं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि इन घोड़ों में अदल बदल है, उन के एक आदर्श नहीं हैं, गृह उद्योग वगैरह के बारे में उन के एक ख़्यालात नहीं हैं, और अगर वह यह समझते हैं कि जिन ख़्यालात को वह ज़ाहिर करना चाहते हैं नहीं कर सकते, तो मैं समझती हूं कि वह गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली है। यह सर्विसेज़ बेचारी क्या चीज़ हैं। यह गाड़ी तो तभी आगे बढ़ेगी जब हम में एकता होगी और यह नहीं होगा कि एक एक तरफ़ जाता है और दूसरा दूसरी तरफ़ घसीटता है। सर्विस वाले इस चीज़ को देखते हैं। इसलिये जब तक कि आप सब एक विचार के, एक ख़्यालात के नहीं होंगे कि हम को इस देश को आगे बढ़ाना है, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर हमारे ऐसे ख़्यालात होंगे तो मैं नहीं समझ सकती कि हमारे सर्विस वाले क्यों नहीं हमारे मुआफिक चलेंगे। मैं एक बात कह दूं कि सर्विस बहुत बुरी चीज़ है। मैं तो अगर किसी लड़के से मिलती हूं तो यही कहती हूं कि भाई कुछ भी काम कर लो, लेकिन सर्विस बहुत बुरी चीज़ है यह मत करना। जब मैं इन सर्विसेज़ की तरफ ख़्याल करती हूं तो मैं देखती हूं कि जब अंग्रेज़ थे तो इन्हों ने खूब उन की वंशी

[श्रीमती उमा नेहरू]

बजायी और वही किया जो वह चाहते थे। आज कांग्रेस की गवर्नमेंट है लेकिन अभी उन के दिल और दिमाग़ की हालत नहीं बदली है। लेकिन उन के दिल और दिमाग़ के तो आप मालिक हैं, आप उस को संभाल सकते हैं। अगर हम अपने दिल और दिमाग़ को संभालें तो हम उन को भी संभाल सकते हैं।

श्री गिडवानी (थाना) : लेकिन अगर दिमाग़ बिगड़ गया हो तो क्या हो ?

श्रीमती उमा नेहरू : अगर मेरा दिल व दिमाग़ बिगड़ गया है तो मैं उम्मीद करती हूं कि मेरे भाई श्री गिडवानी मेरी सहायता करेंगे और मुझे सही रास्ता बतलायेंगे। वह यह कोशिश कभी नहीं करेंगे कि अगर मेरा दिमाग़ बिगड़ गया है तो मुझे पीछे से धक्का देंगे। मैं उन से यह उम्मीद नहीं कर सकती हूं। इसलिये मेरा कहना यह है कि सर्विसेज़ का सवाल तो पीछे है, जो सब से पहले विचार करने का सवाल है वह है अपने को संभालना। जब हम अपने आप को संभाल लेंगे तो मैं आप को विश्वास दिलाती हूं कि सर्विसेज़ अपने आप संभल जायंगी। जो अपने आप को संभाल लेते हैं उन के लिए सारी दुनिया संभल जाती है। तो अगर हमारी यह गाड़ी संभलेगी तो हमारी सर्विसेज़ ऊंची से ऊंची हो जायेंगी। मैं समझती हूं कि मैं ने काफ़ी समय ले लिया। साढ़े सात बज गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्या को और बोलना है तो वह कल भाषण जारी रखें। अथवा यदि वह एक दो मिनट में समाप्त कर दें तो मैं आशा करता हूं कि सदन उन कुछ मिनटों के लिए बैठने को तैयार होगा।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं। कल पर रहने दें।

श्रीमती उमा नेहरू : मैं समझती हूं कि अगर आप मुझे अगली दफ़ा अपनी स्पीच को जारी रखने की इजाज़त देंगे, तो ज़्यादा बेहतर होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब स्थगित होती है तथा सोमवार को दो बजे बाद दोपहर फिर समवेत होगी।

इसके पश्चात् सभा सोमवार, १९ अप्रैल, १९५४ के दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।